डाक पंजीयन संख्या Jaipur/city/408/2014-16
शिविरा पत्रिका (मासिक) • अगस्त, 2016
समाचार पत्र पंजीयन संख्या 10350/66
प्रकाशन तिथि : 1 अगस्त, 2016 पृष्ठ 52 • प्रेषण : हर माह की 5, 6 तारीख

राष्ट्र-गान

जन-गण-मन अधिनायक जय हे,
भारत-भाग्य-विधाता।
पंजाब, सिन्धु, गुजरात, मराठा
द्राविड़ उत्कल बंग।
विन्ध्य, हिमाचल, यमुना-गंगा
उच्छल, जलधि तरंग।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।
गाहे तव जय गाथा।
जन-गण-मंगल दायक जय हे,
भारत-भाग्य-विधाता।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे।।

-रवीन्द्रनाथ ठाकुर

पत्रिका अवितरित होने की स्थिति में इस पते पर भेजें : वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा प्रकाशन, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर-334001

मासिक

शिविरा

पत्रिका

वर्ष : 57 अंक : 2 अगस्त, 2016 पृष्ठ : 52 मूल्य : ₹15

।। तमसो मा ज्योतिर्गमय ।।

सत्यमेव जयते

प्रो. वासुदेव देवनानी
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

अपनों से अपनी बात

सा विद्या या विमुक्तये

यह माह भारत के स्वतन्त्रता संग्राम का अहम पड़ाव का माह है इस माह में भारत का स्वतंत्रता दिवस है। पन्द्रह अगस्त, 1947 के दिन हमारा देश आजाद हुआ था। इस प्रकार आगामी 15 अगस्त, 2016 को हम अपना 70वाँ स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। मैं इस अवसर पर आप सबका अभिनन्दन करते हुए हार्दिक बधाई देता हूँ। स्वतंत्रता शब्द अपने आप में बड़ा आनन्द, सुरक्षा एवं गरिमा प्रदान करने वाला है। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ 'जो पराधीन हैं' उनके साथ कुछ समय व्यतीत कर जाना जा सकता है।

शिक्षा का प्रमुख कार्य व्यक्ति का सर्वतोमुखी विकास कर उसे स्वतंत्रता का अर्थ समझाना और उन्हें सही रूप में स्वतंत्र बनाना है। वस्तुतः स्वाध्याय एवं ज्ञान-साधना के बल पर जब व्यक्ति के भीतर में ज्ञान-दीप प्रज्वलित हो जाता है, उसी समय उसे स्वतंत्रता की अनुभूति होने लगती है। महात्मा बुद्ध ने इसे आत्मदीपो भवः कहा है। इस प्रकार स्वयं का बोध (स्वाध्याय) करते हुए अपने उत्तरदायित्वों को हृदयंगम कर तदनुरूप व्यवहार करने वाला व्यक्ति स्वतंत्र है। मुझे महान दार्शनिक पं. दीनदयाल उपाध्याय याद आ रहे हैं, उन्होंने कहा था, "स्वतन्त्रता का अर्थ सब कुछ करने की आजादी नहीं अपितु अपने दायित्वों का बोध और उसके अनुसार आचरण भी जरूरी है।"

नई शिक्षा नीति में स्वतंत्रता के लिए शिक्षा (Education For Freedom) संकल्पना पर प्रकाश डाला गया है। भारतीय मनीषा का उद्घोष 'सा विद्या या विमुक्तये' यही तो कहता है। इसका अर्थ यह है कि विद्या वह है जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे। इसका भावार्थ यह है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन सच्चे मन से परिश्रमपूर्वक, पूर्ण समर्पण एवं प्रतिबद्धता के साथ करें। 'मुझे क्या करना है' यह कोई और व्यक्ति न बताए, प्रत्युत मेरे भीतर की चेतना (अन्तर्मन) यह कर्तव्यबोध करवाकर उसे करने का संदेश और योग्यता प्रदान करे और मैं तदनुरूप आचरण करूँ, इसी का नाम मुक्ति मार्ग है और निसंदेह इस मार्ग का गन्तव्य मुक्ति है, स्वाधीनता है। कर्तव्य और उत्तरदायित्व को इस प्रकार समझना और समझकर मनोयोगपूर्वक उनका पालन करने में प्रवृत्त हो जाना एकात्म बोध है। दरअसल एकात्म शब्द का आशय व्यवस्था के सभी पक्षों को एक साथ लेकर एक आदर्श समन्वय के साथ स्वयं को प्रस्तुत करने तथा सर्वमंगल भाव से अपनी अधिकतम क्षमता से काम करने से है। इसमें खण्ड नहीं होते बल्कि समस्त खण्डों का योग होता है, जो अखण्ड होता है। ऐसा एकात्म बोध शिक्षा से ही सम्भव हो सकता है। इस एकात्म बोध को ही 'चिति' कहते हैं, जो दर्शन की शीर्ष स्थिति है। इसमें अधिकार के बारे में नहीं बल्कि कर्तव्य के बारे में अधिक ध्यान रहता है।

जो लोग कर्तव्यपथ के पाथेय नहीं बनते, वे भौतिक रूप से स्वाधीन होते हुए भी मानसिक रूप से गुलाम रहते हैं। समाज में स्वाधीनता के इस वास्तविक अर्थ की स्थापना शिक्षक ही कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी अर्जित विद्या को उपकरण के रूप में काम में लेना है। महर्षि वेद व्यास महाभारत के शांति पर्व (175/35) में कहते हैं, नास्ति विद्यासमं चक्षुः अर्थात् विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है। विद्या से विनम्रता प्राप्ति होती है (विद्या ददाति विनयं) और यह विनम्रता आगे से आगे और विद्या अर्जन की राह दिखाती है। छान्दोग्योपनिषद् में कहा गया है आचार्वाद्धयेव विद्या विदिता साधिष्ठं प्रापति अर्थात् आचार्य से जानी गई विद्या ही अति साधुता (विनम्रता) को प्राप्त होती है और यह विनम्रता ज्ञान, कौशल एवं सुख के द्वार खोल देने वाली होती है। इससे जीवन सुखी एवं आनन्दमय बनता है।

अगस्त माह में रक्षाबंधन का पावन त्यौहार है। भाई-बहिन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक 'राखी का धागा' होता है। यह भाव इतना बलशाली होता है कि कोई भी तोप या तलवार इस धागे का सामना नहीं कर सकती। विद्यालयों में हमारी सरहदों की रक्षा करते रणबांकुरे जवानों एवं गुरु-शिष्य परम्परा को दृष्टिमध्य रखकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाना चाहिए। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी तो अद्भुत पर्व है। हर्ष, उल्लास व उमंग भरा त्यौहार जन्माष्टमी श्री कृष्ण का जन्म दिवस न होकर जैसे हर बच्चे का जन्मदिन है। जन्माष्टमी तो अन्तरराष्ट्रीय बाल जन्म दिवस है इसी प्रकार गोगानवमी एवं महर्षि अरविन्द का जन्म दिवस (14 अगस्त) भी इसी माह आने वाले हैं, विद्यालयों में इसे सम्पूर्ण श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया जाना चाहिए। ग्रीष्मावकाश के पश्चात जुलाई माह में विद्यालयों में हुए उल्लेखनीय नामांकन के लिए मैं शिक्षकों एवं संस्था प्रधानों की सराहना करता हूँ। हमें अभिभावकों एवं समाज के विश्वास को बनाए रखना है।

शुभकामनाओं के साथ,

(प्रो. वासुदेव देवनानी)

> "नई शिक्षा नीति में स्वतंत्रता के लिए शिक्षा (Education For Freedom) संकल्पना पर प्रकाश डाला गया है। भारतीय मनीषा का उद्घोष 'सा विद्या या विमुक्तये' यही तो कहता है। इसका अर्थ यह है कि विद्या वह है जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे। इसका भावार्थ यह है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन सच्चे मन से परिश्रमपूर्वक, पूर्ण समर्पण एवं प्रतिबद्धता के साथ करें।"

चित्रवीथिका : माह अगस्त, 2016

(बाएं) राजकीय केन्द्रीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, पुरानी मण्डी, अजमेर में "रमसा" से नवनिर्मित कक्षा-कक्ष का लोकार्पण माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रो. श्री वासुदेव देवनानी के कर कमलों द्वारा किया गया। साथ में है अजमेर के जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक द्वितीय); एडीपीसी रमसा; संस्था प्रधान; छात्राएँ एवं अतिथिगण। (दाएं) विद्यालय में "स्वच्छ भारत अभियान" के तहत पी.डब्ल्यू.सी. एवं फिनिश सोसायटी द्वारा नवनिर्मित शौचालय, मूत्रालय एवं हैण्डवॉश युनिट का लोकार्पण माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रो. श्री वासुदेव देवनानी के कर कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ।

(बाएं) राजकीय कमला नेहरू बालिका उ.मा.वि., जौहरी बाजार, जयपुर में वर्ल्ड विजन और पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान के तत्वावधान में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रो. वासुदेव देवनानी। (दाएं) माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रो. वासुदेव देवनानी निःशुल्क विज्ञान विशेषांक का विमोचन करते हुए। चूरिया मूरिया सेवा संस्थान द्वारा यह पुस्तक कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को निःशुल्क वितरित की जा रही है।

(बाएं) उदयपुर में आयोजित वाकपीठ में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान श्री बी.एल. स्वर्णकार आई.ए.एस. द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले संस्थाप्रधानों का सम्मान किया गया। (दाएं) भारतीय आदर्श विद्या मन्दिर (माध्यमिक) रघुनाथसर कुआँ, बीकानेर के वार्षिकोत्सव में अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) श्री हेमेन्द्र उपाध्याय।

मासिक

शिविरा पत्रिका

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते -श्रीमद्भगवद्गीता 4/38

इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है।
In this world there is no purifier as great as knowledge.

वर्ष : 57 | अंक : 2 | श्रावण-भाद्रपद २०७३ | अगस्त, 2016

प्रधान सम्पादक
बी.एल. स्वर्णकार

वरिष्ठ सम्पादक
प्रकाश चन्द्र जाटोलिया

सम्पादक
गोमाराम जीनगर

सह सम्पादक
मुकेश व्यास

प्रकाशन सहायक
नारायण दास जीनगर
रमेश व्यास

मूल्य : ₹ 15

वार्षिक चंदा दर व शर्तें

- शिक्षकों/लिपिकों के लिए ₹ 75
- राजकीय संस्थाओं/कार्यालयों/विद्यालयों के लिए ₹ 150
- गैर राजकीय संस्थाओं के लिए ₹ 200
- मनीऑर्डर/बैंक ड्राफ्ट/पोस्टलऑर्डर **निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर** के नाम देय हैं।
- चैक स्वीकार्य नहीं है।
- कृपया पूर्ण पता मय पिन कोड लिखें।
- नवीनीकरण हेतु चंदा राशि कृपया दो माह पूर्व भिजवाएं।

पत्र व्यवहार हेतु पता
वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा पत्रिका
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर-334 001
दूरभाष : 0151-2528875
फैक्स : 0151-2201861
E-mail : shivirasecedubkn@gmail.com

शिविरा पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने विचार होते हैं। अभिव्यक्त विचारों से **शिक्षा विभाग राजस्थान** का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **-वरिष्ठ संपादक**

इस अंक में

दिशाकल्प : मेरा पृष्ठ

- राष्ट्र निर्माण में हमारी भागीदारी 5
  आलेख
- आना पूर्व विद्यार्थी का अपने विद्यालय में 6
  मुकेश व्यास
- आत्मविश्वास 7
  डॉ. के.के. पाठक
- बालक की सांवेगिक बुद्धि बढ़ने दो 8
  विजय कुमार आर्य
- राजकीय विद्यालय में अध्ययन के लाभ 9
  शेरसिंह बारहठ
- विद्यालय में प्रार्थना-सभा 10
  उदयलाल सैन
- तनाव प्रबंधन एवं शिक्षा व्यवस्था 12
  सरोज राठौड़
- मानव जीवन के प्राण हैं वृक्ष 15
  कृष्णचन्द्र टवाणी
- खुद पढ़ें औरों को पढ़ाएं 17
  टेकचन्द्र शर्मा
- वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़ 18
  विजय सिंह माली
- शिक्षा का मोल 36
  हरप्रीत सिंह कंग
- देशरत्न ध्यानचन्द 37
  सुभाष चन्द्र कस्वाँ
- सर्वविदिता भाषा 'संस्कृत' 39
  शशिकांत द्विवेदी
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर हो जोर 40
  गायत्री शर्मा
- स्थानीयता पर निर्भर, प्राथमिक शिक्षा 41
  भारत दोसी
- प्राप्त करें बेहतर परीक्षा परिणाम 42
  प्रकाश चन्द्र शर्मा

मासिक गीत

- भारतधरणीयं मामकजननीयम् 14
  लेखक-**श्री जी. महाबलेश्वरभट्टः**
  संकलनकर्ता-**कुन्दन जीनगर**

कविताएँ

- पन्द्रह अगस्त 38
  पूर्णिमा मित्रा
- हनुमंथप्पा को श्रद्धांजलि 38
  ज्ञान प्रकाश 'पीयूष'

लेखा स्तम्भ

- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को देय सुविधाएँ एवं अवकाश 43
  सुभाष माचरा

स्तम्भ

- पाठकों की बात 4
- आदेश-परिपत्र 19-35
- विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम 34
- शिविरा पञ्चाङ्ग (अगस्त-सितम्बर 16) 35
- शाला प्रांगण से 48
- चतुर्दिक समाचार 49
- हमारे भामाशाह 50

पुस्तक समीक्षा 45-47

- ऊडै अंधारै कठैई : (अनुवाद)
  मूल : डॉ. नन्दकिशोर आचार्य
  अनुवाद : डॉ. नीरज दइया
  समीक्षक : **डॉ. मदन सैनी**
- जीवन एक सारंगी
  कहानीकार : मधु आचार्य 'आशावादी'
  समीक्षक : **डॉ. नीरज दइया**
- वंदेमातरम्
  लेखिका : पूजा श्री
  समीक्षक : **डॉ. नमामीशंकर आचार्य**

मुख्य आवरण :
नारायणदास जीनगर, बीकानेर
मो. 9414142641

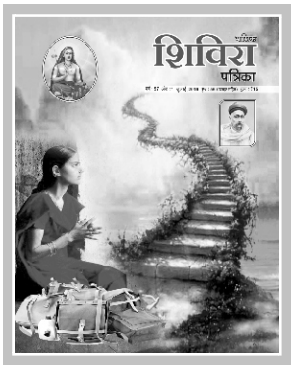

▼ चिन्तन

अयं निजः परोवेति
गणना लघु चेतसाम्।
उदारचरितानां तु
वसुधैव कुटुम्बकम्।।

अर्थात्: यह मेरा है, यह उसका है; ऐसी सोच संकुचित चित्त वाले व्यक्तियों की होती है; इसके विपरीत उदार चरित वाले लोगों के लिए तो यह सम्पूर्ण धरती ही एक परिवार जैसी होती है।

पाठकों की बात

- शिविरा पत्रिका का माह जुलाई 16 का अंक प्राप्त हुआ। नवीन कलेवर, मानो शिक्षा से जुड़े हुए विचारों की एक सुंदर, आकर्षक पत्रिका, शैक्षिक समारोह के आमंत्रण का आभास कराती है। हमारे शिक्षा निदेशक महोदय द्वारा शैक्षिक जगत् में एक हलचल लाने का अनूठा प्रयास प्रारम्भ किया है। शिक्षकों के पदस्थापन हेतु काउंसलिंग की प्रक्रिया शिक्षक के परिचय पत्र, विद्यालय दर्पण, वैज्ञानिक तकनीकी का कक्षा शिक्षण में प्रयोग, शैक्षिक वातावरण का निर्माण आदि नवीन नवाचार हमारे लिए अनुकरणीय है। निदेशक महोदय का साधुवाद जिनके अथक प्रयासों से आज शिविरा नये कलेवर में आ सकी है। आशा है, भविष्य में भी इसमें और नवीन परिवर्तन और परिवर्द्धन हो सकेगा। शिक्षक व छात्रों का सर्वांगीण-दिशाकल्प के अन्तर्गत निदेशक महोदय ने कुशल संस्था प्रधानों व योग्य शिक्षकों द्वारा श्रेष्ठतम् शैक्षिक वातावरण तैयार करने के लिए प्रेरणाप्रद अमूल्य विचार प्रस्तुत किये है। नवीनतम् शिविरा के आकर्षक स्वरूप के लिये सम्पादक मंडल को हृदय की गहराइयों से साधुवाद। शैक्षिक संकल्पनाओं को साकार रूप देने में शिविरा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत कर रही है।

हरीश कुमार वर्मा, उदयपुर

- शिविरा पत्रिका जुलाई, 2016 का अंक प्राप्त हुआ। बच्चों में अच्छी पुस्तकें पढ़ने के लिए दिए गए सुझाव और गुरु पूर्णिमा सन्दर्भ में गुरु शिष्य परम्परा में गोसेवक गुरु वशिष्ठ और मुनि विश्वामित्र के चरित्र का वर्णन बहुत ही रोचक और नए जमाने के विद्यार्थियों के लिए लाभकारी होगा। चूँकि स्वतंत्रता दिवस वर्षगांठ आने वाली है इसलिए 'चन्दन है इस देश की माटी' देशप्रेमियों के लिए यह गीत प्रेरक और आनन्द देने वाला है। छात्रवृत्ति और उससे सम्बन्धित आवेदन पत्रों के बारे में विस्तार से बताया गया, अच्छा लगा। राजस्थान के अमर शहीद बीरबल सिंह जीनगर जैसे छुपे हुए रत्न के बारे में जानकर बड़ी खुशी हुई। पॉलीपैक कवर में नए अन्दाज में बिना मुड़ी सीधी शिविरा पत्रिका मिलने के लिए सम्पादक मण्डल का आभार।

जयप्रकाश राणा, बीकानेर

- 'शिविरा' शिक्षा विभाग, राजस्थान द्वारा प्रकाशित श्रेष्ठ शैक्षिक पत्रिका है, जो राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चित है। इसमें शिक्षाविदों, शिक्षकों तथा मूर्धन्य साहित्यकारों के आलेख प्रकाशित होते हैं। इसमें प्रकाशित रचनाएँ शिक्षकों की शैक्षिक अन्तर्दृष्टि विकसित करती है। शिविरा का प्रकाशन उच्चस्तरीय है। यह अब शिक्षा जगत की एक लोकप्रिय एवं संग्रहणीय पत्रिका बन गई है। यह अपने आप में पर्याप्त नहीं बल्कि सम्पूर्ण ज्ञान का भण्डार है। हर्ष है कि शिविरा पत्रिका उत्तरोत्तर ऊर्ध्वगामी है।

  शिविरा शैक्षिक नवाचारों की पत्रिका है। शिक्षा, संस्कार एवं भाषा संस्कृति से सराबोर इसका प्रकाशन स्वयंसिद्ध है। वास्तव में यह ज्ञान का स्रोत है। शिक्षादायिनी शिविरा सब का सिरमौर है। निदेशक महोदय का दिशाकल्प : मेरा पृष्ठ उत्प्रेरक सृष्टि है। शिविरा पत्रिका से संवाद प्रेषक-लेखक एवं ग्राहक के रूप में लगभग 45 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि शिक्षा जगत में ऐसी पत्रिकाएँ अंगुलियों पर ही गिनी जा सकती हैं। इसमें प्रकाशित सामग्री सामयिक एवं उपयोगी होती है।

  शिविरा हमारे संवादों का माध्यम है। इसका हर अंक नए परिवेश एवं निरन्तर बदलाव से विभाग की श्रेष्ठता एवं गुणवत्ता का प्रतिबिम्ब नजर आने लगा है। मुझे शिविरा पत्रिका का प्रतिमाह बेहद इंतजार रहता है, क्योंकि यह ज्ञान की अविरल धारा है। यह पत्रिका शिक्षकों में वैचारिक क्रान्ति लाने का प्रबल माध्यम है।

  मैं शिविरा पत्रिका का नियमित ग्राहक एवं पाठक हूँ। क्योंकि मैं शिक्षक था- अध्यापन मेरा मुख्य व्यवसाय था। मैं प्रबुद्ध गुरुजनों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप शिविरा पत्रिका के ग्राहक पाठक अवश्य बनें। लेखकों से शैक्षिक दर्शन से ओतप्रोत अपनी तरोताजा रचनाएँ भेजते रहने का आग्रह भी करता हूँ।

  विभाग के इस शानदार प्रकाशन के लिए सम्पादक मंडल को मेरी हार्दिक बधाई।

शशिकांत द्विवेदी 'आमेटा', बाँसवाड़ा

सत्यमेव जयते

बी.एल. स्वर्णकार
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

"स्वतन्त्रता दिवस प्रत्येक भारतवासी को अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़संकल्पित होकर उत्कृष्टतम योगदान का आह्वान करता है। हम सब शिक्षा के सरोकार से सम्बद्ध हैं इसलिये राष्ट्र निर्माण में हमारी भागीदारी अधिक अपेक्षित है। सुयोग्य नागरिक बनाने के लिये संस्कार का संवहन करने का हमारा दायित्व सफल रहे यह हमारा संकल्प रहे, तो हम स्वतन्त्रता को हमारा किंचित दे सकेंगे।"

दिशाकल्प : मेरा पृष्ठ

राष्ट्र निर्माण में हमारी भागीदारी

राष्ट्रीय पर्व 'स्वतन्त्रता दिवस' की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं!

राष्ट्र की स्वतन्त्रता का विचार मानस पटल पर आते ही गौरवशाली अतीत, शहीदों के संघर्ष एवं विद्यालयों में विद्यार्थियों के उत्साह के चितराम आँखों के समक्ष सजीव होने लगते हैं। यद्यपि स्वतन्त्रता के सैनानियों द्वारा दिये इस स्वातन्त्र्य के उपहार से उऋण नहीं हुआ जा सकता तथापि सम्पूर्ण राष्ट्र का यह उत्सव पर उन ज्ञात-अज्ञात सभी स्वतन्त्रता के संवाहक देशभक्तों के प्रति कृतज्ञता अर्पित करता है। स्वतन्त्रता दिवस प्रत्येक भारतवासी को अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़संकल्पित होकर उत्कृष्टतम योगदान का आह्वान करता है। हम सब शिक्षा के सरोकार से सम्बद्ध हैं इसलिये राष्ट्र निर्माण में हमारी भागीदारी अधिक अपेक्षित है। सुयोग्य नागरिक बनाने के लिये संस्कार का संवहन करने का हमारा दायित्व सफल रहे यह हमारा संकल्प रहे, तो हम स्वतन्त्रता को हमारा किंचित दे सकेंगे।

शिक्षकों की पदोन्नति का पड़ाव जुलाई माह में ही पूर्ण कर लिया गया। विभाग द्वारा न केवल प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक एवं व्याख्याता की अद्यतन वर्ष 2016-17 की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों का आयोजन कर पदोन्नति प्रदान की वरन् चयन के एक सप्ताह में ही परामर्श (काउन्सलिंग) कर उनका पदस्थापन भी किया गया। काउन्सलिंग के कार्य में कर्मरत रहे कार्मिकों एवं काउन्सलिंग में भागीदार हुए शिक्षकों को साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इस यज्ञ में अपनी आहुति देकर अल्प समय में वहृद कार्य को सफल किया। पदस्थापन के बाद इन शिक्षकों से अपेक्षा है कि वे अपने नवीन पदीय पदभार की सार्थकता सिद्ध करेंगे।

संस्था प्रधान ही शाला का दर्पण होता है। शासन की सभी योजनाओं एवं उद्देश्यों को क्रियान्वित करना संस्थाप्रधान का दायित्व है। विद्यालय में सरकार का प्रतिनिधि संस्थाप्रधान है, संस्था की सफलता-असफलता उसमें निहित है। अत: उससे यह अपेक्षा है कि संस्था के सुचारू संचालन हेतु अपना अधिकतम दे। संस्था प्रधान का अर्थ ये कतई नहीं है कि वो अब शिक्षक नहीं है, वह शिक्षक है तभी संस्थाप्रधान है। उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर विद्यालय एवं छात्रहित को महत्त्व दें। प्रत्येक संस्थाप्रधान समय का पालन करे, प्रार्थना सभा में भागीदार हो, कक्षा शिक्षण अवश्य करे, शाला दर्पण को नियमित अद्यतन करे, समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करे, शिक्षकों को प्रोत्साहित करे एवं ऐसी कोई परिस्थिति का कारण न बने कि समुदाय को शाला के संचालन में प्रश्नचिह्न लगाना पड़े।

कर्म के प्रति सतत सचेत करने वाले योगेश्वर श्रीकृष्ण का जन्माष्टमी पर्व, भाई-बहिन के प्रेम का प्रतीक 'रक्षाबन्धन', देववाणी संस्कृत को सम्मान ज्ञापित करने का पर्व 'संस्कृत दिवस' एवं राष्ट्रीय खेल दिवस (हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का जन्मदिवस 29 अगस्त) के लिये सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं!

स्वतन्त्रता दिवस की मंगलकामनाएं और बधाई !

(बी.एल. स्वर्णकार)

प्रेरणा

आना पूर्व विद्यार्थी का अपने विद्यालय में

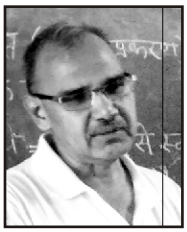

'पिता कहते थे सरकारी स्कूल में पढ़ा तेरे साथ किया अन्याय'

प्रदेश के सबसे ताकतवर अधिकारी ने भावनात्मक अंदाज में उपस्थित शिक्षकों से हाथ जोड़कर कहा 'आप बच्चों के साथ न्याय कीजिए। ये भी अधिकारी बन सकें।

*** पोद्दार स्कूल से 1972 में 10वीं पास की थी। ***

''यह मत सोचना कि सरकारी स्कूल में पढ़ा विद्यार्थी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। मैं इसी स्कूल में पढ़ा हूँ और आपके सामने हूँ।''

राजधानी जयपुर स्थित एक राजकीय विद्यालय जो वैसे तो आम राजकीय विद्यालयों की तरह है परन्तु शनिवार 16 जुलाई, 2016 विशेष तिथि बनी, न केवल उस विद्यालय के लिए अपितु राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी के लिए।

नई प्रेरणा, नया उत्साह, नई ऊर्जा का संचार हुआ।
सुदूर गाँव-ढाणी में बैठे शिक्षक-अभिभावक और
राजकीय विद्यालय में पढ़ रहे बालक के मन में भी
नई आशा का संचार हुआ।

क्या हुआ ऐसा!!! 16 जुलाई, 2016 को जिसका उल्लेख अगस्त में भी करना समीचीन लग रहा है।

घटना सामान्य सी लगती है एक कक्षा 10 का पूर्व विद्यार्थी अपने पूर्व विद्यालय में विद्यार्थियों से मिलना चाहता है। संस्था प्रधान के प्रति भी अपना सम्मान व्यक्त करना चाहता है। वह राजकीय विद्यालय है :

राजकीय रा. पोद्दार उच्च माध्यमिक विद्यालय
गाँधी नगर, जयपुर।

अपनी पहचान प्रकट न होने देना और बाद में जगत द्वारा विस्मित होना कि राजकीय विद्यालय में शासन के मुखिया, प्रमुख शासन सचिव श्री ओ.पी. मीणा आए।

प्रमुख शासन सचिव श्री ओ.पी.मीणा का राजकीय विद्यालय में आने की घटना अगले दिन अखबार की सुर्खियाँ बनने के लिए नहीं बल्कि बहुत कुछ सीखने सिखाने का अवसर हम सभी को दे रही है।

संवेदनशील इंसान के साथ-साथ प्रशासन के सिरमौर का अपने राजकीय विद्यालय और संस्था प्रधान के प्रति सम्मान न केवल विद्यार्थियों के लिए प्रेरक है अपितु हमारी कार्यशैली में कर्तव्य के प्रति सजगता की ओर भी रेखांकन करना है।

जयपुर के राजकीय रा. पोद्दार उ.मा.वि. गाँधीनगर में प्रमुख शासन सचिव महोदय श्री ओ.पी.मीणा का कक्षा 10 के पूर्व विद्यार्थी के रूप में पहुँचना और अपने अनुभवों को विद्यार्थियों के साथ साझा करना, राजकीय विद्यालय के विद्यार्थियों में ही नहीं वहाँ कार्यरत और प्रत्येक राजकीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षक का मनोबल बढ़ाने वाला प्रेरक उदाहरण है। पोद्दार स्कूल के विद्यार्थी रोमांचित थे कि जिन बेंचों पर बैठकर आज वो विद्या अर्जन कर रहे हैं वहीं बैठकर इस प्रदेश के मुख्य सचिव ने भी पढ़ाई की।

प्रमुख शासन सचिव की इस विनम्र 'विजिट' ने प्रदेश के शैक्षिक वातावरण में सकारात्मक चिन्तन को बढ़ावा देते हुए रचनात्मकता की ओर प्रेरित किया है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के निदेशक और शिविरा के प्रधान सम्पादक श्री बी.एल. स्वर्णकार ने प्रमुख शासन सचिव महोदय के अपने अध्ययन किए हुए राजकीय विद्यालय में विद्यार्थियों को बताए अपने अनुभवों को विद्यार्थियों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रेरक, मार्गदर्शक बताया साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी लोगों के लिए आत्मीय, उत्साहवर्द्धक और प्रेरणा देने वाला बताया।

आशा है राजकीय विद्यालय में कार्य करने वाला प्रत्येक कर्मचारी चाहे वह शिक्षक है मंत्रालयिक कर्मचारी है या किसी अन्य सेवा से जुड़ा व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूर्ण मनोयोग से अतिरिक्त उत्साह के साथ सम्पादित करेगा।

बड़े व्यक्तित्व का अपने अध्ययन किए हुए संस्थान में आना उस संस्थान में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, उनसे मिली प्रेरणा, सभी का पाथेय बने, ऐसा प्रयास हम सभी का होना चाहिए।

मुकेश व्यास
सह-सम्पादक, शिविरा
मो. 9460618809

चिन्तन

आत्मविश्वास

❒ डॉ. के.के. पाठक

एक पुरानी उक्ति है-''आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या फिर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं, आप दोनों ही मामलों में सही सिद्ध होंगे।''

आत्मविश्वास साधन भी है, साधना भी और साधना की सिद्धि भी। गैब्रियल मार्सल के शब्दों में यह 'कुछ पाने' की बजाय तदनुरूप 'बन जाने' की भावना है। आत्मविश्वास में अंतस् की पुकार है, अंतर्तम की प्रतिबद्धता है। प्रसिद्ध दर्शनशास्त्री एच.एच. प्राइस ने कहा है- आदमी के विश्वासों में बड़ा फर्क है। कुछ ''विहित विश्वास'' हैं, जो बस बाहर की सूचना की तरह है, ज्ञात तथ्य की तरह है, किन्तु कुछ विश्वास ''निहित विश्वास'' है। आत्मविश्वास वस्तुत: अन्तर्निहित विश्वास है।

आत्मविश्वास क्या है, इसे समझने के लिए यह पुरानी कहानी महत्त्वपूर्ण है :-

किसी समय में संतों का एक समूह अपनी नृत्य साधना के लिए प्रसिद्ध था-मत्त सूफियों की तरह, भक्त वैष्णवों की तरह, अनुरक्त गोपियों की तरह। कहते हैं, जब वे नाचते, बादल छा जाते, वर्षा होने लगती। बहुतेरे नर्तकों और दर्शकों ने उस नृत्य साधना को सीखने की कोशिश की, उस संगीत पर मत्त नृत्य करने की कोशिश की, लेकिन बादल न छाते, वर्षा न होती।

सबने सोचा, संतों के पास गुप्त मंत्र है, कोई रहस्यमय सिद्धि है। किसी साधक ने जब हठपूर्वक पूछा, तो वे बोले-''कैसी मंत्र साधना, कैसी नृत्य सिद्धि? हम तो बस इस विश्वास के साथ नृत्य करते हैं कि हम नृत्य करेंगे तो वर्षा अवश्य होगी और इस समर्पण के साथ नृत्य करते हैं कि हम तब तक नृत्य करेंगे, जब तक वर्षा नहीं होगी।''

आत्मविश्वास में बस विश्वास ही नहीं, समर्पण भी है; उसमें किसी अन्य से प्रतियोगिता नहीं, बस स्वयं के स्तर पर प्रतिबद्धता है।

आत्मविश्वास एक जादुई पारस पत्थर की तरह है, परन्तु समस्या यह है कि यह सर्वाधिक प्रबुद्धों के पास नहीं है, वरन् सर्वाधिक दृष्टहीनों के पास है। अंग्रेजी की एक कहावत है, जिसका आशय है - ''बुद्धिमान जिस रास्ते पर चलने में सोच-विचार कर रहे होते हैं, मूर्ख उसे एक छलांग में पार कर जाते हैं''। इसे ही एलेक्जेन्डर पोप कहते थे-''फरिश्ते भी जहाँ पैर धरने में डगमगा रहे होते हैं, मूढ वहाँ दौड़ लगा रहे होते हैं।''

आत्मविश्वास में रूपान्तरणकारी शक्ति है, जो चाहें, उसे कर जाने की शक्ति है; पर हमारी बौद्धिकता की विडम्बना ही यह है कि वह सर्वाधिक द्वंद्वग्रस्त होती है, सर्वाधिक दुविधापूर्ण होती है।आत्मविश्वास में आवश्यक है- विवेक की दृष्टिपूर्णता भी और भावना की संपूर्णता भी, अन्यथा वह अंध-पंगु बन जाने को अभिशप्त है।

एक प्रचलित शब्द है-'इच्छा-शक्ति' और किसी 'इच्छा' के 'शक्ति' बनने के बीच जो अंतर्निहित तत्व है, वह आत्मविश्वास ही है। इच्छाएं सबमें जन्म लेती हैं, पर वे सबमें अदम्य आकांक्षा या पैशन का रूप नहीं लेतीं या फिर कहें कि कामनाएं सबमें अपनी ऊर्जा भरती हैं, लेकिन सबमें वे स्पष्ट विजन का रूप नहीं लेती। प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक शॉपेनहॉवर प्राय: कहते थे -''मनुष्य जो चाहे, वह पा सकता है; लेकिन जो चाहे, वह चाह नहीं सकता''।

क्रिकेट के लिए जो चाह एक क्रिकेटर में पैदा हो जाती है, अभिनय के लिए जो पैशन अभिनेता में जाग जाता है, विराट के लिए जो विज़न एक युगद्रष्टा में जन्म ले लेता है; वह सबमें नहीं जन्मता। यह अंतर्निहित प्रेरणा कुछ आंतरिक प्रकृति से सर्जित होती है और कुछ बाह्य परिस्थिति से निर्मित होती है, जिसे अंग्रेजी में हम नेचर बनाम नर्चर का नाम देते हैं।

आत्मविश्वास एक मन:स्थिति है, जो प्रकृति, संस्कृति, परिस्थिति, नियति किसी के भी विरुद्ध खड़ी हो सकती है और फिर किसी के साथ भी खड़ी हो सकती है। आवश्यक नहीं कि उसका मार्ग नया हो; पर जिसके साथ भी होती है, उसकी अपनी नई ऊर्जा साथ खड़ी होती है।

आत्मविश्वास में जितना विश्वास अपनी और अपने पास की ज्ञात प्रकृति पर होता है, उतना ही विश्वास उसके पूरक अज्ञात जगत् पर भी होता है। तुलसीदास ने शिव-शक्ति की कल्पना क्रमश: श्रद्धा और विश्वास के रूप में की है - ''भवानी-शंकरौ वन्दे श्रद्धा-विश्वास-रूपिणौ''(रामचरित मानस-1/2) संदर्भार्थ यह है कि आत्मविश्वास में जितना आवश्यक विश्वास है, उतनी ही महत्वपूर्ण श्रद्धा है। श्रद्धा का अर्थ भक्ति नहीं, भरोसा या ट्रस्ट है। संस्कृत में यह शब्द 'श्रत्' अव्यय में 'धा' धातु लगाने से बनता है, जिसका अर्थ है भावनापूर्वक धारण करना और भावना इतनी गहरी हो कि वह प्रतिकूल स्थितियों में भी संभावनाओं के

डॉ. के.के. पाठक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अत्यन्त ऊर्जस्वी व गतिमान युवा अधिकारी हैं। आप उच्च कोटि के चिन्तक, लेखक एवं उद्भट विद्वान हैं। आपने दो दर्जन से अधिक पुस्तकें लिखी हैं जिनमें धर्म की विज्ञान यात्रा (दो भाग), प्रेम : एक वैज्ञानिक अध्ययन, नकारात्मक सोच : महानता का सूत्र, गाँधीगिरी का मैनेजमेंट, गाँधीवाद और मार्क्सवाद, भारतीय संस्कृति के आधार स्तम्भ, मृत्युपथ : अमृत की तलाश आदि प्रमुख हैं। आपके व्यक्तित्व एवं कृतित्व की साम्यता अद्भुत एवं विलक्षण हैं। अपनी प्रशासनिक कार्यकुशलता के लिए विख्यात डॉ. पाठक माध्यमिक शिक्षा निदेशक एवं शिविरा पत्रिका के प्रधान संपादक रहे हैं। वर्तमान में आप राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री के स्पेशल सेक्रेट्री हैं।

आकाश में बाहें फैलाए रखे, विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी अभिलाषाओं में आशाओं के दीप जलाए रखे, तमाम वेदनाओं को सहकर भी संवेदनाओं को बचाए रखे।

आत्मविश्वास में एक बालसुलभ सहज विश्वास है, एक युवजनोचित प्रतिबद्धता है और एक प्रौढ़जनोचित दृष्टिपरकता है। एक कहानी से इसे स्पष्ट किया जा सकता है –

किसी जगह लोगों ने वर्षा के लिए यज्ञ का आयोजन किया। उन्हें विश्वास दिलाया गया था कि यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ वर्षा होगी।

यज्ञ पूर्ण हुआ, परन्तु वर्षा न हुई। कुछ आश्चर्यजनक रूप से पास के गाँव में मूसलाधार बारिश हुई। यज्ञायोजकों और पुरोहितों ने कहा– ''प्रभु, हमने जो इतनी साधना की, जो समर्पण किया, जो श्रद्धा दिखाई, जो विश्वास किया; क्या वह निरर्थक था ?''

कहते हैं, रात में सभी को सामूहिक स्वप्न आया। स्वप्न में सभी बच्चों के बीच थे। किसी फरिश्ते ने उन्हें उद्बोधित करते हुए कहा– ''तुम कहते हो, तुममे श्रद्धा है, परन्तु क्या तुमने अपने संसार को उस विस्मय और आनन्द से देखा है, जिस भाव से वो बालक फूलों–पत्थरों को देख रहा है ?''

तुम कहते हो, तुममे समर्पण है, लेकिन क्या तुम्हारे समर्पण में वह तन्मयता और निष्कामना रही है, जो नदी के तट पर रेत के घरौंदे बनाते बच्चे में दिखती है?

तुम कहते हो, तुम भरोसा रखते हो, पर क्या कभी किसी शिखर से फिसलते समय तुम्हारे भरोसे में वैसी निश्चिंतता व वैसा हास्य रहा है, जो माँ द्वारा उछाले गए शिशु के चेहरे पर है ?

और तुम कहते हो तुममें विश्वास है, लेकिन क्या यज्ञ करते समय तुम्हारे मन में वह विश्वास था, जो बारिश वाले गाँव के उस बच्चे में दिखा, जो पूर्णाहुति के दिन अपनी दादी के लिए छतरी ले आया था, ताकि वे अगर यज्ञ में गई, तो भीगे नहीं।

इसलिए जब भी आत्मविश्वास को परखें, यह अवश्य देखें उसके विश्वास में 'आत्म' कितना है और आत्मविश्वास में 'आत्मा' कितनी है। आत्मविश्वास वह भूमि है, जो आत्माभिव्यक्ति के आकाश में शाखाएं फैलाती है। वह बाह्य आरोपण नहीं, स्वयं बीज का प्रस्फुटन है और इसीलिए वह एक समय के बाद आनंद का सूत्र ही नहीं, स्वयं आनंद का स्वरूप भी बन जाता है।

बालक की सांवेगिक बुद्धि बढ़ने दो

❐ विजय कुमार आर्य

सामान्य बुद्धि के अंतर्गत तर्क शक्ति, विश्लेषण–संश्लेषण, स्मरण शक्ति, भाषा, चिंतन, पूर्वानुमान, गणना, क्रिया–कारण प्रभाव, सम्बन्ध स्थापना, क्यों–क्यों कैसे आभास दूरदृष्टि इत्यादि क्षमताएँ विद्यमान होती है।

आधुनिक मनोविज्ञान बुद्धि के नए आयाम सांवेगिक बुद्धि के विकास को महत्त्वपूर्ण मानता है जो संतुलित जीवन माधुर्य के लिए आवश्यक है। इतिहास में अनेक उदाहरण हैं उच्च बुद्धि लब्धि वाले व्यक्तियों ने मूर्खतापूर्ण जीवन जिया और निम्न बुद्धि लब्धि वालों ने आनंदपूर्ण सफल जीवन स्वयोग्यता से प्राप्त किया।

सांवेगिक बुद्धि में सामान्यतः निम्न व्यवहार दक्षतायें निहित हैं– उच्च सामाजिक सरोकार, अर्न्तसम्बन्ध स्थापना, नेतृत्व–पहल क्षमता, स्वयं को अभिव्यक्त करना, अन्य की अभिव्यक्ति स्वीकारना, बोलने के साथ–साथ सुनने की क्षमता, भूमिका निर्वहन, आत्मगौरव, दूसरों का आदर करना, अन्य परिस्थिति में स्वयं को प्रतिस्थापित कर समझने की क्षमता, विचार विनिमय, सिद्धांतों में लचीलापन जवाबदेहिता, जिद्दीपन का परित्याग, सामाजिक स्वीकारोक्ति, उच्च मानसिक स्वास्थ्य, भूत–भविष्य में खोने की अपेक्षा वर्तमान में जीने की कला, अन्य पर विश्वास करना, स्वयं का विश्वास जमाना, प्रेम–स्नेह, आदान–प्रदान, स्वकेन्द्रण छोड़ अन्य के जीवन में रूचि लेना, समय परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन करना, सार्थकता हेतु अभिप्रेरित होना, मनोविनोद सर्जनशीलता सहृदयता, सेवात्याग, परिवेश के सापेक्ष संवेदनशीलता, संवेग अभिव्यक्ति अन्य के सुख–दुख की अनुभूति करना इत्यादि आते हैं। पशु और मानव व्यवहार में अन्तर हैं कि पशु स्वयं को परिस्थितियों अनुसार स्वयं को ढालता है परन्तु बदलने का प्रयास नहीं करता जैसे धूप के लिए छाया में चला जायेगा परन्तु छाया की सृष्टि का प्रयास नहीं करेगा। मानव स्वविवेक से अन्य व्यक्तियों तथा वातावरण के सापेक्ष अपने व्यक्तित्व तथा विचारों में परिमार्जन करता रहता है। आज के युग में जीवन की आपाधापी, संघर्ष, प्रतियोगिताओं ने जीवन सुरभि समाप्त करके इसे कुण्ठाग्रस्त, बोझिल, तनावग्रस्त बना दिया है। हमारी शिक्षण संस्थाओं में भी सांवेगिक बुद्धि विकास के योजनाबद्ध कार्यक्रमों का अभाव है। क्योंकि वर्तमान शिक्षा पद्धति तोतारटन्त, सारहीन सूचना स्थानान्तरण पद्धति का निर्वहन मात्र है। मानव की जीवन्तता नष्ट करके उसे कम्प्यूटर की हार्ड डिस्क जैसी मशीनों में परिवर्तित कर दिया जाता है।

सांवेगिक बुद्धि विकास हेतु निम्न उपक्रमों की उपादेयता धनात्मक हो सकती है–सह शिक्षा, सह शैक्षिक गतिविधियाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भ्रमण, खेल, गतिविधियाँ, समूह नृत्य, विचार अभिव्यक्ति अवसर, पारस्परिक अन्तक्रिया स्वतंत्रता, मोबाइल प्रयोग, टी.वी. के रोमांटिक नाटक, अभिनय, रोमांस के अवसर, संवाद व वाद–विवाद, समूहचर्चा कार्यक्रम, मूल प्रवृत्तियों के परिमार्जन के प्रयास, कठोर अनुशासन, थोपे गये नैतिक प्रतिमान, कोरा आदर्शवाद, यौन अभिरुचियों का दमन, अतृप्ति, अति महत्वाकाँक्षा, बलपूर्वक स्मरण, अकेलापन, विविधता रहित नीरस वातावरण, स्वार्थीपन इसको मंदित करते हैं।

आधुनिक शिक्षाविद् इसका महत्व स्वीकारते हुए अलग पीढ़ी का दामन खुशियों से भरना चाहते हैं और संवेदनशील मनुष्य को वैश्विक मानव मंच पर पहुँचाना चाहते है जो गम और खुशियों में एक दूसरे के साथ–साथ हैं क्योंकि मानव मंच पहुँचाना चाहते है जो गम और खुशियों में एक दूसरे के साथ–साथ हैं क्योंकि मानव अन्ततः एक सामाजिक प्राणी है। सांवेगिक बुद्धिजीवी को हृदय की धड़कन अनेक लोगों की धड़कन से जुड़ जाती है।

''मैंने चखा, तूने चखा कइयो ने,
धन्य ए फल मधुर! तू न छिपा पत्तियों में!!''

प्राध्यापक
राजकीय आदर्श उ.मा. विद्यालय
थिरपाली, बड़ी (चूरू)

राजकीय विद्यालय विशेष

राजकीय विद्यालय में अध्ययन के लाभ

❐ शेरसिंह बारहठ

सन् 1947 में देश ने पराधीनता से मुक्ति पाकर स्वतंत्रता के प्रकाश में अपनी आँखें खोली। आज हम अपनी सम्प्रभुता के स्वामी हैं। अपने कर्त्तव्यों का पालन करके अधिकारों का उपभोग करते हैं। देश के संविधानानुसार हमें शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आज तक राजस्थान की सरकार ने शिक्षा पर अरबों रुपये व्यय करके राज्य के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों को शिक्षण हेतु सुविधाओं से परिपूर्ण बना दिया है। फिर भी विचारणीय है कि राजकीय विद्यालयों के प्रति अपेक्षित लगाव कम है। अतः प्रस्तुत आलेख में प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में प्रवेश दिलाने का क्या औचित्य है।

1. **राजकीय विद्यालयों हेतु भवनों की उपलब्धता:** राज्य के प्रत्येक स्तर के विद्यालय ऐसे भवनों में संचालित हैं जो भामाशाहों और सरकार के सहयोग से निर्मित हैं। बहुत से विद्यालयों में विद्युत, पंखे, वाटर कूलर आदि की सुविधाएँ होती हैं। कक्षाकक्ष फर्नीचर से युक्त होते हैं। ऐसे विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के लिए पृथक-पृथक शौचालय बने हुए होते हैं। अतः ऐसे विद्यालयों में प्रवेश का ठोस आधार है।
2. **खेल-कूद की सुविधाएँ:** राजकीय विद्यालयों में खेल के मैदान उपलब्ध हैं। छात्र-छात्राएँ अपनी रुचि के अनुसार खेलों में भाग लेकर अपनी प्रतिभा को निखार सकती हैं। क्योंकि अध्ययन के साथ खेल जीवन के अभिन्न अंग होते हैं। विजयी विद्यार्थी पदक प्राप्त कर राष्ट्र को गौरव प्रदान करते हैं।
3. **सरकारी शिक्षा निःशुल्क है :** राजकीय विद्यालयों में प्रथम कक्षा से 8 वीं कक्षा तक पढ़ने वाले छात्र तथा 12 तक छात्राएँ शिक्षण शुल्क से मुक्त हैं। केवल 9वीं से 12वीं कक्षा तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं से S.U.P.W. बालचर और दुर्घटना बीमा से सम्बन्धित शुल्क अति अल्प मात्रा में लिया जाता है। जबकि निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर अभिभावक को दस हजार रुपयों से एक लाख रुपयों तक व्यय करना पड़ता है।
4. **सरकारी विद्यालयों में पाठ्य सहगामी गतिविधियों की सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं:** राज्य के राजकीय विद्यालयों में विविध विषयों के अध्ययन के साथ छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु बालचर, N.C.C. और N.S.S.(राष्ट्रीय सेवा योजना) जैसी गतिविधियों का संचालन किया जाता है। विद्यार्थियों को अपनी रुचि, कुशलता और क्षमता के अनुसार इन क्रियाओं में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। बालचर (स्काउट) राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त कर विदेशों में जाकर राज्य और देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। N.C.C. में C प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले विद्यार्थी सेना में उच्च पद प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाण पत्र उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने हेतु सहायक होता है।
5. **छात्राओं को साइकिल वितरण की सुविधा:** राजकीय विद्यालयों में सरकार की जनकल्याणकारी नीति के अनुसार 9 वीं कक्षा से 12 वीं कक्षा तक अध्ययन करने वाली छात्राओं को साइकिलें दी जाती हैं। गाँवों से आकर शहरों में पढ़ने वाली छात्राओं को विशेष लाभ होता है।
6. **पुस्तकों का निःशुल्क वितरण:** राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा प्रथम से 12 वीं तक प्रत्येक छात्र-छात्रा को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क वितरित की जाती है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बालक बालिकाओं को विशेष लाभ होता है।
7. **निर्धन छात्र-छात्राओं की सहायता:** राजकीय विद्यालयों में भामाशाहों का जुड़ाव होने के कारण उदार चरित भामाशाह निर्धन परिवारों के छात्र-छात्राओं को आवश्यकतानुसार गणवेश, जूते, चप्पल, जर्सी (स्वेटर) आदि प्रदान करते हैं।
8. **प्रतिभाशाली छात्राओं को पुरस्कार की सुविधा:** राजकीय विद्यालयों में कक्षा 10 व 12 में बोर्ड परीक्षा में 75% अथवा अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को गार्गी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उच्च माध्यमिक कक्षा में 75% और अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें लेपटॉप पुरस्कार स्वरूप प्रदान किये जाते हैं।
9. **छात्रवृत्तियों की सुविधा:** राज्य के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राएँ अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियाँ प्राप्त कर लाभ उठाते हैं। राजस्थान मा. शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं में योग्यता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। उच्च माध्यमिक परीक्षा में योग्यता सूची में स्थान प्राप्त करने विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सरकार विशेष छात्रवृत्ति प्रदान करती है। सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को भी छात्रवृत्तियों का लाभ प्राप्त होता है।
10. **विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण:** राज्य के सभी स्तर वाले राजकीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण होता है। ऐसे विद्यालयों में अध्यापन करने वाले शिक्षक एवं शिक्षिकाएँ दो वर्ष तक बी.एस.टी.सी. और बी.एड. का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात् राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में योग्यता के आधार पर चयनित होते हैं। ऐसे शिक्षक अपने विषयों के विशेषज्ञ होते हैं। वे विद्यार्थियों

को स्तरानुकूल अध्यापन कराते हैं और अपने विषय का गहन ज्ञान विद्यार्थियों को प्रदान करते हैं।

11. **अनुशासन एवं नैतिक शिक्षा :** राज्य के सभी स्तरों वाले विद्यार्थियों में शिक्षक अनुशासन पर बल देते हैं ताकि विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त करके विद्यार्थी अपने भावी जीवन में जटिल चुनौतियों का कुशलता से सामना कर सके। किसी विद्वान ने सच ही कहा है कि देश की निधि बैंकों में नहीं विद्यालयों में निहित होती है। विद्यालयों में प्रार्थना स्थलीय कार्यक्रम रोचक होता है। विद्यार्थी पुस्तकीय कीड़े और कूपमण्डूक न रहे, इस हेतु उन्हें समाचार वाचन और सामान्य ज्ञान का अध्यापन कराया जाता है। देश के नौनिहालों को आदर्श नागरिक बनाने हेतु नैतिक शिक्षा प्रदान की जाती है।

12. **कुशल संस्था प्रधानों का नेतृत्व:** राजकीय विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य शिक्षाविद् और अनुभवी होते हैं क्योंकि वे शिक्षा की अनेक जटिल समस्याओं का समाधान कर चुके होते हैं। जीवन के उतार-चढ़ावों के थपेड़ों का सामना कर चुके होते हैं। अतः ऐसे संस्था प्रधान कुशलता और निपुणता से संस्थाओं का संचालन करते हैं। वे सरकार और अपने उच्च अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विद्या के पावन मंदिरों में अध्ययनरत विद्यार्थी भी उन्हें आदर्श मानकर जीवनभर उनके गुणों का अनुसरण करते हैं।

अतः अभिभावकों को राजकीय विद्यालयों में अपने बच्चों का प्रवेश कराना चाहिये, जिससे वे निःशुल्क प्राप्त होने वाली सुविधाओं का लाभ उठाकर कर्मठ, कर्त्तव्यपालक, मेधावी, कर्मवीर और संस्कारवान बनकर अपने भावी जीवन को उज्ज्वल बनाकर प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहें। इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता कि प्रशासकीय सेवाओं में अधिकांश उन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है जिन्होंने राजकीय विद्यालयों में अध्ययन किया है।

पूर्व व्याख्याता
करणी कुँज, हरिओम कॉलोनी, सांभरलेक, जयपुर
मो. 9460501741

प्रार्थना

विद्यालय में प्रार्थना-सभा

❒ उदयलाल सैन

प्रार्थना : प्रभु की वंदना ही प्रार्थना की पारंपरिक ऊर्वरा भूमि है। विद्यालय जीवन में स्कूल, घंटी, उपस्थिति, पाठ्यक्रम, परीक्षा, प्रतियोगिता, पुरस्कार आदि जिन महज औपचारिकताओं के सहारे जीवित है, उनमें से एक अपरिहार्य औपचारिकता प्रार्थना है। प्रार्थना हर विद्यालय में हमेशा होती है, इसलिए कुछ होने का आभास देती है। इस हेतु विद्यालय में एक प्रार्थना सभा स्थल होता है, जो वह मंच होता है जहाँ पर सभी शिक्षक, छात्र-छात्राएँ एक साथ एकत्रित होते है।

प्रार्थना सभा क्या है ?:- प्रार्थना सभा द्वारा किसी भी कार्य की सुखद शुरूआत के लिए प्रार्थना करवायी जाती है। प्रार्थना से भीतरी शांति प्राप्त होती है, शैक्षणिक वातावरण में सुधार के साथ-साथ विद्यार्थियों की स्वस्थ एकाग्रता में वृद्धि होने से बौद्धिक विकास एवं समवेत स्वर में प्रार्थना करने से भावात्मक एकता विकसित होती है। प्रार्थना सभा विद्यालय का आईना है, साथ ही प्रार्थना का प्रायोजन उसकी घोषित भावनाओं की वास्तविकता है।

उद्देश्य:- (1) आध्यात्मिक विचारों की क्षमता पैदा करना व शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करना। (2) अनुशासन एवं उत्तरदायित्व की भावना जाग्रत करना। (3) आत्मिक शांति एवं आत्म विश्वास बढ़ाना। (4) नवाचार, एकाग्रता, संस्कार निर्माण, जीवन मूल्य एवं नेतृत्व भावना का विकास करना। (5) महापुरुषों के बताये मार्ग का अनुकरण करने की भावना जाग्रत करना। (8) विद्यार्थियों में अभिव्यक्ति की भावना जाग्रत करना।

प्रार्थना सभा कार्यक्रम कैसे ?:- (1) विद्यार्थियों को प्रार्थना सभा स्थल पर शांतिपूर्वक कक्षावार, कदवार एवं पंक्तिबद्ध रूप से बैठना। (2) प्रार्थना सभा कार्यक्रम में वाद्य-यंत्रों का उपयोग करते हुए लय एवं ताल से गान कराया जाना। (3) प्रार्थना सभा का आयोजन कभी-कभी छात्रों द्वारा कराना। (4) महाप्राण ध्वनी उत्पन्न करना। (5) समाचार एवं अनमोल वचन का छात्रों द्वारा पाठन। (6) नैतिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, योग पर अध्यापकों द्वारा प्रवचन चर्चा। (7) संस्था प्रधान जी द्वारा समय-समय पर मार्गदर्शन। (8) प्रार्थना सभा में ही छात्रों की स्वच्छता का निरीक्षण करना।

विद्यार्थियों से अपेक्षा:- (1) प्रार्थना स्थल पर आने के बाद प्रार्थना स्थिति में बैठे। (2) प्रार्थना का उच्चारण स्पष्ट हो। (3) प्रार्थना-सभा में आते-जाते समय पंक्ति में चले। (4) प्रार्थना-सभा में वार्तालाप न करें। (5) प्रार्थना एकाग्रमन से करें।

विशेष:-(1) संस्था प्रधान, समस्त अध्यापक एवं विद्यार्थी सभी की अनिवार्यतः प्रार्थना सभा में सहभागिता सुनिश्चित होना। (2) विद्यालय में विलम्ब से आने वाले विद्यार्थियों को अलग से पंक्तिबद्ध बैठाकर उन्हें समय पर आने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना। (3) प्रार्थना कार्यक्रम इस प्रकार से सम्पादित हो कि सभी कक्षाओं के छात्र-छात्राओं की इस कार्यक्रम में भागीदारी बने। (4) इस कार्यक्रम में आवश्यक परिस्थिति अनुसार संशोधन कर विद्यालय से लागू किया जा सकता है।

प्रार्थना देश व समाज की परिस्थितियों से जुड़ी हुई भावना है:- जो महज एक रस्म नहीं है, विद्यालयी प्रार्थना में ईश्वर का स्वरूप निराकार मिलता है तो कही विशुद्ध अवतारवाद। प्रार्थना एक जागरण का मंत्र है जिससे मिलता जुलता लौकिक-करिश्मा समाज में दिखाई देता है, अभिव्यक्त स्तुति का वास्तविक लक्ष्य भले ही परलौकिक व आध्यात्मिक हो, वह समाज की स्थापित शक्तियों के पोषण में सहायक सिद्ध होती है।

प्रार्थना एक जीवनदर्शन है: जो विद्यालयी सभ्यता में अनुशासन की अवधारणा सीधे-सीधे त्याग से संबंधित है, विद्यालयी

दैनिक कार्यक्रम में प्रार्थना की महत्ता, कई शिक्षकों को यही लगती है कि प्रार्थना के बहाने सभी विद्यार्थी व शिक्षक एक स्थल पर एकत्रित हो जाते है, शिक्षक व विद्यार्थी सोचते है कि प्रार्थना के दौरान एक जैसे परिधान में सभी विद्यार्थियों को व्यवस्थित रूप से इकट्ठे देखकर उनमें गर्व उत्पन्न होता है। दिनचर्या के रूप में प्रार्थना एक संस्कार मन पर छोड़ती है जिसका शाब्दिक अर्थ तर्क बुद्धि से परे होता है आधुनिक समय में प्रार्थना एक महत्वपूर्ण घटक है। जिससे राष्ट्र एक सूत्र में बंधा रहे। प्रार्थना से सुसंगठित विद्यालय व्यवस्था स्थापित होती है हम इसे एक उदाहरण द्वारा समझ कर तथा इसके अनुरूप विद्यालय में लागू कर प्रार्थना कार्यक्रम संचालित कर सकते हैः–

उदाहरणः प्रति सप्ताह निम्न दलानुसार व कार्यक्रमानुसार प्रार्थना सभा सम्पन्न कराना।

क्र. सं.	वार	1	2	3	4	5	6	7	दल का नाम (इच्छानुसार)
	समय	3 मिनिट	3 मिनिट	5 मिनिट	4 मिनिट	10 मिनिट	3 मिनिट	2 मिनिट	कुल 30 मिनिट
1	सोमवार	राष्ट्रगीत	प्रार्थना	समूह गान/	समाचार	सूर्य नमस्कार	प्रतिज्ञा	राष्ट्रगान	प्रताप दल
2	मंगलवार	राष्ट्रगीत	प्रार्थना	देशभक्ति	समाचार	ध्यान/आसन/	प्रतिज्ञा	राष्ट्रगान	शास्त्री दल
3	बुधवार	राष्ट्रगीत	प्रार्थना	गीत/प्रेरक	समाचार	प्राणायाम/महाप्राण	प्रतिज्ञा	राष्ट्रगान	नेहरु दल
4	गुरुवार	राष्ट्रगीत	प्रार्थना	प्रसंग/श्लोक	समाचार	ध्वनि/कायोत्सर्ग/	प्रतिज्ञा	राष्ट्रगान	सुभाष दल
5	शुक्रवार	राष्ट्रगीत	प्रार्थना	पाठ/	समाचार	प्रेक्षा ध्यान/	प्रतिज्ञा	राष्ट्रगान	गाँधी दल
6	शनिवार	राष्ट्रगीत	प्रार्थना	अनमोल वचन	समाचार	सूक्ष्म व्यायाम	प्रतिज्ञा	राष्ट्रगान	शिवाजी दल

प्रार्थना सभा में दल प्रभारियों/कक्षा अध्यापकों का सान्निध्य निम्नलिखित दलानुसार होगाः–

क्र. सं.	दल का नाम (इच्छानुसार)	कक्षा व रजिस्टर क्र.	प्रार्थना का नाम (इच्छानुसार)	दल प्रभारी/कक्षा अध्यापक का नाम	हस्ताक्षर
1	प्रताप दल	.....	हे शारदे माँ, अज्ञानता से तार दे माँ...	.....	.....
2	शास्त्री दल	.....	दया कर दान भक्ति का, हमें परमात्मा देना...	.....	.....
3	नेहरु दल	.....	इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना...	.....	.....
4	सुभाष दल	.....	तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ...	.....	.....
5	गाँधी दल	.....	हे स्वर की देवी माँ वाणी में मधुरता दो...	.....	.....
6	शिवाजी दल	.....	तुम सच्चे मन से याद करो, भगवान मिलेंगे कहीं ना कहीं...	.....	.....

वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक
रा.उ.मा.वि. पुलिस लाइन, भीलवाड़ा **मो. 94145 73636**

आवश्यक सूचना

'शिविरा' मासिक पत्रिका में रचना भेजने वाले अपनी रचना के साथ व्यक्तिगत परिचय यथा– नाम, पता, मोबाइल नंबर, बैंक का नाम, शाखा, खाता संख्या, आईएफएससी नंबर एवं बैंक डायरी के प्रथम पृष्ठ की स्पष्ट छायाप्रति अवश्य संलग्न करके भिजवाएँ। कुछ रचनाकार एकाधिक रचनाएँ एक साथ भेजने पर एक रचना के साथ ही उक्त सूचनाएँ संलग्न कर दायित्वपूर्ति समझ लेते हैं। अतः अपनी प्रत्येक रचना के साथ अलग से पृष्ठ लगाकर प्रपत्रानुसार अपना विवरण अवश्य भेजें। इसके अभाव में रचना के छपने एवं उसके मानदेय भुगतान में असुविधा होती है। कतिपय रचनाकार अपने एकाधिक बैंक खाता लिखकर भिजवा देते हैं और उक्त खाते का उपयोग समय–समय पर नहीं करने के कारण वह बंद भी हो चुका होता है। परिणामस्वरूप उक्त मानदेय खाते में जमा नहीं हो पाता। जिसकी शिकायत प्राप्त होती है। किसी रचनाकार के एकाधिक खाते हैं तो रचनाकार अपने SBBJ बैंक खाते को प्राथमिकता देकर अद्यतन व्यक्तिगत जानकारी उपर्युक्तानुसार प्रत्येक रचना के साथ अलग–अलग संलग्न करें। –वरिष्ठ संपादक

शैक्षिक चिन्तन

तनाव प्रबंधन एवं शिक्षा व्यवस्था

❒ सरोज राठौड़

तनाव से हर कोई परिचित है, क्योंकि तनाव ने हर मनुष्य के जीवन में अपनी जगह बना ली है। जब व्यक्ति की ईच्छा पूर्ति नहीं होती है, तो उसे तनाव उत्पन्न हो जाता है। संतुष्टि उत्तम सुख तथा असन्तुष्टि तनाव का जनक है। इस प्रकार तनाव व्यक्ति की वह मानसिक स्थिति है, जिसे वह आवश्यकता की पूर्ति न होने के पश्चात् अनुभव करता है। गतिरोध एवं बाधा उत्पन्न होने पर भी तनाव उत्पन्न हो जाता है। गेट्स के अनुसार ''तनाव असंतुलन की वह दशा है जो शरीरधारी को अपनी उत्तेजित दशा का अन्त करने हेतु कुछ कार्य करने के लिए विवश करती है।''

स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हो या कॉलेज में पढ़ने वाला किशोर, जीवन की हर अवस्था में तनाव का प्रवेश हो गया है और हो भी क्यों नहीं, आज हर व्यक्ति जीवन की एक ऐसी दौड़ में शामिल है जिसमें परिस्थितियाँ उसके ऊपर दबाव डालती है।

मनोविज्ञान के अनुसार जिंदगी में तनाव ही है, जो मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए धक्का देता है, लेकिन यदि तनाव जब जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो ढेर सारी परेशानियों का सबब बन जाता है और इनमें प्रमुख रूप से सबसे पहले स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ आती है। रिश्तों के समीकरण गड़बड़ाते हैं और जिस क्षेत्र में हम कार्य करते हैं वहाँ का कार्य उत्पादन भी प्रभावित होता है। तनाव होने पर कभी लोग इससे जूझ जाते हैं और कभी इसके सामने घुटने टेक देते हैं। अपनी पराजय मान लेते हैं। जो व्यक्ति तनाव से जूझ जाते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं। देखा जाये तो तनाव हमें उन कार्यों से अधिक होता है जिनमें मानसिक रूप से कार्य करना पड़ता है। दिमाग अधिक लगाना पड़ता है, यदि इन कार्यों के अभ्यस्त हैं तो परेशानी नहीं होती, अन्यथा इस तरह के कार्यों की पूरी सहजता के साथ न कर पाने के कारण तनाव होता है। जैसे बच्चों द्वारा गणित की समस्याओं को हल न कर पाने पर तनाव, प्रतिदिन का होम वर्क न करने पर तथा बाद में बहुत सारा होमवर्क (गृहकार्य) एक साथ पूरा करने का तनाव आदि।

तनाव के कारण:– इनमें से एक कारण मिलने वाले परिणामों की आशंका के कारण उत्पन्न होने वाला तनाव है, जैसे परीक्षा से मिलने वाले परिणामों की आशंका से उत्पन्न तनाव, परिणामों की आशंकाओं के कारण उत्पन्न तनाव को दूर करने का एक उपाय यह भी है कि हम खाली न बैठें अध्ययन करते रहें। इस तरह मन पर तनाव हावी नहीं होगा।

बालकों में होने वाला तनाव प्रमुखतः शिक्षा से प्रभावित होता है। शिक्षा के प्रमुख कारक–शिक्षक, शिक्षार्थी, विषयवस्तु होते है। यदि इन तीनों का उचित मात्रा में समायोजन होता है तो शिक्षा में बालक के लिए कोई तनाव नहीं होगा लेकिन यदि कहीं असंतुलन पाया जाता है तो तनाव होना स्वाभाविक है।

दूसरी तरफ बालकों में तनाव की प्रवृत्ति जीवन शैली से उत्पन्न होती है। बालकों के भोजन में पौष्टिकता हो, समय पर सोये और समय पर उठे। शारीरिक व्यायाम एवं ध्यान साधना के लिए भी समय दें ताकि शारीरिक तन्दुरुस्ती के साथ–साथ मानसिक शक्तियाँ भी विकसित हो सके और क्षमताओं का परिपूर्ण विकास कर सके।

बालक का तनावग्रस्त होना जो कि आज की शिक्षा प्रणाली से भी होता है जो उसके समस्त जीवन को प्रभावित करता है। बालक राष्ट्र की सम्पत्ति है एवं राष्ट्र का भविष्य एवं कर्णधार है। बालकों के वृद्धि एवं विकास पर अनेक कारकों का प्रभाव पड़ता है। स्वस्थ बालक राष्ट्र का विकास एवं अस्वस्थ बालक राष्ट्र को कमजोर करता है। यदि बालक मानसिक रूप से तनावग्रस्त होगा तो न ही राष्ट्र की सम्पत्ति बन पायेगा और न ही राष्ट्र का कर्णधार। वह दूषित एवं तनावग्रस्त प्रवृत्तियों के कारण सही दिशा की ओर नहीं बढ़ पाएगा।

तनाव के कई कारण हो सकते हैं। परिवार, मित्रमण्डली, विद्यालय, पाठ्यक्रम, अनुशासन की मात्रा, शिक्षण विधियाँ आदि। परिवार से उत्पन्न तनाव का प्रभाव मित्रमण्डली, विद्यालय पर पड़ता है जबकि विद्यालय से उत्पन्न तनाव परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व के लिए घातक होता है। बालक के भौतिक माता–पिता उसके जन्मदाता होते हैं। जबकि आध्यात्मिक माता–पिता उसके गुरु होते है। यदि गुरु ने ही दूषित एवं संक्रमित शिक्षा बालक के मस्तिष्क में प्रविष्ट कराई है, तो वह सदैव तनावग्रस्त ही रहेगा।

शिक्षा से उत्पन्न तनाव का परिणाम:– भारत का युवा बेरोजगार रहना सहन नहीं कर सकता, इसलिए वे आंशिक रोजगार में आ जाते हैं। जहाँ उन्हें बहुत कम मेहनताना मिलता है। नौकरी में कोई सुरक्षा नहीं होती एवं उन्हें औपचारिक प्रशिक्षण का कोई अवसर भी यहाँ नहीं मिलता है। भारत के युवा में निंदात्मक आचरण के तमाम साक्ष्य भी देखे जा सकते है। जिसमें आत्महत्या भी एक है।

छात्रों का तनाव एवं शिक्षा से उत्पन्न खिन्नता को दूर करने के लिए उन्हें यह समझाया जाये कि सफलता का कोई Shortcut (शौर्टकट) नहीं होता। अभिभावकों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वे अपने किशोरवय खासतौर पर युवा बच्चों के साथ संवाद स्थापित करे। अकसर लोग समस्या से भागने की कोशिश करते है, उन्हें लगता है कि इसे बताने से लोग क्या कहेंगे।

नवाचार आधारित हो पढ़ाई:– वर्तमान में हमारी शिक्षा नीति कैरियर आधारित है जो किसी भी तरह सिर्फ पैसा अर्जित करने पर केन्द्रित है न कि रोजगार सृजन आधारित, नवाचार आधारित, नवसृजन आधारित, जबकि हमारी परम्परागत शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों के भारत आने से पूर्व रोजगार सृजन आधारित, नवाचार आधारित थी। जहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग की बहुत बड़ी अहमियत थी, तभी तो हम लोग उस समय दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में देश की चारों दिशाओं के लोगों के विकास में सहयोगी रहते थे।

क्योंकि हर क्षेत्र अपने यहाँ उपलब्ध संसाधनों वस्तुओं का निर्माण करता था। सरकार चाहे तो अपनी नीतियों से फिर से उस शिक्षा प्रणाली को जीवंत कर सकती है। उसे आज के अनुरूप प्रासंगिक बनाकर, साथ ही उच्च शिक्षा संस्थान का निर्माण करके।

तनाव प्रबंधन के उपायः– जीवन एक कला है और इस कला को बड़ी ही कुशलता के साथ जीना चाहिए जिसे जीवन जीने की कला आ गई, वह कभी तनावग्रस्त नहीं हो सकता।

प्रसन्न रहें, आस्तिक बनें, तनाव नहीं सताएगाः– तनाव आधुनिक शैली का अंग बन गया है। यह महामारी का रूप धर, भय एवं आतंक पैदा कर रहा है तथा अनगिनत समस्याओं का कारण बन गया है। एक तो बेवजह तनाव पैदा होता है और उससे अकारण भय की पैदाइश होती है। तनाव एवं भय का संबंध गहरा है। एक होगा तो दूसरे की उपस्थिति अपने आप हो जाती है। दरअसल तनाव एक ऐसी अवस्था हैं जिससे हमारी शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जाओं की मांग बढ़ जाती है और वे नष्ट भी होने लगती है। इससे हमारी क्रियाएँ भी बाधित होती है। यह हमारी शारीरिक एवं मानसिक साम्यावस्था को भंग कर देता है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियाँ भी जन्म लेने लगती है।

तनाव कई कारणों से जन्म लेता है। इसके पीछे शारीरिक एवं मानसिक दोनों वजह हो सकती है। शारीरिक कारकों में सिरदर्द, अस्थमा, डायबिटीज, हृदय रोग, सर्दी, जुखाम, केंसर आदि हो सकते हैं एवं मानसिक कारकों में अनिद्रा, चिन्ता, अवसाद आते हैं। इससे संबंधित और भी अनेक ऐसे कारण है जिनसे तनाव पैदा होता है। आजकल तनाव का पैदा होना सामान्य सी बात है। कभी बड़ों में पाई जाने वाली यह समस्या वर्तमान में नादान बच्चों को भी अपनी गिरफ्त में कर रही है।

तनाव पैदा हुआ है, यह कैसे जाने? इस संदर्भ में मनोवैज्ञानिक कहते है कि जब हमारी मांसपेशियाँ थकने–टूटने लगती है, आलस्य एवं तन्द्रा घेरने लगे, कभी भी और किसी भी समय चिन्ता उठने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हम इसकी गिरफ्त में आ गये है।

तनाव हमारी मानसिकता का अंग बन गया है। कुछ लोग इसे अपना साथी सहचर मानकर अपने पास बनाए रखने में भरोसा रखते है और बिना कारण तनाव होने का ढोल पीटते रहते है। कुछ लोग सचमुच में तनाव पैदा करते है, इनकी संख्या 5% होती है। हालांकि ये कम होते है, परन्तु इनकी मानसिकता नकारात्मकता से भरी होती है और ये संक्रामक रोग के समान तनाव परोसते रहते है, भावुक लोगों को इनकी संगति से सर्वथा बचना चाहिए। मानव जीवन असीम ऊर्जा का भण्डार है। यह ऊर्जा जब नकारात्मक चीजों में खपने लगती है तथा रचनात्मकता के लिए कमी पड़ जाती है तो तनाव पैदा होता है। अतः इसका तात्पर्य है कि तनाव के लिए हम स्वयं दोषी है। यदि ऊर्जा का संतुलन, नियमन एवं सुनियोजन होने लगे, तो भी तनाव नहीं रहेगा, दरअसल हमारे लक्ष्य और सपने इतने बड़े नहीं होते, जितना कि तनाव का विशालकाय पहाड़। हमारे अधिकतर कार्य इसलिए अधूरे छूट जाते हैं। क्योंकि हम मान लेते हैं कि ये तनाव एवं परेशानी देंगे। जबकि वास्तविकता इससे भिन्न एवं अलग है। अगर इसकी वजह को, शांत मन से तलाशा जाय तो कहीं भी तनाव नहीं होता है। यह तो एक काल्पनिक डर होता है। यही वजह है कि कुशल एवं प्रतिभाशाली भी श्रेष्ठ कार्य को अधूरा छोड़ देते है।

मानव जीवन में खुशियों के अनगिनत पल घुले हैं। मुस्कुराहट एवं उत्साह में ये निखर उठते हैं। तनाव को जो जीवन का अविभाज्य अंग बना दिया गया है। वह वास्तविक नहीं। तनाव जीवन शैली भी नहीं है, जो कि वर्तमान में बना दी गई

है। यह हमारी अपने शरीर, मन, संवेदनाओं और ऊर्जा को व्यवस्थित कर पाने की अयोग्यता है। जब इनके बीच असंतुलन एवं असामंजस्य पैदा होता है तो तनाव के रूप में एक अवांछित तत्व प्रकट होता है। तनाव प्रकृति, तन्त्र और अपने आसपास के परिवेश की कार्य प्रणाली की समझ की कमी और सही तरीके का इस्तेमाल न कर पाने की अयोग्यता है।

तनाव है, इसका तात्पर्य है कहीं कोई समझ–सामंजस्य नहीं है। यदि समझ आ जाये तो तनाव रहेगा ही नहीं। समझदारी के अभाव में तनाव घर कर लेता है। अपनी गिरफ्त में कस लेता है।

इससे हमारा आत्मविश्वास डिगता है और हम हर किसी को शक एवं संदेह से देखने लगते है। कभी भी कोई हमारे जीवन या गतिविधियों के बारे में कुछ उपहार, उपेक्षा या कटाक्ष कर देता है तो इससे हम परेशान होकर तनावग्रस्त हो जाते हैं ऐसी स्थिति यदि मन में लंबे समय तक बनी रहे, तो हम स्वयं को नकारात्मक ढंग से लेने लगते हैं और कही हुई बातों के अनुसार स्वयं को अक्षम एवं असमर्थ महसूस करते हैं।

1. जब व्यक्ति अंदर से नकारात्मकता से भरा रहता है तो अपने को चारों ओर से बंद कर देता है। वह कुछ भी नहीं बोलता है और जब बोलने को होता है तो आवेशग्रस्त होकर बोलता है।
2. जो जीना चाहते हैं और जिनमें जीवन के प्रति अगाध निष्ठा है उनके लिए तनाव एक चुनौती के रूप में आता है। ऐसे लोग तनाव से भयभीत नहीं होते, बल्कि उससे निकलकर कुछ नया एवं अच्छा करने की न केवल ठान लेते हैं, बल्कि कुछ नया करके दिखा देते हैं।
3. तनावमुक्त जीवन के लिए जीवन में ऐसी छोटी चीजों की तलाश करनी चाहिए जो हमें खुशी प्रदान करती है। जीवन में इन चीजों में बढ़ोतरी करनी चाहिए और उनसे बचना चाहिए जो हमें तनाव देती है। संबंधों में भी खुशी बाँटने का प्रयास करना चाहिए। इन्सान की दुखती रग को न तो स्पर्श करना चाहिए और न करने देना चाहिए। कोई यदि ऐसी तनाव वाली बात करे तो भी शांत एवं चुप रहना चाहिए।

जीवन में खुश एवं प्रसन्न रहने की कला सीखनी चाहिए। यही तनाव को कम करने का सर्वोत्तम माध्यम है।

विद्यालय एवं शिक्षक की भूमिका:– तनाव एवं असंतोष के कई कारण हो सकते है- जैसे प्राकृतिक कारण, भूचाल, बाढ़, अनावृष्टि, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण जैसे-धार्मिक नियम, जातिगत नियम, नैतिक कारण, व्यक्तिगत दोष एवं सीमाएं जैसे- विकलांगता, परस्पर विरोधी आवश्यकता एवं प्रथाएँ आदि। विद्यालय में बालक के समायोजन में अध्यापक का कार्य महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक को शिक्षार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य बनाये रखने, मानसिक अस्वस्थता को रोकने और मानसिक स्वास्थ्य की उन्नति के लिए निम्न तथ्यों की ओर ध्यान देना आवश्यक है।

1. **प्रेमपूर्ण व्यवहार–** शिक्षक बालकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करे। सभी विद्यार्थियों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करे।
2. **स्व अनुशासन–** कठोर अनुशासन से मानसिक अस्वस्थता बढ़ती है। अतः अनुशासन उत्तरदायित्व की भावना से विकसित किया जाय। सच्चा अनुशासन आत्मानुशासन होता है।
3. **उचित पाठ्यक्रम–** पाठ्यक्रम व्यक्तित्व के समस्त पहलुओं को प्रभावित करता है। अतः आवश्यक है कि उचित एवं स्तरानुसार पाठ्यक्रम निर्धारित हो।
4. **संतुलित गृहकार्य–** शिक्षार्थियों को अत्यधिक गृहकार्य के कारण मानसिक तनाव एवं चिन्ता घेरे रखती है। जिससे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः संतुलित गृहकार्य दिया जाये।
5. **खेल तथा मनोरंजन–** शिक्षार्थियों में दमित प्रेरणाएँ मानसिक अस्वस्थता उत्पन्न करती है। इनको स्वस्थ रूप में अभिव्यक्त होने का अवसर खेलों और मनोरंजन से दिया जा सकता है।
6. **शैक्षिक निर्देशन–** मनोवैज्ञानिकों की निजी सलाह द्वारा बालक की योग्यता, क्षमता एवं रुचि स्तर के अनुसार विषय चुनाव करने का निर्देशन दिया जाय।
7. **व्यक्तिगत निर्देशन–** बालक अनेक समस्याओं को नहीं सुलझा पाते और उनको सुलझाने में उन्हें मनोवैज्ञानिक उपायों द्वारा विशेष निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है।
8. **अच्छी आदतों का निर्माण–** अच्छे व्यवहार और उच्च विचार की आदतें डाली जाये।
9. **व्यावसायिक निर्देशन–** भावी व्यवसाय के चुनाव में व्यावसायिक निर्देशन की महत्ती आवश्यकता होती है। अतः उपर्युक्त प्रयासों द्वारा शिक्षा एवं मानसिक अस्वस्थता की रोकथाम द्वारा पूरे देश एवं समाज को स्वस्थ नागरिक दे सकते हैं। तनाव प्रबंधन में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान सहायक सिद्ध होगा। सामाजिक विघटन की परिस्थितियों, विभिन्न तनावों पर नियंत्रण पाना संभव हो सकेगा। अतः तनाव प्रबंधन में पारिवारिक वातावरण के साथ-साथ शिक्षा व्यवस्था का विशेष महत्व है।

व्याख्याता
स्वामी विवेकानन्द कॉलेज फॉर
प्रोफेशनल स्टडीज, सींथल, बीकानेर
मो. 9828571112

इस माह का गीत

भारतधरणीयं मामकजननीयम्

लेखक : श्री जि.महाबलेश्वरभट्टः

आभेरीराग: **आदिताल:**

भुवमवतीर्णा नाकस्पर्धिनी
भारतधरणीयं, मामकजननीयम्।।

शिरसि हिमालय-मुकुट-विराजिता
पादे जलधिजलेन परिप्लुता
मध्ये गंङ्गापरिसरपूता
भारतधरणीयं, मामकजननीयम्।। 1।।

काश्मीरेषु च वर्षति तुहिनम्
राजस्थाने प्रदहति पुलिनम्
मलयस्थाने वाति सुपवनः
भारतधरणीयं, मामकजननीयम्।। 2।।

नानाभाषि-जनाश्रय-दात्री
विविध-मतानां पोषणकर्त्री
नानातीर्थ-क्षेत्रसवित्री
भारतधरणीयं, मामकजननीयम्।। 3।।

पुण्यवतामियमेव हि नाकः
पुण्यजनानां रुद्रपिनाकः
पुण्यपराणामाश्रयलोकः
भारतधरणीयं, मामकजननीयम्।। 4।।

संकलनकर्ता–**कुन्दन जीनगर**
शास्त्री प्रथम वर्ष
रा. गंगा शार्दूल संस्कृत महाविद्यालय, बीकानेर
मो. 8561049630

पर्यावरण

मानव जीवन के प्राण हैं वृक्ष

❒ कृष्णचन्द्र टवाणी

समुद्र मंथन के समय अमृत के साथ कालकूट विष भी निकला था। भगवान शिव ने इस विष को पीकर देवों और दानवों दोनों की रक्षा की थी। विज्ञान बताता है कि शिव की तरह वृक्ष भी कार्बन डाई ऑक्साइड रूपी कालकूट विष पीकर अमृततुल्य प्राणवायु का अनुदान वातावरण में फैला रहे हैं ताकि इस जैविक सृष्टि की रक्षा संभव हो सके। ऐसे वरेण्य हैं वृक्ष,जो सचमुच प्रणम्य हैं, शत् शत् बार प्रणम्य हैं।

इंडियन बायलोजिस्ट के अनुसार प्राणी जगत् के लिए यदि एक वृक्ष की उपयोगिता का मूल्यांकन किया जाये तो उस वृक्ष का मूल्य प्रदूषण नियंत्रण, ऑक्सीजन निर्माण, आर्द्रता नियंत्रण, मिट्टी संरक्षण, पशु-पक्षी संरक्षण, जैव प्रोटीन तथा जल क्रम निर्माण आदि में लगभग 15 लाख 70 हजार रुपये बैठता है।

पेड़ों का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है। आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा वैज्ञानिक सभी दृष्टियों से पेड़ अत्यन्त उपयोगी हैं। पर्यावरण संतुलन में पेड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इतना ही नहीं पेड़ मानव को विभिन्न औषधियाँ प्रदान करते हैं। इसीलिए पुरातनकाल से पेड़ों की पूजा की जाती है। पेड़ भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग हैं। भारतीय मनीषी पर्यावरण संरक्षण पर सदैव जोर देते आये हैं। भारत में रीति-रिवाजों व तीज-त्यौहारों के माध्यम से संरक्षण के उपाय किये जाते रहे हैं। विभिन्न अवसरों पर पेड़ लगाना उनकी जीवन पद्धति में समाहित है। भारतीय संस्कृति में अनेक विविधताओं के बाद भी पेड़ों के संरक्षण और संवर्द्धन की परम्परा अविच्छिन्न रूप से विद्यमान है। जन्म से मृत्यु तक सभी संस्कारों में पेड़ किसी न किसी रूप में काम आते हैं। **इसीलिए भारत में पेड़ लगाने को पुण्य और पेड़ काटने को पाप कार्य माना गया है।**

वनस्पति से मानव सहित सभी प्राणियों का पोषण होता है। पेड़ प्रदूषण को सोख कर

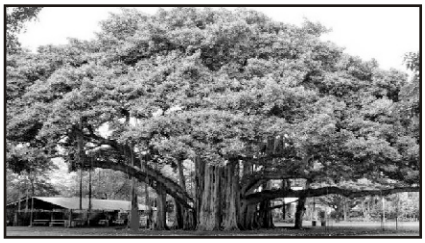

प्राणी जगत् को प्राणवायु प्रदान करते हैं। एक अनुमान के अनुसार एक हैक्टेयर क्षेत्र में सघन पेड़ एक वर्ष में लगभग साढ़े तीन टन दूषित कार्बन डाईऑक्साइड को सोखकर लगभग दो टन जीवन रक्षक आक्सीजन छोड़ते हैं। पेड़ रेगिस्तान को बढ़ने से रोकते हैं। पेड़ ध्वनि प्रदूषण को भी कम करते हैं। पेड़ों की आकर्षक शक्ति बादलों से वर्षा कराती है। पेड़ों से भोजन ही नहीं ईंधन और आवास के लिए लकड़ी भी प्राप्त होती है। पेड़ थके-हारे पथिक को छाया देते हैं। पेड़ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं। लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए बाँस, बेंत, मोम, शहद, लकड़ी, गोंद, रबर, जड़ी-बूटियाँ, कत्था, रेशम आदि की प्राप्ति वनों से ही होती है। पेड़ों की पत्तियों से कृषि के लिए खाद प्राप्त होती है। वन उत्पादों के निर्यात से देश की अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। वन औद्योगीकरण आदि से होने वाले प्रदूषण के प्रभाव को कम करने में सहायक होते हैं। पेड़ों की अधिकता भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। **वास्तव में पेड़ ईश्वर की ऐसी देन है जिसके गुणों की कोई सीमा नहीं है। पेड़ की उपयोगिता के कारण ही देश के विभिन्न अंचलों से पेड़ों को लेकर अलग-अलग परम्पराएँ प्रचलित हैं।** कहीं मनोकामना पूर्ति के लिए पेड़ों की मनौती मनायी जाती है तो कहीं पेड़ों को देवताओं के स्वरूप माना जाता है। बिहार में जब वर-वधू गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं तो वे एक पेड़ लगाते हैं। मान्यता है कि यह पेड़ जितना हरा-भरा रहता है दाम्पत्य जीवन उतना ही सुखी-संपन्न रहता है। वट वृक्ष को सुहाग प्रदान करने एवं उसकी रक्षा करने वाला माना जाता है। इसीलिए अनेक अंचलों में स्त्रियाँ ज्येष्ठ मास की अमावस्या को उपवास रखकर वट वृक्ष की पूजा करती हैं। कुछ क्षेत्रों में पुत्र प्राप्ति के लिए पीपल की पूजा की जाती है। भगवद्गीता, स्कन्दपुराण और कठोपनिषद् के अनुसार पीपल के पेड़ की जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और टहनियों में शिव का वास है। पीपल में सबसे अधिक ऑक्सीजन छोड़ने की शक्ति होती है। इसलिए पर्यावरण को शुद्ध करने में पीपल के गुणों के कारण इसको काटना या जलाना शास्त्रोचित नहीं है। बहुत से वनवासियों में यह प्रथा है कि विवाह के समय वधू महुए के पेड़ पर सिन्दूर लगाकर उससे सुहागिन होने का वर माँगती है और वर आम के पेड़ की पूजा करके अपने वैवाहिक जीवन की सफलता की कामना करता है। कुछ प्रान्तों में 'हरछठ' के दिन स्त्रियाँ झरबेरी और कांस के पेड़ों की पूजा करके अपने पुत्रों के दीर्घजीवन की प्रार्थना करती हैं। दशहरे पर शमी वृक्ष की पूजा का विधान आज भी अनेक भागों में प्रचलित है। शिवरात्रि के अवसर पर बेल पत्रों से शिव की पूजा फलदायी मानी जाती है। तुलसी को शुद्धि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए कोई भी भोग बिना तुलसी के पूरा नहीं माना जाता। तुलसी अनेक बीमारियों में रामबाण औषधि सिद्ध होती है। चंदन, नीम, बबूल आदि के पेड़ भी मानव जीवन के लिए अत्यधिक कल्याणकारी है।

ऋग्वेद और अथर्ववेद में पेड़ों के महत्व पर अधिक बल दिया गया है। ऋग्वेद में सोम वृक्ष और अथर्ववेद में पलाश वृक्ष की पूजा का वर्णन मिलता है। माँ शीतला को पलाश वृक्ष की देवी माना गया है। आज भी चेचक निकलने पर पलाश वृक्ष के नीचे निवास करने वाली माँ शीतला की पूजा की जाती है तथा नीम के पत्तों से मरीज को हवा की जाती है। नीम के पत्तों में कीटाणुओं को नष्ट करने के औषधीय गुण होते हैं। पेड़ों में पानी देना पुण्य का कार्य माना जाता है। पेड़ों के संरक्षण व संवर्द्धन के लिए यह जरूरी

भी है। संस्कृत कवि कालिदास के 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्' में वर्णन मिलता है कि शकुन्तला पेड़ों को जल दिये बिना कुछ नहीं खाती थी। वह पेड़ों से इतना प्रेम करती थी कि अपने शृँगार के लिए फूलों और पत्तों को नहीं तोड़ती थी बल्कि पेड़ों के नीचे गिरे फूल पत्तों से अपना शृँगार करती थी। समाज में आज भी ऐसी मान्यता है कि पेड़ों को नियमित पानी देने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। आज भी लोग शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाकर मन को शांत करते हैं।

हमारे ऋषि मनीषियों ने पेड़ों की पूजा का विधान बनाकर पेड़ों के संरक्षण और सम्वर्द्धन का मार्ग प्रशस्त किया। पेड़ों के विकास के लिए उन्होंने अनेक सामाजिक व धार्मिक मान्यताएँ स्थापित की। पेड़ को पुत्र के समान बताया गया है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि जो वृक्षों को काटता है वह धन व संतान से वंचित हो जाता है। पुरातन काल से पेड़ों के संरक्षण के लिए इस प्रकार का धार्मिक भय समाज में उत्पन्न किया गया था। केवल सूखे पेड़ काटे जाने को उचित माना गया था। हरे पेड़ काटने से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है। इसलिए हरे पेड़ों को काटना निषिद्ध रहा है।

वनों का भूमि, हवा और जल पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कभी-कभी वनों का प्रभाव जलवायु नियंत्रित करने वाले सभी कारकों से अधिक होता है। वनों द्वारा सूर्य के प्रकाश को सोख लिया जाता है। जिससे पर्यावरण के तापक्रम में कमी आती है किंतु **दुर्भाग्य यह है कि अज्ञानी मानव विकास की अंधी दौड़ में ही वनों को अंधाधुंध काटता जा रहा है। वनों को काटकर मनुष्य अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी चला रहा है।** उसको ध्यान ही नहीं है कि जो उसका पोषक है, वह उसी को नष्ट कर रहा है। वनों के बिना जीवन के अस्तित्त्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय वन योजना आयोग के अुनसार स्वच्छ पर्यावरण के लिए कुल क्षेत्रफल के तिहाई भाग में घने वन होना जरूरी है। भारत में प्रतिवर्ष बारह लाख हैक्टेयर वन काटे जा रहे हैं। यदि वन काटने की यही गति चलती रही तो शताब्दी के अंत तक केवल पाँच प्रतिशत भूभाग पर वन रह जाएंगे।

वनों के तीव्र गति से कटने के कारण पर्यावरण संतुलन में कमी आयी है। परिणाम स्वरूप कहीं बाढ़ का खतरा उत्पन्न हुआ है तो कहीं रेगिस्तान का विस्तार हुआ है। अंग्रेज भू-वैज्ञानिक रिजी केण्डर की खोज के अनुसार, जहाँ अब रेगिस्तान है, वहाँ पहले कभी खेती होती थी, वन भी थे और नदियाँ भी बहती थी, पर लोगों ने लकड़ी के लालच में पेड़ों को काट डाला। जिस कारण वन नष्ट हो गये और भूमि उर्वरता भी लुप्त हो गयी। नदियों का पानी भाप बनकर उड़ गया। अब बंजर रेगिस्तान शेष है। एक अध्ययन के अनुसार ईसा से लगभग तीन हजार साल पहले यह धरती भी हरी भरी थी जहाँ राजस्थान रेगिस्तान है। वैज्ञानिक ने चेतावनी दी है कि यदि वनों के विनाश को नहीं रोका गया तो राजस्थान के रेगिस्तान का विस्तार कोई नहीं रोक सकेगा। फ्रांसीसी लेखक रेनेदेवातेब्रि ने रेगिस्तानों के लिए मानव को जिम्मेदार ठहराया है, उसका कहना है कि जंगल मनुष्य के जन्म से पहले थे, रेगिस्तान मनुष्य के कारण बने है।

वन विनाश और असंतुलित औद्योगिक विकास से दिनों-दिन प्राकृतिक व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हो रही है। कार्बन डाईआक्साइड को सोखने वाले पेड़ों के अभाव में वातावरण में कार्बन डाईआक्साइड बढ़ती जा रही है। यह गैस धूप को पृथ्वी पर आने तो देती है वापस नहीं जाने देती, जिस कारण वायुमंडल का ताप धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कार्बन डाईआक्साइड की मात्रा इसी प्रकार बढ़ती रही तो अगले तीस-चालीस वर्षों में धरती का ताप 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जायेगा। परिणामस्वरूप जहाँ रेगिस्तान बढ़ सकते हैं वहीं ध्रुवों की बर्फ पिघलने से सागरों का जलस्तर ऊँचा होने से दुनिया के अनेक नगर जलमग्न हो सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर भारत में बाढ़ आने का प्रमुख कारण हिमालय क्षेत्र में वन विनाश है। वनों के न रहने से वर्षा का पानी मिट्टी को तेजी से काटता है। कोई अवरोध न होने से मिट्टी कटकर नदियों को पाट देती है, जिससे नदियों की जलधारण क्षमता कम हो जाती है और फालतू पानी नदियों के किनारों को तोड़कर बहने लगता है, इसी से बाढ़ की रचना होती है। एक अनुमान के अनुसार जहाँ किसी वन भूमि की 6 इंच गहरी मिट्टी के कटने में 174200 वर्ष लग जाते हैं वहीं वन रहित भूमि की 6 इंच मिट्टी 17 वर्ष में कट जाती है। **कुछ वर्ष पहले डॉ. जेम्स हेनसेन ने अमरीका सीनेट में चेतावनी दी थी कि ग्रीन हाउस प्रभाव ने पृथ्वी की जलवायु को बदलना प्रारंभ कर दिया है, जिससे हिमशिखर पिघलेंगे, समुद्र की लहरें टापुओं और बस्तियों को जलमग्न कर देंगी, पृथ्वी पर केवल एक ही ऋतु होगी-गर्मी की, जिसमें मानव, जन्तु और पेड़-पौधे झुलसने लगेंगे। तब वायुमंडल के बढ़ते तापमान में हमारी स्थिति होगी प्रेशर कुकर में रखे बैंगन की तरह,असहाय, निरुपाय।**

वनों को काटने से कृषि, औषधि और उद्योगों में काम आने वाले पेड़ों की अनेक उत्तम जातियाँ लुप्त हो गयी है। यूनेप के स्टेट ऑफ दि वर्ल्ड एनवायरमेंट, 1987 के अनुसार वनों के कटने से पौधों की दो लाख पैंसठ हजार जातियों में से आठ हजार जातियाँ विलुप्त हो गई।

वन विनाश के दुष्परिणामों को देखते हुए स्काटलैंड के विज्ञान लेखक राबर्ट चेम्बर्स ने लिखा है कि वन नष्ट होते हैं, तो जल नष्ट होता है, पशु, पक्षी और जलचर नष्ट होते हैं, उर्वरता नष्ट होती है और बाढ़, सूखा, आग, अकाल एवं महामारी के प्रेत के पीछे भयानक रूप प्रकट होने लगते हैं। वन संरक्षण और सम्वर्द्धन के लिए प्रत्येक काल में व्यवस्थाएँ की गयी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में वन संरक्षण हेतु वन अधीक्षक नियुक्त किये जाते थे, सम्राट अशोक के समय में सड़कों के दोनों ओर वृक्षारोपण पर बल दिया जाता था। बादशाह अकबर ने अपने शासनकाल में राजमार्गों और शहरों के किनारे पेड़ लगवाने में गहरी दिलचस्पी ली थी। वर्तमान समय में भी सरकार की ओर से वन संरक्षण और सम्वर्द्धन के लिए व्यापक प्रयास किये गये हैं। सर्वप्रथम 1952 में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गयी। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में वन क्षेत्र के अनुस्थापन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी। भारत सरकार द्वारा वन विकास के लिए 1986 से प्रतिवर्ष इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष-मित्र पुरस्कार दिया जाता है तथा वन महोत्सव मनाया जाता है। 1978 से समाज हित में वनों के विकास के लिए सामाजिक वानिकी चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य लकड़ी प्राप्त करने के अलावा पशुओं के लिए चारा व खाद प्राप्त करना, फसलों की रक्षा

करना, मनोरंजन स्थलों का विकास करना, बाढ़ रोकना, आवास निर्माण आदि भी हैं। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अंतर्गत घटते हुए वन क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। नेशनल रिमोट सेन्सिंग एजेंसी के अनुसार देश में वन कुल भूमि के लगभग ग्यारह प्रतिशत क्षेत्र में रह गये है जबकि यह 33 प्रतिशत होने चाहिए।

सरकार ने वनों के विकास और संरक्षण के उद्देश्य से अनेक कानून बनाये हैं। इनमें वन संरक्षण अधिनियम 1920 जंगली जीवन सुरक्षा अधिनियम 1972, जल प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण अधिनियम 1981, वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण अधिनियम 1981, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 प्रमुख हैं।

वन संरक्षण व सम्वर्द्धन के लिए संपूर्ण समाज में अनुकूल वातावरण निर्मित करने की सर्वाधिक आवश्यकता है। इसके लिए जन चेतना जगाने हेतु सामाजिक वानिकी का प्रचार-प्रसार होना चाहिए। प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक शिक्षा पाठ्यक्रम में वानिकी को अनिवार्य विषय के रूप में जोड़ा जाना चाहिए। हमें अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वनों के विनाश को बिना कोई समय खोये रोकना होगा तथा अब तक वनों का जो विनाश हुआ है उसकी भरपाई के लिए व्यापक रूप से वृक्षारोपण करना होगा, अन्यथा भावी पीढ़ियाँ हमें कभी माफ नहीं करेगी।

वन धरती के वसन आभूषण,
वन धरती की शोभा हैं।
वन से प्राणी जीवन पाते,
वन बहुमूल्य सम्पदा है।

इस वर्ष देश में गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। इसका कारण भी है वृक्षों की कमी होना। आज भीषण जल संकट की समस्या सभी नगरों व देशों में उत्पन्न हो रही है। वैज्ञानिकों ने जल संकट का कारण वृक्षों को अत्यधिक काटना ही बताया है। जल संकट से मनुष्यों का जीवन भी संकट में आ गया है। इस संकट का एक मात्र समाधान सघन वृक्षारोपण ही है। इसलिए मानव एवं जीव मात्र की रक्षा हेतु अधिकाधिक वृक्ष लगाये तथा उनका पोषण करें।

सिटी रोड,
मदनगंज-किशनगढ़-305801
मो. 9252988221

शिक्षण अनुभव

खुद पढ़ें औरों को पढ़ाएं

❒ **टेकचन्द्र शर्मा**

सामान्यतः सभी सरकारी-गैर सरकारी शिक्षक, शिक्षक की श्रेणी में ही आते हैं। फिर भी कुछ विशिष्ट लक्षण सुधीजनों ने, शिक्षाशास्त्रियों ने बताए हैं। उन्हीं लक्षणों के धारक शिक्षक कहलाने के अधिकारी हैं अन्य नहीं।

शिक्षक पद को गौरवशाली व गरिमामय माने : जो व्यक्ति शिक्षक बनने पर अपने आपको गौरवान्वित माने और अन्य सभी पदों से शिक्षक पद को श्रेष्ठतम व उच्चतम माने। अपने आपको शिक्षक नाम से सम्बोधित सुनकर हर्ष का अनुसरण करे।

पढ़े सो पढ़ाए : यह आम धारणा है और सभी जगह सभी से सुनी जाती है। आजीवन स्वयं भी छात्र बना रहे, जिज्ञासु बना रहे, अध्ययन की पिपासा बनी रहे। अध्ययनरत रहे। स्वाध्याय करना और अध्ययन किए हुए को वितरित करना इसको प्राथमिकता दे। उपनिषद् भी कहते हैं- 'स्वाध्यायन्या प्रमदः'। बिना पढ़े जो पढ़ाए व्यर्थ ही समय गँवाए। पढ़े हुए को पढ़ाने से स्वयं भी लाभान्वित होता है। स्वयं का ज्ञान घनीभूत होता है। परिपक्व होता है। ज्ञानवृद्धि होती है।

सम्प्रेषण कला में रत हो : अपने विचारों को विद्यार्थियों तक पहुँचाने में मर्मज्ञ हो। यही नहीं अभिभावकों व सामान्य जन तक भी अपने विचार सहज व सरलतापूर्वक पहुँचा सके वरना ज्ञान का बोझ ही लादे फिरेगा।

मनोवैज्ञानिक हो : छात्र की क्षमता, रुचि, अभिरुचि को पहचानने में सक्षम हो। अर्थात् छात्र की रुचि व प्रवृत्ति को पहचानकर इनको विकसित करने के लिए वांछित सुविधाएँ उपलब्ध करवाए। प्रश्न, प्रति प्रश्न करने से छात्रों को न रोके। कक्षा में छात्रों से संवाद बनाए रखे।

छात्रों की श्रद्धा आदर प्राप्त करे: लेखक ने स्वयं देखा है कि बगड़ (झुंझुनूं) की शाला बी.एल. विद्यालय के प्रधानाध्यापक आदरणीय अब्रोल जी ने अपने छात्रों से श्रद्धा व आदर इतना प्राप्त कर लिया था कि इस विद्यालय के विद्यार्थी आनन्दी लाल जी रांगल आई.ए.एस. जब भी बाजार में प्रधानाध्यापकजी को पैदल चलते हुए देख लेते, अपनी कार से उतर कर साष्टांग प्रणाम करते। लोग देखकर हर्षित होते, दंग रह जाते।

शिक्षण कला में निपुण हो: कठिन से कठिन विषय को भी रोचक ढंग से पढ़ाने में निपुण हो। विद्यार्थी उनके कालांश में ऊब महसूस न करे और कक्षा में उनके आने की प्रतीक्षा करे। उनके कालांश में मन से पढ़ना चाहिए। चुटकुले कहानी आदि मनोरंजन के साधनों का उपयोग कर विषय को सरलतम बनाए। हँसी खुशी का वातावरण सृजित करे।

आचरण विशुद्ध व आदर्श हो: शिक्षक को पाठ्यक्रम ही पूरा नहीं करना होता। छात्रों को संस्कारित करना, सद्गुणी बनाना, अच्छे नागरिक व इंसान बनाना उसका प्राथमिक दायित्व है। यह केवल भाषण उपदेश से कतई सम्भव नहीं। स्वयं का आचरण ही उन्हें संस्कारित व सद्गुणी बना सकता है। इसीलिए शिक्षक को आचार्य कहा गया है। शिक्षक का आचरण उन्हें सिखाता है।

शिक्षक छात्र सम्बन्ध मधुर व पारिवारिक हो : छात्रों को हतोत्साहित निराश न करे। छात्रों को प्रोत्साहन दे। साहस बँधाए। अधिक प्रताड़ित न करे। दंडित न करे। इस सम्बन्ध में एक दोहा पर्याप्त है।

गुरु कुम्हार शिष्य कुम्भ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट।
अन्तर हाथ सहाय दें बाहिर मारै चोट।।

यह शिक्षक छात्र सम्बन्ध का आदर्शतम स्वरूप है।

अन्त में कहना चाहूँगा कि गुरु-शिक्षक तो कृष्ण हुए हैं, जिन्होंने निराश हताश अर्जुन को प्रोत्साहित कर अपने कर्त्तव्यपथ पर आरूढ़ कर दिया। उन्हें शत-शत नमन।

पूर्व शिक्षाधिकारी
शर्मा सदन, झुंझुनूं-333001
मो. 962373792

प्रेरक व्यक्तित्व

वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़

❒ विजय सिंह माली

इस मरूभूमि ने कितने ही नररत्नों को जन्म दिया है पर वीर दुर्गादास अपने अनुपम त्याग, अपनी नि:स्वार्थ सेवा, भक्ति और उज्ज्वल चरित्र के लिए कोहिनूर के समान है।

– मुशी प्रेमचंद

वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़ का जन्म द्वितीय श्रावण शुक्ल चौदस विक्रम संवत 1695 तदनुसार सोमवार 13 अगस्त 1638 ई. को मारवाड़ के प्रधान आसकरण करणौत की पत्नी नेत कंवर की कोख से सालवा (जोधपुर) मे हुआ। दुर्गादास जन्मजात वीर था। अपनी माता से कर्तव्यपालन, वीरता, शौर्य, त्याग, उदारता जैसे उच्च आदर्श व चारित्रिक गुण विरासत में मिले। सालवा से चार मील उत्तर में स्थित लुणावा गाँव मे रहकर माता नेतकंवर ने अपने पुत्र का लालन पालन कर दुर्गादास को क्षत्रियोचित संस्कार व शिक्षा प्रदान की। लुणावा मे ही विक्रम संवत 1712 (1655 ई.) में महाराजा जसवन्त सिह प्रथम के राजकीय चरवाहों ने जबरन किसानों की खड़ी फसल नष्ट करना चाहा तो युवा दुर्गादास ने उसका विरोध कर उसे मार डाला। महाराजा जसवन्त सिंह के पास जब यह बात पहुँची तो उन्होंने दुर्गादास को दरबार मे बुलाया तथा चरवाहे को मारने का कारण पूछा। दुर्गादास की निर्भीकता, वीरता, साहस व पर दुख कातरता के भाव से महाराजा बड़े प्रभावित हुए और दुर्गादास को यह कहते हुए राजकीय सेवा में रख लिया–यह एक दिन मारवाड़ का मान बढ़ाएगा तथा मारवाड़ की रक्षा करेगा। अब दुर्गादास महाराजा जसवन्त सिंह हर अभियान में साथ रहने लगा। दुर्गादास का विवाह होटलु ठिकाने के चतुर्भुज सांचौरा चौहान की सुपुत्री प्रेम कंवर के साथ हुआ।

16 अप्रैल 1658 को उज्जैन के पास धरमत स्थान पर दाराशिकोह का औरंगजेब व मुराद की संयुक्त सेना से मुकाबला हुआ। महाराजा जसवन्त सिंह इस उत्तराधिकार युद्ध में दारा के पक्ष लड़ रहे थे। इस युद्ध में युवा दुर्गादास राठौड़ ने अपने अप्रतिम शौर्य का प्रदर्शन किया। एक के बाद एक उसके चार घोडे युद्ध में मारे गए। उनका पांचवा घोड़ा भी मारा गया, दुर्गादास अपने शरीर पर लगे घावों के खून से लथपथ हो चुके थे। महाराजा ने यह स्थिति देखकर उन्हे युद्ध स्थल से सुरक्षित निकलवा कर जोधपुर भेजा। धरमत के युद्ध में दुर्गादास की अद्वितीय वीरता, अदम्य उत्साह, अद्‌भुत शौर्य, परम पराक्रम और शत्रु संहार के वीरोन्माद का वर्णन कवि कुंभकरण सांदु ने अपने रतनरासौ काव्य में किया है। महाराजा जसवन्त सिंह ने 16 अगस्त 1667 ई. को दुर्गादास राठौड़ को 12000/– की जागीर प्रदान की जो कालान्तर में 17000/– तक बढ़ाई गई। औरंगजेब के शासन काल में महाराजा जसवन्त सिंह ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। औरंगजेब ने काबुल के उपद्रवियों को शान्त करने हेतु उन्हें पेशावर के मोर्चे पर नियुक्त किया। इस अभियान में ही महाराजा अस्वस्थ हुए और 28 नवम्बर 1678 को जमरूद में उनका स्वर्गवास हो गया उनका वही दाह संस्कार किया गया। दुर्गादास राठौड़ व उनके साथी महाराजा की गर्भवती जादम व कच्छवाही रानी को लेकर पेशावर पहुँचकर बाहरवाँ किया तत्पश्चात लाहौर आ गये। 19 फरवरी 1679 को लाहौर में ही महारानी जादमजी की कोख से अजीतसिंह व कच्छवाही रानी की कोख से दलथंभन का जन्म हुआ। सर्वत्र खुशी छा गई। लाहौर से दिल्ली आते समय बीच रास्ते में दलथम्भन का निधन हो गया। राठौड़ दुर्गादास के साथ पूरे राठौड़ दल ने लाहौर से दिल्ली पहुँचकर औरंगजेब से निवेदन किया कि जोधपुर अजीतसिंह को दिया जाये लेकिन औरंगजेब ने इसे स्वीकारना तो दूर रहा उल्टा नागौर के इन्द्रसिंह को जोधपुर का राज्य दिया तथा जसवंत सिंह के परिवारजनों को दिल्ली स्थित जोधपुर की हवेली खाली करने का आदेश दिया। अब महाराजा के परिवारजन किशनगढ़ के राजा रूपसिंह की हवेली में चले गये। यहाँ दुर्गादास राठौड़ ने स्वामीभक्ति का परिचय देते हुए 16 जुलाई 1679 को गौराधाय व मुकुन्ददास खींची के सहयोग से शिशु अजीतसिंह को दिल्ली से सुरक्षित बाहर निकाला। गौराधाय ने मेवाड़ की पन्नाधाय की तरह मारवाड़ के लिए अपने पुत्र का बलिदान किया। राठौड़ों ने अजीतसिंह को बलुंदा (पाली) तत्पश्चात कालन्द्री (सिरोही) तथा केलवा (राजसंमद) में सुरक्षित रखा था। दुर्गादास राठौड़ ने मेवाड़ महाराणा राजसिंह का सहयोग लेकर मुगलों से संघर्ष जारी रखा। दुर्गादास का यह संघर्ष 28 वर्ष तक चलता रहा। मारवाड़ का प्रत्येक गाँव दुर्ग बन गया और हर व्यक्ति एक सिपाही। दुर्गादास राठौड़ के इस संघर्ष को राजस्थानी कवि गणपति स्वामी ने इस प्रकार वर्णित किया:–

आठ पहर चौसठ घड़ी, घुड़ले उपर बास
सैल अणी सू सेकतो, बाटी दुर्गादास

कूटनीतिज्ञ दुर्गादास ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने पक्ष में कर उससे विद्रोह करवाया तत्पश्चात उसे सुरक्षित शंभाजी तक पहुँचाया। अकबर के पुत्र बुलंद अख्तर व पुत्री सफितुन्निसा की परवरिश दुर्गादास ने ही करवायी। उन्हें इस्लाम के अनुसार शिक्षा व दीक्षा दी। कालान्तर में औरंगजेब की याचना पर दुर्गादास ने उन्हे औरंगजेब को सुपुर्द किया तो औरंगजेब ने भी दुर्गादास को महामानव बताते हुए भूरि–भूरि प्रशंसा की तथा 3000 की मनसब प्रदान की। 1706 ई. में पाटण अभियान के बाद दुर्गादास मेवाड़ महाराणा अमरसिंह के पास गये। महाराणा ने उसे सादड़ी (पाली) का पट्टा प्रदान किया। 21 फरवरी 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो गई तथा 2 मार्च 1707 को अजीतसिंह ने जोधपुर पर आधिपत्य किया। दुर्गादास की महाराजा अजीतसिंह को जोधपुर सिंहासन पर आरूढ़ देखने की इच्छा पूर्ण हुई। 3 अक्टूम्बर 1708 को सांभर के युद्ध में दुर्गादास ने मेवात के फौजदार सैयद हुसैन खाँ व उसके साथियों को मारकर जीत हासिल की।

महाराजा अजीत सिंह के सहयोगियों व साथियों को दुर्गादास की प्रतिष्ठा व यश नहीं सुहाते थे। कानों के कच्चे अजीत सिंह अब

शेष पृष्ठ 36 पर

आदेश-परिपत्र : अगस्त, 2016

1. समस्त राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 'निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009' की धारा–21 के प्रावधानानुसार गठित विद्यालय प्रबन्धन समिति के संविधान एवं कर्तव्यों में किए गए संशोधन के सम्बन्ध में।
2. सत्र 2016–17 की 61 वीं जिला, राज्य स्तरीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक (17 व 19 वर्ष आयु वर्ग) विद्यालयी छात्र–छात्रा खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु पंचांग एवं आवश्यक निर्देश अनुपालनार्थ।
3. सत्र 2016–17 में आयोज्य 34 वीं सब जूनियर (15 वर्ष छात्र) नेहरु हॉकी प्रतियोगिता का पंचांग, आवश्यक निर्देश अनुपालनार्थ।
4. शांति कुंज, हरिद्वार द्वारा आयोजित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा–2016 के आयोजन में सहयोग प्रदान करने बाबत।
5. समस्त केन्द्रीय प्रवर्तित छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु आवश्यक निर्देश।

1. समस्त राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 'निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009' की धारा–21 के प्रावधानानुसार गठित विद्यालय प्रबन्धन समिति के संविधान एवं कर्तव्यों में किए गए संशोधन के सम्बन्ध में।

● कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक–शिविरा/माध्य/मा–स/SMC/2016/ दिनांक : 13.07.2016 ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय ● विषय : समस्त राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 'निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009' की धारा–21 के प्रावधानानुसार गठित विद्यालय प्रबन्धन समिति के संविधान एवं कर्त्तव्यों में किए गए संशोधन के सम्बन्ध में। ● प्रसंगः शासन का आदेश क्रमांकः प.2(2) शिक्षा–1/प्राशि/2003, जयपुर दिनांक : 21.06.2016

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेश के क्रम में लेख है कि इस कार्यालय के पूर्व पत्रांकः शिविरा–माध्य/मा/स/22423/ 2001–02 दिनांकः 28.08.12 द्वारा राज्य के समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जहाँ कक्षा 1 से 8 अथवा 6 से 8 संचालित है, उन समस्त विद्यालयों में 'निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009' की धारा–21 के प्रावधानानुसार विद्यालय प्रबंधन समिति (School Management Committee) के गठन के निर्देश प्रदान किये गये थे। प्रासंगिक आदेश द्वारा राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त आज्ञा/आदेश के अतिक्रमण में विद्यालय प्रबंधन समिति (School Management Committee) हेतु नवीन संविधान एवं कर्त्तव्य जारी किए हैं।

राज्य सरकार के उक्त निर्देशों की पालना में विद्यालय प्रबंधन समिति (School Management Committee) के नवीन संविधान एवं कर्त्तव्यों की प्रति पत्र के संलग्न प्रेषित कर लेख है कि अधीनस्थ विद्यालयों के संस्था प्रधानों को संशोधित प्रावधानों की पालना हेतु तत्काल पाबन्द किया जाना सुनिश्चित करावें।

उपर्युक्त कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता से सम्पादित करवाते हुए पालना से इस कार्यालय को अवगत करवाएँ।

● (बी.एल. स्वर्णकार) आई.ए.एस. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

● राजस्थान सरकार प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) विभाग ● क्रमांक : प.2(2)शिक्षा–1/प्राशि/2003 जयपुर, दिनांक 21.06.2016 ● आज्ञा ● राज्य में संचालित समस्त राजकीय एवं सहायता प्राप्त (अनुदानित) प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जिनमें प्रारंभिक स्तर की कक्षाएँ (कक्षा 1 से 8 तक) संचालित हैं, में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 21 के प्रावधानानुसार विद्यालय प्रबंधन समिति (School Management Committee) का संशोधित संविधान एवं कर्त्तव्य, पूर्व में जारी समस्त आज्ञा/आदेश के अतिक्रमण में जारी करने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

● राज्यपाल की आज्ञा से (सुनील कुमार शर्मा) संयुक्त शासन सचिव

1. **समिति का नाम–** इस समिति का नाम विद्यालय प्रबंधन समिति राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय..... होगा।
2. **कार्यालय एवं कार्यक्षेत्र–** इस समिति का कार्यालय..... ..... में स्थापित होगा।

(विद्यालय का पूरा नाम लिखें)

समिति का कार्यक्षेत्र समिति के कार्यालय स्थित विद्यालय में पढ़ने वाले बालकों के निवास स्थानों तक होगा, परन्तु विकास कार्य केवल विद्यालय परिसर, विद्यालय से सम्बन्धित खेल मैदान एवं विद्यालय से संबंधित सम्पत्तियों में ही कराये जा सकेंगे।

3. **समिति के उद्देश्य–**

समिति के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे–

1. विद्यालय के क्रियाकलापों/कार्यकरण को मॉनीटर करना।
2. विद्यालय के विकास के लिए विद्यालय विकास योजना का निर्माण, स्वीकृति एवं विकास कोष बनाना, जिससे विद्यालय के भवन, उपस्कर एवं अन्य शैक्षिक सुविधाओं से सम्बन्धित विकास के कार्य किये जा सकेंगे।
3. सम्बन्धित विद्यालय के लिए एक परिचालन कोष बनाना, जिससे

राजकीय सहायता व अन्य माध्यमों से वेतन, आवश्यक परिचालन व मरम्मत व्यय वहन किया जा सके।

4. दानदाताओं से आर्थिक सहायता/दान प्राप्त करना।
5. विद्यालय भवन के विस्तार एवं अन्य सुविधाओं के लिए राज्य सरकार की जन सहभागिता आधारित योजनाओं से संस्था विकास कोष के योगदान के आधार पर विकास कार्य करवाना तथा इसी के साथ सक्षम सरकार, स्थानीय प्राधिकारी/ संस्थाओं/निकायों अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त सहायता/अनुदान के उपयोग पर निगरानी।
6. प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं, केन्द्र प्रवर्तित कार्यक्रमों एवं केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के वित्तीय सहयोग से संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों यथा सर्व शिक्षा अभियान आदि के अन्तर्गत विद्यालयों के विकास, भवन निर्माण, मरम्मत एवं रखरखाव, शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण अधिगम उपकरण, विद्यालय फैसिलिटी ग्राण्ट, टीएलएम, ग्राण्ट एवं अन्य ग्राण्ट्स आदि अन्य मदों के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई राशियों/प्रावधानों से निर्माण/विकास कार्य करवाना एवं ग्राण्ट्स का राज्य सरकार/सर्व शिक्षा अभियान अन्य प्राधिकृत संस्था द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उपयोग सुनिश्चित करना।
7. अन्य उद्देश्य जिससे संस्था की परिसम्पत्तियों का बेहतर उपयोग एवं संस्था का बेहतर विकास हो सके।

4. साधारण सभा के सदस्य–

इस समिति के सदस्य निम्नांकित होंगे–

1. सम्बन्धित विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी/बालक के माता–पिता या संरक्षक (माता एवं पिता दोनों के जीवित न होने की स्थिति में संरक्षक)
2. सम्बन्धित विद्यालय का प्रत्येक अध्यापक/प्रबोधक।
3. सम्बन्धित कार्यक्षेत्र में निवास करने वाले जिला प्रमुख/ प्रधान/सरपंच/नगर पालिका अध्यक्ष।
4. संबंधित कार्यक्षेत्र में निवास करने वाले समस्त जिला परिषद सदस्य, नगर पालिका पार्षद/पंचायत समिति सदस्य/वार्ड पंच।
5. समिति की कार्यकारिणी समिति में निर्वाचित/मनोनीत शेष सदस्य जो उपर्युक्त में शामिल नहीं हो।

5. साधारण सभा–

समिति के उप नियम संख्या 4 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे। समिति की कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य सचिव साधारण सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य सचिव होंगे।

6. सदस्यों का वर्गीकरण–

समिति के सभी सदस्य साधारण सदस्य होंगे।

7. सदस्यों द्वारा चन्दा व शुल्क–

साधारण सभा के सदस्यों द्वारा कोई शुल्क व चंदा प्रारंभ से अनिवार्य नहीं होगा। सदस्य स्वेच्छा से चन्दा दे सकेंगे। समिति की साधारण सभा दो तिहाई बहुमत से वार्षिक सदस्यता शुल्क तय कर सकेगी।

8. सदस्यता की समाप्ति–

साधारण सभा के सदस्यों की सदस्यता निम्न स्थितियों में स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

1. मृत्यु होने पर।
2. त्याग पत्र देने पर।
3. निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचित नहीं रहने पर।
4. विद्यार्थी के विद्यालय छोड़ देने पर उसके माता–पिता या संरक्षक की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
5. पदेन सदस्य के पद पर नहीं रहने पर।

9. साधारण सभा के अधिकार एवं कर्त्तव्य–

1. विद्यालय के परिचालन व्यय मद में आय–व्यय में अन्तर होने पर संरक्षकों, सामान्य जनता एवं अन्य दानदाताओं से आर्थिक सहायता/दान प्राप्त करने हेतु कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श एवं निर्णय।
2. विद्यालय के विकास हेतु आवश्यक विकास राशि के इकट्ठा करने पर विचार विमर्श व निर्णय।
3. कार्यकारिणी समिति द्वारा किए गये कार्यों की समीक्षा करना।

नोट–साधारण सभा में निर्णय प्रथमतः सर्वसम्मति से व सर्व सम्मति से नहीं होने पर बहुमत से लिये जाएँगे।

10. साधारण सभा की बैठकें–

1. साधारण सभा की वर्ष में प्रत्येक वर्ष जुलाई से मार्च तक तीन बैठकें अर्थात् तीन माह में एक बैठक अनिवार्य होगी, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर बैठक अध्यक्ष/सदस्य सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकती है।
2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कम से कम साधारण सभा के सदस्यों की कुल संख्या का 25 प्रतिशत होगा।
3. बैठक की सूचना 4 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 2 दिवस पूर्व दिया जाना आवश्यक है।
4. कोरम के अभाव में स्थगित बैठक पुनः 7 दिन पश्चात् उसी निर्धारित स्थान व समय पर आयोजित की जायेगी। स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे।

11. समिति की कार्यकारिणी समिति–

समिति के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए समिति की एक 16 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति होगी। इसमें से न्यूनतम तीन चौथाई सदस्य माता–पिता या संरक्षकों में से होंगे तथा अधिकतम 5 सदस्य पदेन/मनोनीत अन्य व्यक्ति होंगे। कार्यकारिणी के सदस्यों में 50 प्रतिशत महिलाएँ अर्थात् कम से कम 8 महिलाएँ आवश्यक रूप से होगी जिसके पदाधिकारी एवं सदस्यों का निर्वाचन/मनोनयन नियम 12 के अनुसार किया जा सकेगा।

- कार्यकारिणी की समिति में माता–पिता या संरक्षक सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने पर 14 अगस्त से पूर्व साधारण सभा द्वारा किया जायेगा।

- कार्यकारिणी समिति के अन्य पदाधिकारी निम्न होंगे।

क्र. सं.	पद	चयन प्रक्रियापूर्ण	पता
1	अध्यक्ष	समिति की साधारण सभा द्वारा उसके माता-पिता या संरक्षक सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति हेतु निर्वाचित 11 सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित।	
2	उपाध्यक्ष	समिति की साधारण सभा द्वारा उसके माता-पिता या संरक्षक सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति हेतु निर्वाचित 11 माता-पिता या संरक्षक सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित	
3	सदस्य(11)	साधारण सभा द्वारा उसके माता-पिता या संरक्षक सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति हेतु निर्वाचित 11 सदस्य, जिनमें से कम से कम 6 महिलाएँ, 1 अनुसूचित जाति व 1 अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो।	
4	पदेन सदस्य(1)	ग्राम पंचायत/नगर पालिका के जिस वार्ड में विद्यालय स्थित है, उस वार्ड का वार्ड पंच/पार्षद	
5	पदेन सदस्य सचिव (1)	प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापक के न होने पर वरिष्ठतम अध्यापक/प्रबोधक	
6	निर्वाचित अध्यापक	विद्यालय के अध्यापकों द्वारा समिति हेतु निर्वाचित एक अन्य महिला अध्यापक/प्रबोधक (यदि उपलब्ध हो) अन्यथा पुरुष अध्यापक/ प्रबोधक	
7	मनोनीत सदस्य (2)	विद्यालय परिक्षेत्र के विधानसभा सदस्य द्वारा नामित ऐसे दो व्यक्ति (जिसमें कम से कम एक महिला हो तथा एक माता-पिता या संरक्षक सदस्य में से हो) जो ग्रामीण क्षेत्र हेतु उस राजस्व ग्राम शहरी क्षेत्र हेतु उस वार्ड का निवासी हो जिसमें विद्यालय स्थित है अथवा समिति के माता-पिता या संरक्षक सदस्यों द्वारा मनोनीत स्थानीय शिक्षा शास्त्री अथवा विद्यालय का बालक। मनोनयन में प्रथम प्राथमिकता विधानसभा सदस्य द्वारा नामित व्यक्तियों को दी जावें, लेकिन मनोनयन से पूर्व विधानसभा सदस्य द्वारा नामित व्यक्तियों की उनसे लिखित में स्वीकृति लिया जाना आवश्यक होगा। मनोनयन में द्वितीय प्राथमिकता विद्यालय परिक्षेत्र के निवासी राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को दी जावे।	
		कुल सदस्य	**16**

नोट – कार्यकारिणी समिति में महिला सदस्यों का निर्वाचन/ मनोनयन इस प्रकार किया जायेगा, जिससे कि समिति में कम से कम 8 महिलाएँ आवश्यक रूप से रहें।

12. विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति का गठन–

विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी का गठन निम्नलिखित सदस्यों की सहायता से एवं नीचे लिखी विधि से किया जाएगा।

1. राज्य के प्रत्येक राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जायेगा। प्रत्येक विद्यालय का प्रधानाध्यापक/स्थानीय प्राधिकारी विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन के लिए उत्तरदायी होगा।
2. विद्यालय का प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के नहीं होने पर विद्यालय का वरिष्ठतम अध्यापक/प्रबोधक समिति का पदेन सदस्य सचिव होगा।
3. समिति की साधारण सभा अपने माता-पिता या संरक्षक सदस्यों में से 11 प्रतिनिधियों का चुनाव कार्यकारिणी समिति के लिए करेगी। इन 11 सदस्यों में से कम से कम 6 महिलाएँ, एक अनुसूचित जाति एवं एक अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि आवश्यक रूप से होगा।
4. ग्राम पंचायत/नगर पालिका/परिषद के जिस वार्ड में विद्यालय स्थित है, उस वार्ड का निर्वाचित वार्ड पंच/पार्षद समिति का पदेन सदस्य होगा।
5. विद्यालय के अध्यापकों द्वारा निर्वाचित एक अन्य महिला अध्यापक/प्रबोधक (यदि उपलब्ध हो) अन्यथा पुरुष अध्यापक/प्रबोधक कार्यकारिणी समिति का सदस्य होगा।
6. समिति के माता-पिता या संरक्षक सदस्यों द्वारा मनोनीत एक पुरस्कार प्राप्त शिक्षक/स्थानीय शिक्षा शास्त्री अथवा विद्यालय का बालक समिति का सदस्य होगा।
7. समिति में महिला सदस्यों की संख्या इस प्रकार निर्धारित की जायेगी, जिससे कि समिति में कम से कम 8 महिलाएँ आवश्यक रूप से रहें।

13. कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों का चुनाव –

1. कार्यकारिणी समिति अपने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव कार्यकारिणी समिति हेतु साधारण सभा द्वारा निर्वाचित माता-पिता या संरक्षक सदस्यों में से करेगी। यह निर्वाचित अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, समिति की साधारण सभा के भी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष होंगे।
2. विद्यालय का प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक के न होने पर विद्यालय का वरिष्ठतम अध्यापक/प्रबोधक समिति का पदेन सदस्य सचिव होगा।
3. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का कार्यकाल दो वर्ष अथवा तब तक रहेगा जब तक कि वह कार्यकारिणी समिति का सदस्य रहे (दोनों में से जो भी कम हो)

14. कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य–

1. अध्यक्ष के कार्य–

(1) विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
(2) बराबर मत आने पर निर्णायक मत देना।
(3) बैठकें आहूत करना।

(4) समिति का प्रतिनिधित्व करना।
(5) संविदा व अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।
(6) आय व्यय पर नियंत्रण रखना– कैशियर के माध्यम से लेखे संधारित करना।
(7) समिति द्वारा निर्देशित अन्य सभी कार्य करना।

2. उपाध्यक्ष के कार्य–

(1) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के सभी कार्य संपादित करना जैसे कि उप नियमों के नियम 14 (1) में लिखे गये है।
(2) कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्देशित अन्य समस्त कार्य करना।

3. सदस्य सचिव के कार्य–

(1) बैठक के कार्य बिन्दु (एजेण्डा) तैयार करना।
(2) बैठक आहूत करने की सूचना जारी करना।
(3) बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार करना एवं रिकार्ड रखना एवं साधारण जनता को अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना।
(4) समिति के वित्त सम्बन्धी सभी आंकड़े तैयार करना।
(5) अधिकृत मामलों पर समिति की ओर से हस्ताक्षर करना।
(6) उसके विद्यालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी रिकॉर्ड सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक एवं अन्य उत्तरदायित्व, जो भी आवश्यक हो, को निर्वहन करना।
(7) उन सभी मुद्दों की रिपोर्ट तैयार करना जो उसकी जानकारी में है तथा जिन्हें समिति की साधारण सभा/कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखा जाना आवश्यक है।

15. कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल–

कार्यकारिणी के मनोनीत/निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष अथवा उस समय तक रहेगा जिस समय तक वे समिति के निर्वाचित/मनोनीत सदस्य रहेंगे (उपर्युक्त दोनों में से जो भी कम हो)।

16. कार्यकारिणी समिति के कार्य/कृत्य/कर्त्तव्य–

कार्यकारिणी समिति के कार्य/कृत्य/कर्त्तव्य परिशिष्ट–1 अनुसार होंगे।

17. कार्यकारिणी समिति की बैठकें–

1. कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक माह अमावस्या के दिन आयोजित की जावेगी और अमावस्या के दिन अवकाश होने पर बैठक अगले कार्य दिवस को की जायेगी। यह बैठक विद्यालय परिसर, चौपाल अथवा किसी सुविधाजनक स्थान पर बुलाई जावे।
2. सदस्य सचिव अध्यक्ष से विचार–विमर्श कर समिति की बैठक का समय व स्थान निर्धारित करेगा।
3. सदस्य सचिव कम से कम 4 दिन पूर्व बैठक की लिखित सूचना मय बैठक में विचारार्थ रखे जाने वाले बिन्दुओं की सूची के सभी सदस्यों को भेजेगा। अध्यक्ष की अनुमति से एजेण्डा से अतिरिक्त बिन्दुओं पर भी चर्चा की जा सकेगी।
4. समिति की अत्यावश्यक बैठक कम से कम दो दिन की सूचना पर भी बुलाई जा सकती है।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) को किसी भी एक समय समिति की बैठक बुलाने का निर्देश देने का अधिकार होगा, जिसकी अनुपालना अध्यक्ष/सदस्य सचिव द्वारा एक एक सप्ताह में करना अनिवार्य होगा।
6. समिति की बैठक में निर्णय यथा संभव सर्व सम्मति से व सर्व सम्मति नहीं होने पर निर्णय बहुमत से होगा।
7. विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन/संचालन सम्बन्धी विवादों को निपटाने के लिए ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण रैफर किये जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) उत्तरदायी/अधिकृत होगा तथा जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) का निर्णय अंतिम होगा।

18. कोरम–

कार्यकारिणी समिति के कुल सदस्यों की संख्या के एक तिहाई से अधिक सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी।

19. अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अपनाई जाने वाली कार्यविधि–

अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में समिति का कोई अन्य माता–पिता या संरक्षक सदस्य अध्यक्षता हेतु चुना जावे, जिसे ऐसा करने के लिए बाकी उपस्थित सदस्य चुने।

20. एजेण्डा बिन्दुओं/मुद्दों पर निर्णय की विधि–

समिति के सम्मुख आने वाले सभी मुद्दों/एजेण्डा बिन्दुओं पर निर्णय सामान्यतया सर्व सम्मति से होगा, परन्तु सर्व सम्मति के अभाव में निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर होगा।

21. वोटिंग की विधि–

1. सभी सदस्यों को वोट करने का सम्मान अधिकार प्राप्त है।
2. वोटिंक हाथ खड़ा कर की जायेगी परन्तु समिति किसी अन्य विधि से भी चुनाव/वोटिंग कर सकती है।
3. बराबर मत आने की स्थिति में बैठक का अध्यक्ष निर्णायक मत देगा।

22. निर्णयों का संधारण–

1. समिति की बैठकों में लिये गये सभी निर्णयों का संधारण सदस्य सचिव द्वारा रजिस्टर में किया जायेगा तथा समिति की कार्यकारिणी की बैठक में पढ़कर सुनाया जाकर सदस्यों के हस्ताक्षर रजिस्टर में लिये जाएँगे।
2. साधारण सभा के सभी सदस्यों को सभी निर्णयों का अवलोकन करने हेतु रिकॉर्ड विद्यालय में उपलब्ध रहेगा।

23. सदस्यता की समाप्ति–

1. पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल दो वर्ष अथवा संबंधित सदस्यों के कार्यकारिणी समिति का सदस्य रहने तक ही होगा। (दोनों में से जो भी पहले हो)
2. निम्न कारणों के आधार पर भी कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

- यदि सदस्य समिति की तीन क्रमिक बैठकों में अनुपस्थित रहे।
- समिति के अन्तर्गत आने वाले किसी मुद्दे से सम्बन्धित भ्रष्टाचार में लिप्त हो।
- किसी भी कारणवश सदस्य की संतान उस विद्यालय का विद्यार्थी न

रहे।

- कानून द्वारा दोषी ठहराया गया हो।

24. रिक्त पदों को भरना–

1. यदि किसी सदस्य का कार्यकाल उसके द्वारा धारित पद रिक्त होने के कारण समाप्त हो जावे तो रिक्त होने वाले पद को समिति द्वारा उप नियमों का पालन करते हुए भरा जायेगा।
2. सदस्यता समापन के कारण रिक्त हुए पद पर निर्वाचित/मनोनीत सदस्य का कार्यकाल उस सदस्य के बचे हुए कार्यकाल जितना ही होगा तथा निर्वाचन/मनोनयन उस वर्ग से ही किया जायेगा जिस वर्ग का पद रिक्त हुआ हो।

25. समिति का कोष–

समिति द्वारा विकाष कोष व परिचालन कोष अलग-अलग निम्न प्रकार से संचित किये जावेंगे।

(1) विकास कोष–

1. राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त राशि।
2. अभिभावकों व नागरिकों से विकास कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान/सहायता।
3. अन्य पूंजीगत प्रकृति की आय।
4. सक्षम सरकार/स्थानीय प्राधिकारी/संस्था निकाय अथवा अन्य किसी स्रोत से प्राप्त सहायता/अनुदान।

नोट– यदि विकास कोष में योगदान सामग्री के रूप में प्राप्त होता है तो उसके अनुमानित मूल्य का हिसाब भी लेखों में रखा जावेगा तथा सामग्री की स्टॉक एण्ट्री स्टॉक रजिस्टर में की जावेगी।

(2) परिचालन कोष–

1. चन्दा।
2. अन्य अपूंजीगत प्राप्तियाँ।

(3) 1. उक्त प्रकार से दोनों कोषों की संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत अथवा सहकारी बैंक में समिति के नाम से खोले गये खाते में रखी जाएगी एवं लेखा जोखा एक ही रोकड़ बही के माध्यम से संधारित किया जायेगा।
2. अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन देन संभव होगा।
3. विद्यालय प्रबंधन समिति के बैठकों में प्रत्येक खर्चे एवं आय के बारे में विचार विमर्श किया जाकर आय व व्यय का अनुमोदन किया जाना चाहिए।

26. लाभ पर प्रतिबंध–

विद्यालय की किसी सम्पत्ति/आय को विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य या अन्य किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से न तो भुगतान किया जायेगा, न दिया जावेगा अथवा स्थानान्तरित किया जावेगा।

27. कार्यालय पत्र व्यवहार एवं संविदा–

1. विद्यालय प्रबंधन समिति का सदस्य सचिव विद्यालय की ओर से समस्त कार्यों के निर्वहन के लिए समिति से पूर्व में अनुमोदन लेकर लिखित इकरारनामे पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत होगा।
2. समिति के समस्त कार्यालयी पत्र व्यवहार पर सदस्य सचिव हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत होगा।

28. समिति के गठन सम्बन्धी दिशा निर्देशों में परिवर्तन–

समिति के गठन में आवश्यकतानुसार राज्य सरकार के निर्देशानुसार व राज्य सरकार की पूर्वानुमति से परिवर्तन अथवा संशोधन किया जा सकेगा।

29. समिति का विघटन–

यदि समिति का विघटन आवश्यक हुआ तो समिति की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली समिति को हस्तान्तरित कर दी जायेगी। विद्यालय प्रबंधन समिति को विद्यालय की चल व अचल सम्पत्ति को बेचने, रखने तथा अन्यथा खुर्द बुर्द करने का अधिकार नहीं होगा। समस्त सम्पत्तियों का स्वामित्व राज्य सरकार का ही रहेगा।

30. संस्था के लेखे-जोखे का निरीक्षण–

स्थानीय प्राधिकारी, राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के प्रतिनिधियों को समिति के रिकॉर्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जाएगी।

परिशिष्ट–1

विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य/कर्त्तव्य/कृत्य–

1. विद्यालय के क्रियाकलापों/कार्यकरण को मॉनीटर करना–

- विद्यालय के आस-पड़ौस में रहने वाली आबादी/जनता को बाल अधिकारों की सामान्य एवं रचनात्मक तरीकों से जानकारी देना तथा साथ ही राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय, माता-पिता, अभिभावक एवं संरक्षक के कर्त्तव्यों की जानकारी देना।
- समिति विद्यालय में नियुक्त अध्यापकों के विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता एवं समय पालन, माता-पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें करना और बालक के बारे में उपस्थिति में नियमितता, शिक्षा ग्रहण करने का सामर्थ्य, शिक्षण में की गई प्रगति और किसी अन्य सुसंगत जानकारी के बारे में अवगत कराना तथा शिक्षक/शिक्षिकाओं द्वारा प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट क्रिया कलाप नहीं करना, सुनिश्चित करेगी।
- दस वर्षीय जनसंख्या/जनगणना, आपदा (विभीषका) राहत कर्त्तव्यों या यथा स्थिति, स्थानीय संस्थाओं/निकायों या राज्य विधान मण्डलों या संसद के निर्वाचनों से सम्बन्धित कर्त्तव्यों से भिन्न किसी गैर शैक्षणिक प्रयोजनों के लिये शिक्षिकों को अभिनियोजित नहीं किये जाने को सुनिश्चित करेगी/मॉनीटरिंग करेगी।
- विद्यालय के आस-पड़ौस के 6-14 आयु वर्ग के सभी बालकों के विद्यालय में नामांकन तथा उनकी सतत उपस्थिति को सुनिश्चित करेगी।
- विद्यालय के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मान एवं मानकों की पालना पर निगरानी रखेगी।
- बाल अधिकारों के हनन विशेषकर बालकों को भौतिक एवं मानसिक प्रताड़ना सम्बन्धी प्रकरणों, प्रवेश नहीं दिये जाने,

निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने सम्बन्धी प्रावधानों के उल्लंघन सम्बन्धी प्रकरणों को स्थानीय प्राधिकारी के ध्यान में लाएगी।

- आवश्यकताओं का चिह्नीकरण करते हुए योजना का निर्माण करेगी तथा 6-14 आयु वर्ग के विद्यालय में कभी भी प्रवेश न लेने वाले (नेवर एनरोल्ड) तथा ड्रॉप आउट बालकों के लिए किए गए शिक्षा व्यवस्था संबंधी प्रावधानों की क्रियान्विति पर निगरानी रखेगी।
- विशेष आवश्यकता वाले एवं अधिगम अक्षम बालकों के चिह्नीकरण, उसके विद्यालय में नामांकन, सीखने हेतु सुविधाएँ उपलब्ध कराने पर निगरानी रखेगी तथा गतिविधियों में उनकी भागीदारी तथा प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करना सुनिश्चित करेगी।
- विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन पर निगरानी रखेगी।
- विद्यालय की आय एवं व्यय का वार्षिक लेखा तैयार करेगी।
- विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों की नियमित समीक्षा कर शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना।
- राज्य सरकार/सर्व शिक्षा अभियान अथवा अन्य प्राधिकृत संस्था द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए विद्यालय में भौतिक व्यवस्थाएँ जैसे-खेल मैदान, बाउण्डरी वॉल, कक्षा-कक्ष सुविधाएँ, फर्नीचर एवं पीने के पानी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- समय-समय पर विद्यालय के बालकों के स्वास्थ्य की जाँच करवाना तथा बच्चों के लिए नियमित स्वास्थ्य कैम्पों का आयोजन करवाना।
- समय-समय पर ड्रॉप आउट दर पर नजर रखना तथा सभी बालकों का विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना, इसके लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण, शिक्षण सामग्री, शाला गणवेश आदि समय पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना।
- अभिभावकों एवं अध्यापकों की समय-समय पर संयुक्त बैठकें आयोजित करना एवं उन बैठकों में रिपोर्ट कार्ड उपलब्धि स्तर, कक्षाकार्य एवं गृहकार्य आदि के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करते हुए सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।
- विद्यालय में आयोजित होने वाले विभिन्न राष्ट्रीय, क्षेत्रीय पर्वों, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, छात्रवृत्ति वितरण, विद्यालय का सत्र प्रारंभ होने, दीपावली एवं शीतकालीन अवकाश के प्रारंभ एवं पश्चात् विद्यालय में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेना एवं समाज के सभी वर्गों को इन कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना।

2. विद्यालय के विकास हेतु विकास योजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करना-

- विद्यालय प्रबंधन समिति, उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन माह पूर्व जिसमें उसका प्रथम बार गठन हुआ है एक विद्यालय विकास योजना का निर्माण करेगी।
- उपर्युक्त विद्यालय विकास योजना एक तीन वर्षीय योजना होगी, जो अगले तीन वर्ष की तीन वार्षिक योजनाओं को मिलाकर बनायी जायेगी।
- विद्यालय विकास योजना में निम्नानुसार विस्तृत जानकारियाँ शामिल की जायेगी।

(अ) प्रत्येक वर्ष का कक्षावार अनुमानित नामांकन।

(ब) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मान एवं मानकों के आधार पर तीन वर्ष की अवधि के लिये कक्षा 1 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 के लिए पृथक-पृथक अतिरिक्त अध्यापकों, विषय अध्यापकों एवं अंशकालीन अध्यापकों की आवश्यकता।

(स) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मान एवं मानकों के अनुसार तीन वर्ष की अवधि के लिए अतिरिक्त भौतिक संसाधनों एवं उपकरणों की आवश्यकता।

(द) उपर्युक्त बिन्दु (ब) व (स) की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तीन वर्ष की अवधि में वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकताएँ। इन आवश्यकताओं के अन्तर्गत विधेयक की धारा 4 के अन्तर्गत ऐसे बालकों, जिन्हें 6 वर्ष से अधिक की आयु होने पर भी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया हो अथवा यदि प्रवेश दिया गया हो तो उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की हो तो उसको उसकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश देने पर अन्य बालकों के समकक्ष रहने के लिए आवश्यक विशेष प्रशिक्षण सम्बन्धी व्यय, बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, गणवेश उपलब्ध कराने पर होने वाला व्यय तथा विधेयक के प्रावधानों के अन्तर्गत विद्यालय की जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु आवश्यक हो।

- उपर्युक्त आधारों पर तैयार की गई विद्यालय विकास योजना पर विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के हस्ताक्षर होने चाहिए तथा इसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व स्थानीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

3. समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी/संस्था/निकाय अथवा किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त अनुदानों/सहायता राशियों के उपयोग को मॉनीटर करना-

- परिचालन मद में आय व व्यय का जायजा लेना। किसी विशेष मद में आय वांछनीय व्यय से कम होने पर माता-पिता या संरक्षकों से वित्तीय सहयोग लेने पर विचार कर वित्तीय सहयोग की राशि के प्रस्ताव साधारण सभा को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना।
- विद्यालय एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के समस्त कोषों एवं सम्पत्तियों का परिवीक्षण करना।
- विद्यालय एवं समिति के वार्षिक आय व्यय का लेखा-जोखा रखना।
- प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं, केन्द्र प्रवर्तित कार्यक्रमों एवं केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के वित्तीय सहयोग से संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों यथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालयों के विकास, भवन, निर्माण, मरम्मत एवं रखरखाव, शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण अधिगम उपकरण, विद्यालय फैसिलिटी ग्राण्ट, टीएलएम. ग्राण्ट एवं अन्य ग्राण्ट्स आदि अन्य मदों के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई राशियों/प्रावधानों से निर्माण/विकास कार्य करवाना एवं ग्राण्ट्स

का राज्य सरकार/सर्व शिक्षा अभियान, अन्य प्राधिकृत संस्था द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उपयोग सुनिश्चित करना।

4. ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो विहित किए जाए–

- विद्यालय प्रबंधन समिति ऐसे अन्य कार्यों/कृत्यों की पालना करेगी जो सक्षम सरकार द्वारा विहित किए जाए।
- विद्यालय प्रबंधन समिति स्वयं के आर्थिक स्रोतों से अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार स्थानीय व्यक्तियों/अध्यापकों/सहायकों की सेवाओं हेतु पूर्णतया अस्थायी व्यवस्था कर सकती है लेकिन इसका भार किसी भी स्थिति में राज्य सरकार पर नहीं पड़ना चाहिए।

2. सत्र 2016–17 की 61 वीं जिला, राज्य स्तरीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक (17 व 19 वर्ष आयु वर्ग) विद्यालयी छात्र–छात्रा खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु पंचांग एवं आवश्यक निर्देश अनुपालनार्थ।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● कार्यालय आदेश ● सत्र 2016–17 की 61 वीं जिला, राज्य स्तरीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक (17 व 19 वर्ष आयु वर्ग) विद्यालयी छात्र–छात्रा खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु प्रतियोगिता पंचांग आवश्यक निर्देशों सहित अनुपालनार्थ प्रसारित किया जाता है । समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ विद्यालयों में पंचांग एवं निर्देशों को अविलम्ब प्रसारित करें ।

विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु निम्नानुसार खेल समूह बनाये गये है:–

प्रथम समूह		
फुटबॉल	17,19 वर्ष	छात्र
जिम्नास्टिक	17,19 वर्ष	छात्र–छात्रा
हैण्डबाल	17,19 वर्ष	छात्र–छात्रा
हॉकी	17,19 वर्ष	छात्र–छात्रा
जूडो	17,19 वर्ष	छात्र–छात्रा
सॉफ्टबाल	17,19 वर्ष	छात्र–छात्रा
तैराकी	17,19 वर्ष	छात्र–छात्रा
वॉलीबाल	17,19 वर्ष	छात्र–छात्रा
कुश्ती	17,19 वर्ष	छात्र
द्वितीय समूह		
तीरंदाजी (इण्डियन राउण्ड व फीटा राउण्ड)	17,19 वर्ष	छात्र–छात्रा
बेडमिन्टन	17,19 वर्ष	छात्र–छात्रा
बास्केटबॉल	17,19 वर्ष	छात्र–छात्रा
क्रिकेट	17,19 वर्ष	छात्र
खो–खो	17,19 वर्ष	छात्र–छात्रा
लॉन टेनिस	17,19 वर्ष	छात्र–छात्रा
टेबल टेनिस	17,19 वर्ष	छात्र–छात्रा
कबड्डी	17,19 वर्ष	छात्र–छात्रा
तृतीय समूह		
एथलेटिक्स	17 एवं 19 वर्ष	छात्र - छात्रा

प्रतियोगिता निम्न तिथियों के अनुसार ही आयोजित की जावें :–

समूह	विद्यालय स्तर	जिला स्तर	राज्य स्तर
प्रथम समूह	22–08–2016 से पूर्व	01.09.16 से 05.09.16 के मध्य (अधिकतम चार दिन)	14.09.16 से 19.09.16 तक
द्वितीय समूह	22–08–2016 से पूर्व	05.09.16 से 09.09.16 के मध्य (अधिकतम चार दिन)	22.09.16 से 27.09.16 तक

निम्नांकित खेल की राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता माह सितम्बर/अक्टूबर में आयोजित होने के कारण उक्त समूहों की प्रतियोगिता तिथियां निम्नानुसार होगी :–

	खेल का नाम	विद्यालय स्तर	जिला स्तर	राज्य स्तर
1.	फुटबॉल 19 वर्ष छात्र	07–8–2016 से पूर्व	07–08–2016 से 12–08–2016 तक	20–08–2016 से 24–08–2016
2.	तीरंदाजी 17,19 वर्ष छात्र–छात्रा	07–8–2016 से पूर्व	07–08–2016 से 12–08–2016 तक	20–08–2016 से 24–08–2016
3.	जूडो 17,19 वर्ष छात्र–छात्रा	07–8–2016 से पूर्व	07–08–2016 से 12–08–2016 तक	20–08–2016 से 24–08–2016
4.	वॉलीबाल 17,19 वर्ष छात्र–छात्रा	07–8–2016 से पूर्व	07–08–2016 से 12–08–2016 तक	20–08–2016 से 24–08–2016
5.	कबड्डी 17,19 वर्ष छात्र–छात्रा	07–8–2016 से पूर्व	07–08–2016 से 12–08–2016 तक	20–08–2016 से 24–08–2016
6.	एथलेटिक्स 17,19 वर्ष छात्र–छात्रा	07–8–2016 से पूर्व	07–08–2016 से 12–08–2016 तक	26–08–2016 से 30–08–2016

साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रवृतियां कार्यक्रम विद्यालय /क्षेत्रीय/जिला स्तर तक का आयोजन विभागीय खेलकूद नियमावली एवं मार्गदर्शिका 2005 के अनुसार पूर्ववत जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं से पूर्व आयोजित करवायें। दिनांक 29 अगस्त 2016 मेजर ध्यानचंद जयन्ति को खेल दिवस के रूप में विद्यालय स्तर पर विविध खेलों के आयोजन किये जावें ।

सत्र 2016–17 की 61वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक 17 वर्ष एवं 19 वर्ष आयुवर्ग विद्यालयी छात्र–छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता आयोजक विद्यालयों के नाम व स्थान परिशिष्ट 1 व 2 पर संलग्न हैं ।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2008–2009 में खेलकूद प्रतियोगिताओं के नियमों में परिवर्तन/परिवर्द्धन के संबंध में विस्तृत आदेश, क्रमांक: शिविरा–माध्य/खेलकूद/निजी/ 35427/05–06/108 दिनांक 04–7–08 के द्वारा पूर्व में प्रसारित किये जा चुके है, यथावत रहेंगे ।

सत्र 2016-17 की प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन हेतु निम्नांकित निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :-

01. इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/खेलकूद-3/35968/राज्य स्तरीय प्रतियोगिता/ 2015-16/108 दिनांक 03.06.2016 के द्वारा योग्यता पात्रता प्रमाण पत्र के साथ प्रतियोगी खिलाड़ियों का राजस्थान के मूल निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न की जानी आवश्यक होगी। राज्य के बाहर के खिलाड़ियों के द्वारा उक्त खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु गत दो वर्ष लगातार राजस्थान के विद्यालयों में अध्ययनरत रहने की (दोनो वर्षो की अंकतालिकाएं संलग्न करते हुए) बाध्यता आवश्यक होगी। किसी भी कक्षा में दो वर्ष से अनुर्तीण /ठहराव वाले छात्र-छात्रा किसी भी विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु पात्र नही होगें। केन्द्रीय सेवाओं में कार्यरत /निजी संस्थानों में कार्यरत एवं निजी व्यवसायी अभिभावकों के विद्यार्थियों से संबंधित विभाग /संस्था/राजपत्रित अधिकारी से राजस्थान में कार्यरत रहने का प्रमाण पत्र एवं आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

02. सभी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित तिथियों के मध्य टीमों की संख्या के आधार पर न्यूनतम दिनों का कार्यक्रम तय कर जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं को आयोजित करें परन्तु क्षेत्रीय प्रतियोगिता आवश्यकतानुसार विद्यालयी स्तर की प्रतियोगिता के पश्चात एवं जिला स्तरीय प्रतियोगिता से पूर्व आयोजित करावें। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएँ निर्धारित तिथियों एवं स्थानों पर निर्धारित विद्यालयों द्वारा ही आयोजित की जावेगी। तिथियों एवं प्रतियोगिताओं के स्थलों में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

03. सत्र 2016-17 में सभी स्तर की प्रतियोगिताओं में संभागित्व के लिए खिलाड़ियों की जन्म तिथि निम्नानुसार होगी:-

(1) 19 वर्ष आयुवर्ग-छात्र-छात्रा के लिए 01-01-1998 या उसके पश्चात एवं कक्षा 6 से 12 तक नियमित अध्ययनरत।

(2) 17 वर्ष आयुवर्ग-छात्र-छात्रा के लिए 01-01-2000 या उसके पश्चात एवं कक्षा 6 से 10 तक नियमित अध्ययनरत।

04. पूर्व की भांति राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विधालयों में अध्ययनरत विधार्थी ही इन प्रतियोगिताओं हेतु पात्र होंगे।

05. शिक्षा विभागीय सभी खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु खिलाड़ी की पात्रता प्रवेश तिथि सभी कक्षाओं के लिए वास्तविक प्रवेश तिथि मान्य होगी।

06. प्रतियोगिता आयोजन के कार्यक्रम को निर्धारित करने (ड्राज डालने) की सुविधा हेतु सत्र 2015-16 में राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता के प्रथम आठ स्थानों के परिणाम परिशिष्ट-3 से 6 पर संलग्न किये जा रहे है।

07. सभी स्तर की विद्यालयी छात्र-छात्रा खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन के समय प्रतियोगिता के संचालन हेतु निदेशालय के आदेश क्रमांक-शिविरा/खेलकूद-3/ 35101/04-05 दिनांक 20 अगस्त 2005 के अनुसार ही प्रतिनियुक्तियाँ की जावें। यथा संभव स्थानीय कार्मिकों/अध्यापकों की सेवाएँ ली जावें।

08. सत्र 2016-17 की छात्र-छात्रा खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन शिक्षा विभागीय खेलकूद नियमावली एवं मार्गदर्शिका 2005 व उसके पश्चात समय-समय पर नियमों में हुए संशोधन एवं प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप ही किया जावे तथा खेलों के नियम संबंधित खेल संघों के जो वर्तमान में संशोधित रूप में लागू है, के अनुरूप ही प्रतियोगिताओं को आयोजित किया जावे, परन्तु विभागीय आदेशों/नियमों को ध्यान में रखते हुए अनुपालना हो।

09. विशिष्ट विद्यालय जैसे सादूल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर, सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र, शिक्षा विभागीय खेल छात्रावास के विद्यालय, संस्कृत शिक्षा निदेशालय के अधीनस्थ अध्ययनरत खिलाड़ियों का दल, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर द्वारा संचालित खेल विद्यालय/छात्रावास/अकादमी के दल पूर्व की भांति सीधे ही राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में भाग ले सकेगें।

10. राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर द्वारा संचालित खेल विद्यालय/छात्रावास/अकादमी में प्रशिक्षणरत/अध्ययनरत खिलाड़ियों की सूची मय पूर्ण विवरण दिनांक 05-08-2016 तक आवश्यक रूप से वाहक स्तर पर इस कार्यालय को भिजवावें (खेलवार छात्र सूची निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को 03 अगस्त 2016 तक प्रस्तुत की जावे जिससे जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) स्तर पर पूर्ण छानबीन पश्चात् प्रमाणित करते हुए उक्त सूचियां वाहक स्तर पर इस कार्यालय को दिनांक: 05.08.2016 तक भिजवाई जावेगी अन्यथा इन्हे सम्बद्ध खेल की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु ड्राज में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा। जिसका सम्पूर्ण दायित्व सचिव/अध्यक्ष राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर एवं संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) का होगा।

11. उक्त विशिष्ट विद्यालयों का दल पूर्ण नहीं होता है तो इन विशिष्ट विद्यालयों के खिलाड़ी एवं अन्य किसी विद्यालय का पूर्व में राष्ट्रीय विद्यालयी प्रतियोगिता में भाग ले चुका श्रेष्ठ खिलाड़ी किसी विशेष कारण से जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सका है तो राज्य स्तरीय चयन समिति के समक्ष उस खिलाड़ी का उक्त सत्र में प्रतियोगिता के समय अपने विद्यालय के संस्था प्रधान का नियमित विद्यार्थी होने का पत्र मय योग्यता प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में संभागित्व प्रमाण पत्र (केवल पूर्व राष्ट्रीय विद्यालयी खिलाड़ी हेतु) की प्रमाणित छाया प्रति सहित खिलाड़ी स्वयं लेकर उपस्थित होता है तो चयन समिति द्वारा उसका परीक्षण किया जाकर चयन होने की स्थिति में निर्धारित संख्या में ही पूर्व राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर की राज्य स्तर पर तैयार की जाने वाली चयन सूची में सम्मिलित किया जावेगा। ऐसे खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता स्थल पर चयन परीक्षण हेतु प्रतियोगिता समाप्ति से तीन दिन पूर्व प्रात: 11.00 बजे तक प्रतियोगिता आयोजक संस्था प्रधान को उपस्थिति देवें। छात्रा खिलाड़ी महिला प्रभारी के साथ उपस्थिति देवें।

12. सभी सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र एवं शिक्षा विभागीय खेल छात्रावासों

के संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि सत्र 2016-17 की राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में खेल विशेष हेतु प्रशिक्षण योजनान्तर्गत चयनित खिलाड़ियों में से ही अपने दल का गठन करे । विद्यालय के अचयनित खिलाड़ियों को सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र/खेल छात्रावास के दल में सम्मिलित नहीं किया जावे। शिक्षा विभाग का विशिष्ट विद्यालय सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर के अन्तर्गत प्रवेश लिए खिलाड़ी संबंधित खेल में सीधे ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे, एथेलेटिक्स के छात्र अन्य खेलों में भी भाग ले सकते हैं, अन्य खेलों के छात्र एथेलेटिक्स में भी भाग ले सकते हैं। इस हेतु विभाग द्वारा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने पर ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेगें। सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर के डे-स्कॉलर विद्यार्थियों का अलग से दल गठन कर अन्य सामान्य विद्यालयों के छात्र दलों की तरह जिला स्तरीय प्रतियोगिता में दल भिजवाया जा सकता है । डे-स्कॉलर को सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर के छात्रावासी खिलाड़ियों के चयनित दल में शामिल नहीं किया जावे ।

13. सत्र 2003-04 से राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.16( )शिक्षा-6/2002 दिनांक 7.1.2003 की अनुपालना में वर्तमान प्रतियोगिता शुल्क के नियमान्तर्गत संस्कृत शिक्षा के जिले के सभी विद्यालयों से कुल छात्र-छात्रा संख्या के अनुसार सामान्य वर्ग से 5/- एवं आरक्षित वर्ग से 2/- प्रति छात्र-छात्रा की दर से एकत्रित राशि का 50 (प्रतिशत) राशि राज्य के समस्त संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) नॉडल अधिकारी को प्रतियोगिताओं के आयोजन से पूर्व जमा करवाने की शर्त पर संस्कृत शिक्षा के खिलाड़ियों को 19 वर्ष एवं 17 वर्ष आयुवर्ग के छात्र वर्ग के निम्न खेलों :- वॉलीबाल, फुटबाल, कबड्डी, खो-खो, बेडमिंटन व कुश्ती शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित वजनवार में एवं एथेलेटिक्स 19 वर्ष एंव 17 वर्ष छात्र वर्ग के राज्य स्तर पर होने वाले इवेन्ट्स में निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राजस्थान को भी विशिष्ट विद्यालयों की भांति पृथक इकाई मानते हुए राज्य स्तर पर सीधे भाग लेने की स्वीकृति शिक्षा विभागीय नियमान्तर्गत प्रदान की गई है । निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान के 19 वर्ष एवं 17 वर्ष छात्र खिलाड़ियों द्वारा उक्त खेलों में राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में पृथक इकाई के रूप में भाग लेने पर उसकी सूचना आयोजक विद्यालयों के संस्था प्रधान को प्रतियोगिता से 15 दिन पूर्व दी जायेगी । राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगितार्थ चयन समिति द्वारा शिक्षा विभाग की निर्धारित प्रक्रियानुसार उन्हे चयन प्रक्रिया में शामिल किया जावेगा । यदि संस्कृत शिक्षा के खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय पूर्व प्रशिक्षण शिविर हेतु होता है तो उसका नाम चयन सूची में निर्धारित संख्या में ही शामिल होगा।

14. टेबल टेनिस, बैडमिंटन एवं लॉन टेनिस में दलीय स्पर्धा के साथ-साथ व्यक्तिगत स्पर्धा का आयोजन भी करवाया जावे । 17 व 19 वर्ष छात्र-छात्रा के व्यक्तिगत स्पर्धा के आधार पर ही जिले के दल का गठन चयन विधि द्वारा किया जावेगा । दोनो वर्ग 17 व 19 वर्ष छात्र-छात्रा में अच्छे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने हेतु टेबल टेनिस, बैडमिंटन व लॉन टेनिस की दलीय स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले दलों के दो खिलाड़ी एवं सेमी फाइनल में पहुंचने वाले दलों के 5 खिलाड़ी व्यक्तिगत स्पर्धा में भाग लेगें । अन्य दलों से पूर्व की भांति 01 ही खिलाड़ी व्यक्तिगत स्पर्धा में भाग ले सकेगा । व्यक्तिगत स्पर्धा हेतु ड्राज डालते समय अच्छे खिलाड़ी को सींडिग दी जावे । इनकी ड्राज दलीय स्पर्धा में सेमी फाइनल में पहुंचने वाले दलों के निर्धारण होने के बाद डाली जावें । क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले दलों के 2 खिलाड़ियों एवं सेमी फाइनल में पहुंचने वाले दलों के 05 खिलाड़ियों के नाम व्यक्तिगत क्रमानुसार प्रभारी से लिखित में लिए जावे । उसके बाद सीडिंग देकर ड्राज डाली जावे । ड्राज डालते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि सेमी फाइनल में पहुंचने वाले दलों के प्रथम वरीयता वाले खिलाड़ियों का सेमी फाइनल से पहले मैच न हो सके । टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल से पूर्व के मैंचों में बेस्ट ऑफ 13 गेम, क्वार्टर फाइनल व सेमी फाइनल में बेस्ट ऑफ 17 गेम तथा फाइनल में बेस्ट ऑफ 3 सैट द्वारा निर्णय किया जाये। (जनवरी 2015 से आई.टी.टी.एफ, टी.टी.एफ.आई. व एस.जी.एफ.आई द्वारा टेबल टेनिस बॉल का नाप 40+MM प्लास्टिक मेड वाईट कलर कर दिया गया है। जिसकी तदानुसार पालना सुनिश्चित हो।)

15. खिलाड़ी संख्या जो जिला स्तर पर निर्धारित है वही संख्या उनके लिए राज्य स्तरीय तथा राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में लागू होगी । सुविधा की दृष्टि से सभी स्तरों पर संभागी खिलाड़ियों की संख्या **सत्र 2016-17 में निम्न प्रकार से होगी :-**

खेल का नाम	उमावि स्तर (19 वर्ष छात्र-छात्रा)		मावि स्तर (17 वर्ष छात्र-छात्रा)	
	जिला स्तर	राज्य/ राष्ट्रीय स्तर	जिला स्तर	राज्य/ राष्ट्रीय स्तर
तैराकी	प्रत्येक इवेन्ट में दो	प्रत्येक इवेन्ट में दो	प्रत्येक इवेन्ट में दो	प्रत्येक इवेन्ट में दो
वॉलीबाल	12	12	12	12
हैण्डबॉल	16	16	16	16
हॉकी	18	18	18	18
सॉफ्टबाल	16	16	16	16
फुटबॉल (छात्र)	18	18	18	18
जूडो	वजनवार जूडो का-1	वजनवार जूडो का-1	वजनवार जूडो का -1	वजनवार जूडो का -1
कुश्ती	वजनवार पहलवान -1	वजनवार पहलवान-1	वजनवार पहलवान -1	वजनवार पहलवान -1
जिम्नास्टिक	07	07	07	07
बास्केटबॉल	12	12	12	12
क्रिकेट (छात्र)	16	16	16	16

बैडमिंटन	05	05	05	05
टेबल टेनिस	05	05	05	05
कबड्डी	12	12	12	12
खो–खो	12	12	12	12
लॉन टेनिस	05	05	05	05
तीरंदाजी (इण्डियन राउण्ड)	04	04	04	04
तीरंदाजी (फीटा राउण्ड)	04	04	04	04
एथेलेटिक्स	प्रत्येक इवेन्ट में दो	प्रत्येक इवेन्ट में दो	प्रत्येक इवेन्ट में दो	प्रत्येक इवेन्ट में दो

नोट–: एथेलेटिक्स एवं तैराकी में प्रत्येक रिले में खिलाड़ियों की संख्या चार होगी।

16. एथेलेटिक्स व तैराकी 19 व 17 वर्ष आयुवर्ग की छात्र–छात्राओं द्वारा व्यक्तिगत स्पर्धा में विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने वाले प्रथम व द्वितीय, रिले में समय के आधार पर श्रेष्ठ चार, कुश्ती व जूडो के प्रत्येक भार में केवल प्रथम आने वाला, तीरंदाजी (इण्डियन व फीटा राउन्ड) में कुल अंको के 30 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर मानदण्ड पूर्ण करने वाले खिलाड़ी व जिम्नास्टिक में कुल अंको के 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर मानदण्ड पूर्ण करने वाले खिलाड़ी वरीयतानुसार निर्धारित संख्या में राज्य स्तर पर भाग लेगें । निर्धारित मानदंड पूर्ण नहीं करने वाले खिलाड़ियों को उक्त खेलों की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में नहीं भिजवाया जावे । यह सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–नोडल अधिकारी), शिविराधिपति, टीम प्रभारी एवं प्रशिक्षक का होगा । जिम्नास्ट्रिक की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कुल 40 प्रतिशत अंक प्राप्त कर निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने वाले खिलाड़ी को ही मेरिट/भाग लेने का प्रमाण पत्र देय होगा । तीरंदाजी (इण्डियन व फीटा राउण्ड) की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कुल 30 प्रतिशत अंक प्राप्त कर निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने वाले खिलाड़ी को ही भाग लेने का प्रमाण पत्र देय होगा लेकिन मेरिट प्रमाण पत्र के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों की बाध्यता यथावत रहेगी। दलीय स्पर्धाओं में भी दल द्वारा निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने पर दल के सभी सदस्यों को स्मरण/मेरिट प्रमाण पत्र दिये जावेगें। राज्य स्तर पर निर्धारित मानदण्ड पूर्ण नहीं करने वाले खिलाड़ियों को भाग लेने/मेरिट प्रमाण पत्र नहीं दिये जावे। आदेश की अवहेलना करने वाले अधिकारी/कार्मिक के विरुद्ध खेलकूद प्रतियोगिता नियमावली, 2005 के बिन्दु संख्या 10.2.6 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी ।

17. खिलाड़ी, शारीरिक शिक्षक एवं संस्था प्रधान पात्रता/योग्यता प्रमाण पत्र का भली–भाँति मिलान करें। संस्था प्रधान छात्र की जन्मतिथि, नाम, पिता का नाम, प्रवेशांक (स्कॉलर) रजिस्टर से मिलान करने के पश्चात छात्र–छात्रा के पात्रता/ योग्यता प्रमाण पत्र को प्रमाणित करें । खेल में भाग लेने/मेरिट प्रमाण पत्र संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित योग्यता प्रमाण पत्र के आधार पर ही तैयार किये जाते हैं । अत: बाद में इन प्रमाण पत्रों में दर्शाई गई जन्मतिथि, नाम आदि में परिवर्तन किया जाना संभव नहीं होगा ।

18. विद्यालय/जिलों की टीमों के साथ आने वाले शारीरिक शिक्षक/प्रशिक्षक को निर्णायक के रूप में नियुक्त किया जाता है तो सम्बन्धित शारीरिक शिक्षक निर्णायक के रूप में कार्य करेगा । आदेशों की अवहेलना करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी ।

19. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जिला स्तरीय आयुवर्ग खेल प्रतियोगिताओं के समेकित परिणाम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से पूर्व निम्न प्रारुप में उपनिदेशक (खेलकूद) माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को निश्चित रूप से भिजवावें:–

क्र. सं.	खेल का नाम	प्रति. स्थल का नाम	प्रति. अवधि	प्रथम तीन स्थानों के परिणाम (विद्यालय के नाम सहित)	संभागी टीमों की संख्या	कुल खिलाड़ी संख्या	निर्णायकों की संख्या	अन्य कार्मिकों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9

गत वर्षों में यह देखने में आया है कि कतिपय जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ही उक्त सूचना भेजी जाती है । अत: भविष्य में सभी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त निर्धारित प्रपत्र में सूचना भिजवाना सुनिश्चित किया जावें ।

20. खेलकूद प्रतियोगिता शुल्क गत सत्रों के अनुसार सभी विद्यालयों से निम्न दरों के अनुसार वसूला जावें:–

सामान्य वर्ग 05 रुपये प्रति छात्र–छात्रा

आरक्षित वर्ग (अनु.जाति, अनु. जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) 02 रुपये प्रति छात्र–छात्रा

उक्त प्रतियोगिता शुल्क की कुल संग्रहित राशि में से 40 प्रतिशत राशि राष्ट्रीय प्रतियोगिता हेतु अपने अपने जिलों में आरक्षित रखें। उक्त राशि निदेशालय के आदेशानुसार ही उपयोग में ली जावेगी । शेष रही 60 प्रतिशत राशि का व्यय करने के संबंध में खेलकूद नियमावली 2005 में प्रदत्त निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी । संग्रहित की गई राशि की सूचना निर्धारित प्रपत्र में सत्र में दो बार दिनांक 30–9–2016 एवं 31–3–2017 तक सभी जिला शिक्षा अधिकारी (मा) अनिवार्यत: उप निदेशक (खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा) माध्यमिक शिक्षा राज. बीकानेर को भिजवायेगें।उक्त प्रतियोगिता शुल्क की राशि राजकीय राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त गैर सरकारी/निजी एवं अनुदान प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाओं द्वारा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर तक के समस्त विद्यालयों को भुगतान करना अनिवार्य है, चाहें विद्यालय खेलकूद

प्रतियोगिताओं में भाग लेता हो अथवा नहीं । प्रतियोगिता शुल्क का भुगतान नहीं करने वाले विद्यालयों पर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-नोडल) अपने स्तर पर नियमानुसार कार्यवाही करें।

21. प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित होने वाली जिला स्तरीय उच्च प्राथमिक विद्यालयी खेलकूद छात्र-छात्रा प्रतियोगिता में यदि माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के छात्र-छात्रा खिलाड़ी भाग लेते है तो उक्त प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या के आधार पर 5 रुपये (पाँच रुपये) प्रति खिलाड़ी की दर से, जिसके अन्तर्गत सामान्य वर्ग एवं आरक्षित वर्ग सम्मिलित है, के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा अपने जिले की समस्त विद्यालयों से ली गयी प्रतियोगिता शुल्क की 60 प्रतिशत राशि में से जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) को राशि जमा करवायेंगे। उक्त आदेश प्रारम्भिक शिक्षा राज., बीकानेर के पत्रांक शिविरा/प्रारं/खेकू/स्वाशि/7509/पंचांग/71 दिनांक: 27-8-01 के अनुसार इस कार्यालय के पत्रांक-: शिविरा/मा/खेलकूद-3/35101/वार्षिक पंचांग /2001-02/26 दिनांक 30-8-2001 से जारी किया जा चुका है ।

22. जिला एवं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के भाग लेने/मेरिट प्रमाण पत्र प्रतियोगिता स्थल पर खिलाड़ी को अनिवार्यत: वितरित किया जावें । संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं उपनिदेशक इस ओर विशेष ध्यान देते हुए इसकी पालना सुनिश्चित करें । प्रमाण पत्र खिलाड़ी के योग्यता प्रमाण पत्र के फोटो से मिलान करने के पश्चात खिलाड़ी के प्रतिपर्ण पर हस्ताक्षर लेकर उपस्थित खिलाड़ी को ही दिया जावे । अनुपस्थित खिलाड़ी के प्रमाण पत्र को अन्य किसी को नहीं दिया जावे । प्रमाण पत्र पर क्रमांक छपवाने अनिवार्य है तथा प्रमाण पत्र का प्रतिपर्ण गत सत्रों की भाँति छपवाया जावे एवं अभिलेख में सुरक्षित रखा जावे। मेरिट प्रमाण पत्र प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को ही दिया जावे। मेरिट प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को स्मरण प्रमाण पत्र भी दिया जावे । व्यक्तिगत एवं दलीय स्पर्धा में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को भी मेरिट प्रमाण पत्र दिया जावे । कुश्ती व जूडो में तृतीय स्थान का मेरिट प्रमाण पत्र रेपीचार्ज पद्धति के आधार पर दो खिलाड़ियों को देय होगा ।

23. तैराकी, कुश्ती, जूडो, जिम्नास्टिक, लानटेनिस एवं तीरंदाजी 19 वर्ष एवं 17 वर्ष आयुवर्ग की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएँ खेलानुसार एक ही स्थान पर आयोजित होती है, जिसमें जिले के सभी आयु वर्ग के छात्र-छात्रा एक ही स्थान पर भाग लेते है । जिस जिले में दो जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) है, प्रतियोगिता स्थल पर दल के साथ जाने वाले दल नायक, प्रशिक्षक, शा.शिक्षक के आदेश जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) नॉडल अधिकारी द्वारा प्रसारित किये जावे। छात्रा दल के साथ महिला अधिकारी/प्रशिक्षक/ शारीरिक शिक्षक/महिला प्रभारी को ही लगाया जावे। अपरिहार्य कारणों से महिला अधिकारी/प्रशिक्षक/ शारीरिक शिक्षक के स्थान पर पुरुष अधिकारी/प्रशिक्षक/ शारीरिक शिक्षक को लगाया जाता है तो प्रतियोगिता आयोजक द्वारा प्रतियोगिता स्थल पर पुरुष अधिकारी/प्रशिक्षक/ शारीरिक शिक्षक आदि की एवं छात्रा खिलाड़ियों के आवास की व्यवस्था अलग-अलग स्थानों पर की जावे । यह ध्यान रखा जावें कि छात्रा टीम के साथ महिला प्रभारी अनिवार्य भेजी जावे। यह सुनिश्चित करना कि छात्राओं के साथ महिला प्रभारी भेजी गयी है या नहीं, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) का उत्तरदायित्व होगा। जिला स्तरीय प्रतियोगिता स्थलों पर निर्णायक मंडल/चयन समिति में निर्धारित संख्यानुसार ही शारीरिक शिक्षकों को लगाया जावे । इस हेतु प्रतिनियुक्ति आदेश जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) के हस्ताक्षरों द्वारा ही जारी किए जावे । जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत अधीनस्थ अधिकारी/उप जिला शिक्षा अधिकारी (शा.शि.) द्वारा प्रतिनियुक्ति आदेश अलग से प्रसारित नहीं किए जावे ।

24. S.G.F.I. (स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया) द्वारा कुश्ती, जूडो, कबड्डी, एवं एथेलेटिक्स प्रतियोगिता हेतु गत सत्र से वजन निर्धारण एवं इवेन्ट केटेगरी के नये मानदण्ड निर्धारित किये हैं, जिसकी प्रति आपको इस कार्यालय के पत्र दिनांक 14.08.2012 के द्वारा भेजी जा चुकी है। अत: जिला/राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को इसी अनुरूप सम्पन्न करावें । निर्धारित मानदण्ड परिशिष्ट 9 पर संलग्न हैं ।

25. एथेलेटिक्स एवं तैराकी में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित स्पर्धा के अनुसार ही जिला/राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं में स्पर्धाएँ करवायें। इस हेतु निर्धारित स्पर्धा एवं इन स्पर्धाओं हेतु निर्धारित मानदण्ड परिशिष्ट:- 7 से 8 पर संलग्न है ।

26. निदेशालय पृथकीकरण के पश्चात जिन जिलों में दो जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कार्यरत है उन जिलों सें राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में एक ही दल भाग ले सकेगा। जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित करवाने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) नॉडल अधिकारी होगें।

27. जयपुर जिले से पूर्व की भाँति राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के दो दल भाग ले सकेगें। छात्रा खिलाड़ियों का एक ही दल राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेगा। छात्रा खिलाड़ियों का जिला स्तरीय प्रतियोगिता हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)-प्रथम नॉडल अधिकारी होगें।

28. चयन समिति द्वारा पूर्व राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर हेतु जो सूची बनाई जाती है वह प्रतियोगिता स्थल पर घोषित नहीं की जावे।

29. राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में अधिक आयु के खिलाड़ियों को खेलने से रोकने तथा निर्धारित आयु के खिलाड़ियों को खेल का पर्याप्त अवसर देने हेतु राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं के आरम्भ से एक दिन पूर्व आयोजकों द्वारा गठित अधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा सभी सम्भागियों का आयु सम्बन्धी मेडिकल परीक्षण करवाया जावेगा। इस हेतु समस्त सम्भागियों को

प्रतियोगिता आरम्भ से एक दिन पूर्व प्रात: 10.00 बजे तक प्रतियोगिता स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। अन्यथा दल प्रतियोगिता से वंचित होंगे ।

30. सभी खेलों में संबंधित खेल फेडरेशन के नवीनतम नियम मान्य होंगे परन्तु आयोजन की दृष्टि से टाई ब्रेक , समय, सैट आदि के सम्बन्ध में शिक्षा विभागीय नियम मान्य होंगे। लीग प्रणाली तथा लीग-कम-लीग अर्थात सुपर लीग प्रणाली से खेले जाने वाले सभी खेलों के मैचों में विजेता दल को 2 अंक व पराजित दल को 0 अंक एवं बराबर रहने वाले दलों को 1-1 अंक दिया जावेगा। विद्यालयी जिला/राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में लीग, लीग-कम-लीग अर्थात् सुपर लीग प्रणाली से खेले गये समस्त खेलों के मैचों में टाई पड़ जाने अर्थात् अंको के आधार पर खेल परिणाम बराबर रह जाये तो टाई निम्नानुसार तोड़ी जावे :-
मैच जब पहली लीग प्रणाली या लीग-कम-लीग प्रणाली पर खिलायें और दल बराबर रह जाते हैं तो प्राप्त गोल/स्कोर/सेट के औसत को आधार मान कर टाई तोड़ी जावे। गोल/स्कोर/सेट का तात्पर्य है ''जिस दल के पक्ष में जितने गोल/स्कोर/सेट हुए है उनमें से उसी दल के विपक्ष में हुए गोल/स्कोर/सेट का अन्तर निकाल कर टाई तोड़ी जावे। यदि इस पद्धति से निर्णय की स्थिति न बन पाये तो जिस दल के पक्ष में अधिक संख्या में गोल/स्कोर/सेट रहे, उसे ही विजेता घोषित कर दिया जावे परन्तु यह गणना प्रत्येक स्तर के क्रम में अर्थात् लीग के लिए अलग तथा लीग-कम-लीग (सुपरलीग) के लिए अलग-अलग लागू होगी दूसरे शब्दों में पहले लीग मैचेज के रहे परिणाम लीग-कम-लीग प्रणाली (सुपरलीग) में लागू नहीं होंगे। लीग या सुपर लीग प्रणाली से खेले जाने वाले मैचों में टीमों की संख्या दो (2) ही रह जाये या दो ही हो तो नॉक आउट प्रणाली की भांति उस मैच का खेल विशेष के अनुसार परिणाम निकाल कर आगामी मैच के लिए दल का निर्धारण किया जावेगा।
31. विद्यालयी/क्षेत्रीय/जिला/राज्य स्तरीय विद्यालयी कुश्ती/जूडो में जिस केटेगरी/वजन के लिए जिस खिलाड़ी का चयन किया गया है, चयन परीक्षण भी उसी केटेगरी /वजन के खिलाड़ियों का आयोजित कर वजनवार दल गठन किया जावे एवं उसी वजन/केटेगरी में ही वह खिलाड़ी क्षेत्रीय/जिला/राज्य/राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेगा ।
32. एथलेटिक्स में प्रत्येक इवेन्ट् (दौड़ के अलावा) में खिलाड़ी को तीन-तीन अवसर दिये जावेगें।
33. एथलेटिक्स एवं तैराकी की चैम्पियनशिप हेतु रिले में प्रथम,द्वितीय व तृतीय को क्रमश: 10-6-3 अंक तथा अन्य स्पर्धाओ हेतु 5-3-1 अंक दिये जावेंगे ।
34. 17 व 19 वर्ष आयु वर्ग के छात्र-छात्रा टीम खेल व व्यक्तिगत खेलो में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से पूर्व जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जावें ।
35. टीमों के अभिलेख, ध्वज आदि प्रतियोगिता स्थल पर ले जाने/जमा करवाने का उत्तरदायित्व संबंधित टीम/दल के दलाधिपति/दलनायक का होगा ।

● (बी.एल.स्वर्णकार) आई.ए.एस. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रंमाक-:शिविरा/मा/खेलकूद-3/35101/वार्षिकपंचांग/2016-17/ दिनांक : 21.07.16

परिशिष्ट-1

61 वीं राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद
(17 व 19 वर्ष छात्र-छात्रा)

प्रतियोगिता वर्ष 2016-17 के आयोज्य विद्यालयों के नाम व स्थानों का विवरण

विशेष प्रथम समूह दिनांक 20.08.2016 से 24.08.2016 तक

क्र. सं.	खेल का नाम	वर्ग	प्रतियोगिता आयोजन स्थल
1.	फुटबाल	19 वर्ष छात्र	रामावि, जैसलमेर
2.	तीरंदाजी	17, 19 वर्ष छात्र-छात्रा	राबाउमावि, बांरा
3.	वॉलीबाल	17, 19 वर्ष छात्रा	श्री कल्याण सिंह उमावि, शाहपुरा (जयपुर)
4.	वॉलीबाल	17, 19 वर्ष छात्रा	राउमावि, ढांढण (सीकर)
5.	जूडो	17,19 वर्ष छात्र-छात्रा	राबाउमावि, महावीर नगर ाा, कोटा
6.	कबड्डी	17, 19 वर्ष छात्र	राउमावि, लाम्बा हरिसिंह, टोंक
7.	कबड्डी	17,19 वर्ष छात्रा	श्री अग्रसेन बाउमावि, अग्रसेन विहार रोड, हिण्डोन सिटी (करौली)

विशेष द्वितीय समूह दिनांक 26.08.2016 से 30.08.2016 तक

क्र. सं.	खेल का नाम	वर्ग	प्रतियोगिता आयोजन स्थल
1.	एथलेटिक्स	17,19 वर्ष छात्र	राउमावि, भीनमाल (जालौर)
2.	एथलेटिक्स	17,19 वर्ष छात्रा	रामावि,पाबूपुरा,जोधपुर

प्रथम समूह दिनांक 14-09-2016 से 19-09-2016 तक

1.	फुटबॉल	17 वर्ष छात्र	स्व.श्री बी.एन जोशी राउमावि, बांदीकुई (दौसा)
2.	जिम्नास्टिक	17,19 वर्ष छात्र-छात्रा	राउमावि, वराडा (सिरोही)
3.	हॉकी	17 वर्ष छात्र	राउमावि, गंगापुर सिटी (सवाई माधोपुर)
4.	हॉकी	19 वर्ष छात्र	शिव शक्ति मावि, तिलवासनी (जोधपुर)
5.	हॉकी	17 वर्ष छात्रा	राबाउमावि, देवाली (उदयपुर)
6.	हॉकी	19 वर्ष छात्रा	राउमावि, जैतारण (पाली)
7.	सॉफ्टबाल	17,19 वर्ष छात्र	राउमावि, गोलूवाला (हनुमानगढ़)

8.	सॉफ्टबाल	17,19 वर्ष छात्रा	रामावि, लोहागल, अजमेर
9.	तैराकी	17,19 वर्ष छात्र-छात्रा	राबाउमावि, गाँधीनगर न्यू, जयपुर
10.	कुश्ती	17, 19 वर्ष छात्र	राउमावि, लेबर कालोनी, भीलवाड़ा
11.	हैण्डबॉल	17, 19 वर्ष छात्र	राउमावि बालचन्द पाडा, बून्दी
12.	हैण्डबॉल	17, 19 वर्ष छात्रा	रा बोथरा बाउमावि, बीकानेर

● उपनिदेशक (खेलकूद) माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

परिशिष्ट-2

द्वितीय समूह दिनांक 22-09-2016 से 27-09-2016 तक

क्र. सं.	खेल का नाम	वर्ग	प्रतियोगता आयोजन स्थल
1.	बेडमिन्टन	17,19 वर्ष छात्र	रा जवाहर उमावि, अजमेर
2.	बेडमिन्टन	17,19 वर्ष छात्रा	रा देवेन्द्र बाउमावि,डुगंरपुर
3.	बास्केटबाल	17,19 वर्ष छात्र	एल.के.सिंघानिया एजुकेशन सेन्टर,गोटन (नागौर)
4.	बास्केटबाल	17,19 वर्ष छात्रा	राबामावि, नाथद्वारा (राजसमन्द)
5.	क्रिकेट	17 वर्ष छात्र	कर्नल जेपी जानू राउमावि, झुंझुनूं
6.	क्रिकेट	19 वर्ष छात्र	सेन्ट कोनार्ड उमावि, धौलपुर
7.	खो-खो	17,19 वर्ष छात्र	राउमावि,भूसावर (भरतपुर)
8.	खो-खो	17,19 वर्ष छात्रा	श्रीगुरू नानक खालसा बाउमावि, श्रीगंगानगर
9.	लॉन टेनिस	17,19 वर्ष छात्र-छात्रा	रा नवीन उमावि, अलवर
10	टेबल टेनिस	17,19 वर्ष छात्र	राउमावि, खुडाला (पाली)
11	टेबल टेनिस	17,19 वर्ष छात्रा	राबाउमावि, माल गोदाम रोड (बाड़मेर)

● उपनिदेशक (खेलकूद) माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

3. सत्र 2016-17 में आयोज्य 34 वीं सब जूनियर (15 वर्ष छात्र) नेहरु हॉकी प्रतियोगिता का पंचांग, आवश्यक निर्देश अनुपालनार्थ।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● कार्यालय आदेश ● सत्र 2016-17 में आयोज्य 34 वीं सब जूनियर (15 वर्ष छात्र) नेहरु हॉकी प्रतियोगिता का पंचांग आवश्यक निर्देशों सहित अनुपालनार्थ प्रसारित किया जाता है। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक) को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ विद्यालयों में पंचांग एवं निर्देशों को अविलम्ब प्रसारित करें।

34 वीं सब जूनियर (15 वर्ष छात्र) नेहरु हॉकी प्रतियोगिता निम्नांकित तिथियों में आयोजित की जावें :-

जिला स्तर पर :- 22-08-2016 से 23-08-2016 तक

राज्य स्तर पर :- 27-08-2016 से 29-08-2016 तक

राज्य स्तर पर नेहरु हॉकी (15 वर्ष छात्र) प्रतियोगिता आयोजन स्थल :-

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रींगस (सीकर)

आवश्यक दिशा-निर्देश :-

1. जिला स्तर पर विजेता टीम ही राज्य स्तरीय (15 वर्ष छात्र) नेहरु हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेगी तथा जिला स्तर पर विजेता टीम के जिन खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता सत्र भाग लिया है वे ही खिलाड़ी उसी सत्र की राज्य स्तरीय (15 वर्ष छात्र) नेहरु हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। उस प्रतियोगिता सत्र में खिलाड़ियों का परिवर्तन नहीं किया जावे।
2. सत्र 2016-17 की 34 वीं सब जूनियर (15 वर्ष छात्र) नेहरु हॉकी प्रतियोगिता हेतु छात्र की जन्म तिथि 01.11.2016 को 15 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए अर्थात 01.11.2001 या उसके पश्चात जन्म लेने वाले खिलाड़ी नेहरु हॉकी प्रतियोगिता (15 वर्ष छात्र) में भाग ले सकेंगे। साथ ही अन्तिम रूप से चिकित्सकीय प्रमाण पत्र जिसमें कि छात्र की आयु 15 वर्ष या उससे कम का प्रमाण पत्र हो आवश्यक रूप से संलग्न करें, इसके अभाव में छात्र प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेगा। जन्मतिथि में विवाद के क्रम में सम्बन्धित संस्था प्रधान जिम्मेदार होंगे। अत: विद्यालय अभिलेख से मिलान कर जन्म तिथि अंकों व शब्दों मे योग्यता प्रमाण-पत्र में दर्ज की जाए। इस प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु खिलाड़ी की पात्रता प्रवेश तिथी सभी कक्षाओं के लिए वास्तविक प्रवेश तिथि मान्य होगी।
3. राज्य स्तरीय नेहरु हॉकी प्रतियोगिता (15 वर्ष छात्र) में भाग लेने हेतु जिला स्तरीय नेहरु हॉकी (15 वर्ष छात्र) प्रतियोगिता में कम से कम 4 टीमों का भाग लेना अनिवार्य होगा। इस न्यूनतम निर्धारित संख्या में टीमें जिला स्तर पर भाग नहीं लेती है तो ऐसी स्थिति में प्रतियोगिता सम्पन्न करवाकर संभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित कर दिए जाए, परन्तु टीम उस प्रतियोगिता सत्र में नेहरु हॉकी प्रतियोगिता (15 वर्ष छात्र) राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेगी। उक्त सूचना जिला स्तरीय प्रतियोगिता प्रारम्भ होने के समय खिलाड़ियो को आवश्यक रूप से दी जाए।
4. सब जूनियर (15 वर्ष छात्र) नेहरु हॉकी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में टीमों की संख्या 4 या 4 से कम होने पर लीग प्रणाली से एवं टीमों की संख्या 5 या 5 से अधिक होने पर नॉक-आउट प्रणाली से की जाए।
5. जिला स्तर पर लीग प्रणाली में टाई पड़ने पर परिणाम हेतु निम्नानुसार टाई तोड़ी जाए:-
   1. लीग प्रणाली से खेले जाने वाले सभी खेलों के मैचों में विजेता दल को दो अंक व पराजित दल को शून्य अंक एवं बराबर रहने वाले दलों को एक-एक अंक दिया जाएगा।

2. जिला स्तर पर आवश्यकतानुसार मैच जब लीग प्रणाली से खिलाए और दल बराबर रह जाते है तो प्राप्त गोल औसत को आधार मान कर टाई तोड़ी जाए। गोल का तात्पर्य है जिस दल के पक्ष में जितने गोल हुए है उनमें से उसी दल के विपक्ष में हुए गोल का औसत निकाल कर टाई तोड़ी जाए। यदि इस पद्धति से निर्णय की स्थिति ना बन पाए तो जिस दल के पक्ष में अधिक संख्या में गोल रहें हो उसे ही विजेता घोषित कर दिया जाए।

6. राज्य स्तरीय (15 वर्ष छात्र) नेहरु हॉकी प्रतियोगिता नॉक आउट प्रणाली से आयोजित की जावेगी। नॉक आउट प्रणाली में टाई पड़ने पर विभागीय हॉकी प्रतियोगिता के अनुरूप ही टाई ब्रेकर नियम लागू किया जाएगा।

7. राज्य स्तरीय (15 वर्ष छात्र) नेहरु हॉकी प्रतियोगिता में दल हारते ही आयोजक हारे हुए दल को कार्यमुक्त कर देवें। सेमीफाइनल में हारने वाली टीमों के मध्य तीसरे एवं चौथे स्थान के लिए मैच करवाए जाए तथा 4 स्थानों के परिणाम निकाले जाए।

8. जिला स्तरीय (15 वर्ष छात्र) नेहरु हॉकी प्रतियोगिता हेतु आयोजन स्थल का निर्धारण जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), नॉडल अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

9. शिक्षा विभागीय अन्य विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में जिले के दल राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेते है जिसकी व्यवस्था सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाती है। उसी व्यवस्था/प्रक्रिया अनुसार ही जिले के दल को नेहरु हॉकी प्रतियोगिता (15 वर्ष छात्र) प्रतियोगिता के लिए भेजा जाए। खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता, अनुसांगिक प्रभार, यात्रा व्यय (रियायती दर) आदि समस्त व्यय अन्य विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं की भांति नियमानुसार छात्र कोष से वहन किए जायेंगे। अलग से कोई बजट आवंटित नहीं किया जाएगा।

10. जिला स्तरीय (15 वर्ष छात्र) नेहरु हॉकी प्रतियोगिता आयोजन पर होने व्यय अन्य विभागीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं की भांति जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) के पास उपलब्ध खेलकूद की अनारक्षित राशि 60 प्रतिशत राशि में से नियमानुसार कर सकेंगे।

11. शिक्षा विभाग के विशेष विद्यालय जैसे सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर एवं सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र विद्यालय में प्रवेश लिये खिलाड़ी दल यदि एक ही विद्यालय से पूर्ण बनता है तो सीधे ही राज्य स्तरीय (15 वर्ष छात्र) नेहरु हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेगें।

12. जिला स्तर पर विजेता विद्यालय की सूचना व भाग लेने वाले खिलाड़ियों की सूची परिणाम प्राप्त होते ही विजेता विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक के माध्यम से राज्य स्तरीय नेहरु हॉकी प्रतियोगिता आयोजक संस्था प्रधान को समय पर भिजवाते हुए राज्य स्तर पर भाग लेने की सूचना भी भिजवाए।

13. जिला स्तर पर विजेता टीम मय आवश्यक अभिलेखों के दिनांक 26.08.2016 की प्रात: 10:00 बजे तक राज्य स्तरीय (15 वर्ष छात्र) नेहरु हॉकी प्रतियोगिता आयोजक प्रधानाचार्य रा.उ.मा.वि, रींगस (सीकर) को अपनी उपस्थिति देवें।

14. अन्य विभागीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं की भांति नेहरु हॉकी प्रतियोगिता का भी समस्त अभिलेख विद्यालय में तैयार किया जाए एवं सुरक्षित रखें।

15. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) अपने जिले का कार्यक्रम तैयार कर उक्त प्रतियोगितार्थ जिला स्तर पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों की टीमों को शामिल करने हेतु आदेश की प्रति अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) व ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को भी पर्याप्त समय पूर्व भिजवाए।

16. 33 वीं राज्य स्तरीय (15 वर्ष छात्र) नेहरु हॉकी प्रतियोगिता 2015-16 के प्रथम चार स्थान के परिणाम इस प्रकार है :- **1. सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर 2. अलवर 3.श्रीगगांनगर 4. हनुमानगढ़**

17. सब जूनियर नेहरु हॉकी (15 वर्ष छात्र) प्रतियोगिता हेतु जिला एवं राज्य स्तर पर प्रत्येक दल में खिलाड़ियों की संख्या 16 होगी।

● (बी.एल.स्वर्णकार) आई.ए.एस. निदेशक,माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ● क्रंमाक-:शिविरा/मा/खेलकूद-3/35102/2016-17/नेहरु हॉकी/ ●दिनांक : 21.7.16

4. शांति कुंज, हरिद्वार द्वारा आयोजित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा-2016 के आयोजन में सहयोग करने बाबत।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/माध्य/मा/स/22448/2015/12 दिनांक : 27.07.2016 ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय) ● विषय : शांति कुंज, हरिद्वार द्वारा आयोजित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा-2016 के आयोजन में सहयोग प्रदान करने बाबत। ● प्रसंग : 1. राज्य सरकार का पत्रांक : प. 16(36) शिक्षा-6/2004, जयपुर, दिनांक : 26.05.14 2. जिला सचिव, भा.सं.ज्ञा. परीक्षा प्रकोष्ठ, बीकानेर का पत्रांक-भा.स.ज्ञा.प/2016/03 दिनांक : 24.07.16

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रासंगिक पत्र में पूर्व प्रदत्त निर्देशों के क्रम में शांतिकुंज द्वारा अवगत करवाया गया है कि भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा-2016 का आयोजन **27 सितम्बर, 2016 (मंगलवार) को दोपहर 12.00 बजे से 1.00 बजे तक** किया जाएगा, जिसमें कक्षा-5 से 12 तक के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे।

शासन के प्रासंगिक निर्देशों के क्रम में लेख है कि अधीनस्थ संस्था प्रधानों को विगत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी उक्त परीक्षा का सुचारू संचालन करने हेतु आयोजकों को वांछित सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित करें।

● (अरुण कुमार शर्मा) उप निदेशक (माध्यमिक), माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

5. समस्त केन्द्रीय प्रवर्तित छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु आवश्यक निर्देश।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/निजी/2016-17 दिनांक : 27.07.2016 ● समस्त संस्थाप्रधान रामावि/राबामावि/राउमावि/राबाउमावि ● विषय : समस्त केन्द्रीय प्रवर्तित छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु आवश्यक निर्देश। ● प्रसंग : शासन का पत्रांक-पं.19(3)शिक्षा-6/2008 जयपुर दिनांक 27.07.2016

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 25.07.2016 को शासन सचिव स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग की अध्यक्षता में हुई बैठक में निम्नांकित निर्णय लिए गए जिन की तय समयावधि में अक्षरश: पालना आप द्वारा की जानी सुनिश्चित करें।

क्र.सं.	पालनार्थ बिन्दु
1	मानव संसाधन विकास मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजनाओं NMMSS, NSIGSE एवं प्री मैट्रिक छात्रवृत्तियों (अ.जा./अ.ज.जा./अल्पसंख्यक आदि केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं) के सम्बन्ध में ऑनलाइन आवेदन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (एन.एस.पी. पोर्टल वर्जन 2.0) पर विद्यार्थियों, संस्थाप्रधानों, बीईईओ, डीईओ के माध्यम से समयबद्ध रूप से सब्मिट करवाएं जाएं ताकि कोई भी पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित न रहे।

इस हेतु समस्त संस्थाप्रधान लगातार विभागीय वैबसाईट shiksha.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध scholarship टैब को रोज खोल कर देखें ताकि किसी भी प्रकार की नवीन जानकारी तुरंत प्राप्त हो सके। साथ ही वे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (एन.एस.पी. पोर्टल वर्जन 2.0) www.scholarship.gov.in को भी विजिट कर विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन व आवेदन की प्रक्रिया को जान-समझ लेवें ताकि विद्यार्थियों का मार्गदर्शन व सहायता करने की स्थिति में आ सकें। समस्त पात्र विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन सब्मिट कर दिए जावें इसका पूर्ण दायित्त्व संस्थाप्रधान का रहेगा।

क्र.सं.	पालनार्थ बिन्दु
2	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अवगत करवाया गया है कि इस सत्र 2016-17 में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के आवेदनपत्र एन.एस.पी. पोर्टल के स्थान पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के वैब पोर्टल पर ऑनलाईन सबमिट किए जाने हैं।

इस सम्बन्ध में समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को सीमेट गोनेर में चल रहे प्रशिक्षण शिविर में एक सत्र के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। वे समस्त संस्थाप्रधानों को आवश्यक निर्देश प्रदान कर अग्रिम प्रक्रिया सुचारू बनावें। इस क्रम में विस्तृत दिशानिर्देश शीघ्र ही जारी किए जा रहे हैं जो कि विभागीय वेबसाइट shiksha.rajasthan.gov.in के scholarship टैब पर शीघ्र ही उपलब्ध होंगे।

क्र.सं.	पालनार्थ बिन्दु
3	इस वर्ष से समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियों के डीबीटी भुगतान के लिए समस्त लाभार्थियों के आधार सीडेड बैंक खाते अनिवार्य हैं। अत: लाभार्थियों के आधार सीडेड बैंक एकाउंट खोलने में उनकी सहायता, तदनुसार छात्रवृत्ति के ऑनलाईन प्रार्थनापत्र सबमिट करवाने में विद्यार्थी की सहायता करते हुए समस्त कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का दायित्त्व संस्थाप्रधान का होगा।

इसके लिए संस्थाप्रधान द्वारा आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबंधक इत्यादि से सम्पर्क किया जा सकता है।

पूर्व के निर्देशों के अनुसार विद्यालय में 40 या कम विद्यार्थियों के आधार कार्ड उन्हें आधार पंजीकरण केन्द्रों पर ले जा कर तथा 40 से अधिक विद्यार्थी होने पर विद्यालय में शिविर लगवा कर बनवाए जावें।

समस्त लाभार्थी विद्यार्थियों के स्वयं के बैंक खाते हों (माईनर होने की स्थिति में विद्यार्थी का स्वयं का खाता माता या पिता की गार्जियनशिप में बैंक द्वारा खोला जाता है)

समस्त लाभार्थी विद्यार्थियों के आधार तथा बैंक खाते बन जाने पर साथ साथ बैंक खातों से आधार सीडिंग (लिंक करवाने) का कार्य भी करवाते रहें।

इस क्रम में समस्त संस्थाप्रधान/बीईईओ 31.07.2016 तक की प्रगति रिपोर्ट संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को संलग्न प्रारूप-ए में 02.08.2016 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जिले की समेकित प्रगति रिपोर्ट 03.08.2016 तक इस कार्यालय को तथा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक जिले की समेकित प्रगति रिपोर्ट 03.08.2016 तक निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को प्रस्तुत करेंगे। यह सूचना प्रति सप्ताह देनी है शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त होने तक।

ध्यान रहे कि विद्यार्थी का नाम विद्यालय रेकॉर्ड में, बैंक खाते में तथा आधार में समान हो अन्यथा आगे तकनीकी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। यदि किसी विद्यार्थी के बैंक खाते अथवा आधार में नाम, जन्मतिथि या अन्य कोई प्रविष्टि विद्यालय अभिलेख से भिन्न है तो उसे भी समय रहते संशोधित करा लेवें।

क्र.सं.	पालनार्थ बिन्दु
4	समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्थाप्रधान, समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी तथा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक व प्रारम्भिक अगले 5 दिवस में स्वयं के डिजिटल सिग्नेचर बनवाना सुनिश्चित करें।

इसके लिए जिला मुख्यालय पर जिला कलक्टर कार्यालय में पदस्थापित एसए/एसीपी एन.आई.सी./डीओआईटी से मार्गदर्शन व सहायता प्राप्त की जा सकती है। हर जिला मुख्यालय पर इस हेतु एजेन्सियां कार्य कर रही हैं जो कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। संस्थाप्रधान/बीईईओ स्वयं इनीशियेटिव लेते हुए दो वर्षों के लिए अपने डिजिटल सिग्नेचर बनवाएं तथा अपने जिला शिक्षा अधिकारी को अविलम्ब प्रारूप-ब में रिपोर्ट करें। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक कार्यालय इस प्रक्रिया का समन्वयन तथा प्रबोधन करते हुए 5 दिवस में यह

कार्य सम्पन्न करावें तथा इस कार्यालय/निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को अपने अपने क्षेत्र की प्रगति रिपोर्ट 03.08.2016 तक प्रस्तुत करेगें।

प्रारूप–अ **जिला**

छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थियों के आधार सीडेड बैंक खातों की अद्यतन स्थिति

नाम विद्यालय /जिला	छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए पात्र विद्यार्थियों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या जिनके स्वयं के बैंक खाते हैं	विद्यार्थियों की संख्या जिनके पास आधार संख्या है	विद्यार्थियों की संख्या जिनके बैंक खाते आधार सीडेड हो चुके हैं
1	2	3	4	5

नोट : 1. कॉलम 1 में संस्थाप्रधान अपने विद्यालय का नाम तथा जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले का नाम लिखें।

2. यह सूचना प्रति सप्ताह मंगलवार को संस्थाप्रधान द्वारा तथा हर बुधवार को जिशिअ द्वारा सक्षम स्तर पर दी जावे शत–प्रतिशत लक्ष्य अर्जित हो जाने तक। कार्य 15.08.2016 तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

हस्ताक्षर मय मोहर

प्रारूप–ब **जिला**

छात्रवृत्ति डिजिटाइज्ड शीटों के सत्यापन हेतु डिजिटल सिग्नेचर बनने की अद्यतन स्थिति

नाम विद्यालय /जिला	जिले में कुल संस्थाप्रधान/बी ईईओ की संख्या	संस्थाप्रधान/बीईईओ की संख्या जिनके डिजिटल सिग्नेचर बन चुके हैं
1	2	3

नोट – 1. कॉलम 1 में संस्थाप्रधान अपने विद्यालय का नाम तथा जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले का नाम लिखें।

कॉलम 2 व 3 में संस्थाप्रधान/बीईईओ संख्यात्मक सूचना अद्यतन स्थितिनुसार 1 अथवा 0 अंकित कर देवें

हस्ताक्षर मय मोहर

उक्त समस्त निर्देशों की समयबद्ध पालना सुनिश्चित करें।

● (बी.एल.स्वर्णकार) आई.ए.एस. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

माह : अगस्त, 2016

विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम

प्रसारण समय : दोपहर 2.40 से 3.00 बजे तक

दिनांक	वार	आकाशवाणी केन्द्र	कक्षा	विषय	पाठ क्रमांक	पाठ का नाम
1.8.2016	सोमवार	जयपुर	3	पर्यावरण अध्ययन	1	रिश्ते–नाते
2.8.2016	मंगलवार	उदयपुर	6	विज्ञान	1	भोजन के स्रोत
3.8.2016	बुधवार	जयपुर	5	हिन्दी	1	हम भारत के भरत
4.8.2016	गुरुवार	उदयपुर	10	हिन्दी	1	माता का आँचल
5.8.2016	शुक्रवार	जयपुर	7	विज्ञान	1	भोजन के अवयव
6.8.2016	शनिवार	उदयपुर	8	विज्ञान	2	धातु–अधातु
8.8.2016	सोमवार	जयपुर	3	हिन्दी	3	शिष्टाचार (निबंध)
9.8.2016	मंगलवार	उदयपुर	10	विज्ञान	2	अम्ल, क्षारक एवं लवण
10.8.2016	बुधवार	जयपुर	7	हिन्दी	3	इसे जगाओ
11.8.2016 गुरुवार से 13.8.2016 शनिवार तक प्रथम परख (सभी कक्षाओं के लिए)						
16.8.2016	मंगलवार	जयपुर	9	विज्ञान	2	पदार्थ की संरचना एवं अणु
17.8.2016	बुधवार	उदयपुर	6	हिन्दी	4	वर्षा समीर
19.8.2016	शुक्रवार	जयपुर	6	विज्ञान	5	आओ पदार्थ को जानें
20.8.2016	शनिवार	उदयपुर	7	विज्ञान	4	पदार्थों के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन
22.8.2016	सोमवार	उदयपुर	9	संस्कृत (तृ. भाषा)	2	योगः कर्मसु कौशलम्
23.8.2016	मंगलवार	जयपुर	10	सामाजिक विज्ञान	2	वन एवं वन्य जीव संसाधन
24.8.2016	बुधवार	उदयपुर	5	पर्यावरण अध्ययन	4	मिल कर करें सफाई
26.8.2016	शुक्रवार	जयपुर	10	हिन्दी	5	मैं क्यों लिखता हूँ?
27.8.2016	शनिवार	उदयपुर	3	पर्यावरण अध्ययन	4	स्वच्छता की आदत
29.8.2016	सोमवार	जयपुर	10	संस्कृत	5	बुद्धिर्बलवती सदा
30.8.2016	मंगलवार	उदयपुर	7	हिन्दी	4	शरणागत की रक्षा
31.8.2016	बुधवार	जयपुर	4	पर्यावरण अध्ययन	6	पेड़–पौधों की देखभाल

शिविरा पञ्चाङ्ग 2016-17

अगस्त 2016					
रवि		7	14	21	28
सोम	1	8	15	22	29
मंगल	2	9	16	23	30
बुध	3	10	17	24	31
गुरु	4	11	18	25	
शुक्र	5	12	19	26	
शनि	6	13	20	27	

अगस्त 2016 ● कार्य दिवस–25, रविवार–4, अवकाश–2, उत्सव–3 ● 2 अगस्त (अमावस्या)–समुदाय जागृति दिवस। **2 से 3 अगस्त**–विद्यालय स्तरीय कला उत्सव का आयोजन (RMSA)। **9 से 10 अगस्त**–जिला स्तरीय ''जीवन कौशल विकास'' बाल मेला का आयोजन (उच्च प्राथमिक कक्षाओं हेतु) (SIERT)। **11 से 13 अगस्त**–प्रथम परख का आयोजन। **15 अगस्त से पूर्व**–केजीबीवी बालिकाओं को समस्त प्रकार की आधारभूत वार्षिक सामग्री का वितरण करना। (SSA) **15 अगस्त–1.** स्वतन्त्रता दिवस (उत्सव अनिवार्य, अवकाश)। **2.** SDMC की कार्यकारिणी समिति में अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप विद्यार्थी कोष/विकास कोष के माध्यम से सत्रपर्यन्त किए जाने वाले कार्यो हेतु आवश्यक निविदा कार्यवाही सम्पन्न करना। **17 अगस्त से पूर्व–** विद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय समूह की विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन। **18 अगस्त**–रक्षा बन्धन (अवकाश) एवं संस्कृत दिवस (उत्सव)। **19 से 20 अगस्त**–जिला स्तरीय कला उत्सव का आयोजन (RMSA)। **22 से 23 अगस्त**–जिला स्तरीय नेहरू हॉकी प्रतियोगिता–सब जूनियर (15 वर्ष छात्र) का आयोजन। **25 अगस्त**–जन्माष्टमी (अवकाश–उत्सव)। **27 से 29 अगस्त**–राज्य स्तरीय नेहरू हॉकी प्रतियोगिता–सब जूनियर (15 वर्ष छात्र) का आयोजन। **29 अगस्त**–ध्यानचन्द जयन्ती पर विद्यालयों द्वारा खेलकूद गतिविधियों का आयोजन करना। **29 से 30 अगस्त**–जिला स्तरीय केजीबीवी खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन (SSA)। **30 अगस्त**–राज्य स्तरीय विज्ञान सेमिनार प्रतियोगिता का आयोजन (SIERT)। **31 अगस्त–1.** श्रेष्ठ राजकीय विद्यालय पुरस्कार–2016 के लिए राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम) को आवेदन करना। **2.** SDMC की कार्यकारिणी समिति में अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप विद्यार्थी कोष/विकास कोष के माध्यम से सत्रपर्यन्त किए जाने वाले कार्यो हेतु निविदा कार्यवाही उपरांत क्रयादेश/कार्यादेश जारी करना। **3.** SDMC सदस्यों का प्रशिक्षण (RMSA)।

समाज हमेशा बदलता रहता है
पर अच्छे मित्र और
अच्छे सम्बन्ध कभी नहीं बदलते।

सितम्बर 2016					
रवि		4	11	18	25
सोम		5	12	19	26
मंगल		6	13	20	27
बुध		7	14	21	28
गुरु	1	8	15	22	29
शुक्र	2	9	16	23	30
शनि	3	10	17	24	

सितम्बर 2016 ● कार्य दिवस–23, रविवार–4, अवकाश–3, उत्सव–5 ● 1 सितम्बर (अमावस्या)–समुदाय जागृति दिवस। **1 से 5 सितम्बर**–प्रथम समूह की जिला स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन (अधिकतम 4 दिन)। **5 सितम्बर**–शिक्षक दिवस (उत्सव), राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन, राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान के अन्तर्गत शिक्षक दिवस पर झण्डियों की बिक्री का शुभारम्भ। **5 से 9 सितम्बर**–द्वितीय समूह की जिला स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन (अधिकतम 4 दिन)। **8 सितम्बर**–विश्व साक्षरता दिवस (उत्सव)। **9 से 10 सितम्बर**–जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन (शिक्षकों के लिए अवकाश)। **12 सितम्बर**–रामदेव जयन्ती/तेजा दशमी (अवकाश–उत्सव), ईदुल जुहा (अवकाश चन्द्र दर्शनानुसार)। **14 सितम्बर**–हिन्दी दिवस (उत्सव)। **14 से 15 सितम्बर**–जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन (RMSA)। **14 से 17 सितम्बर**–प्राथमिक विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता (ब्लॉक स्तरीय)। **14 से 19 सितम्बर**–प्रथम समूह की राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन। **22 से 24 सितम्बर**–प्राथमिक विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता (जिला स्तरीय)। **22 से 27 सितम्बर**–द्वितीय समूह की राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन। **23 सितम्बर**–किशोर जागृति दिवस (उत्सव) (SIERT)। **24 सितम्बर**–राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस (जिन विद्यालयों में यह योजना संचालित है)। **28 से 30 सितम्बर–1.** जिला स्तरीय ''विज्ञान, गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी तथा जनसंख्या शिक्षा मेला'' का आयोजन। (SIERT) **2.** जिला स्तरीय ''रोल प्ले एवं लोक नृत्य प्रतियोगिता'' का आयोजन। (SIERT) **30 सितम्बर–1.** राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान के अन्तर्गत झंडियों की बिक्री से प्राप्त राशि का बैंक ड्राफ्ट सचिव, राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के नाम से बनाकर प्रेषित करना एवं श्रेष्ठ राजकीय विद्यालय पुरस्कार–2016 के प्रस्तावों का मूल्यांकन कर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम) द्वारा मण्डल अधिकारी को प्रेषित करना। **2.** SDMC की कार्यकारिणी समिति में अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप विद्यार्थी कोष/विकास कोष के माध्यम से किए जाने वाले कार्य/क्रय कार्यवाही पूर्ण करना। **नोटः– 1.** माध्यामिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मक प्रतियोगिता का ब्लॉक स्तरीय आयोजन। **2.** प्रथम योगात्मक आकलन का आयोजन (सितम्बर के प्रथम सप्ताह में) (SIQE/CCE संचालित विद्यालयों में)।

पृष्ठ 18 का शेष

दुर्गादास के सहयोगियों को कष्ट देने लगे। महाराजा के इस तरह के व्यवहार से आहत होकर दुर्गादास ने महाराजा से मारवाड़ छोड़ने की अनुमति मांगी और कहा कि मेरी आवश्यकता पड़े तो तुरन्त समाचार करना। मैं नंगे पाव दौड़ा आऊँगा। दुर्गादास भीमरलाई गए वहाँ उनकी पत्नी का प्राणांत हुआ तत्पश्चात् दुर्गादास सादडी(पाली) पहुँचे लगभग सात वर्ष यहाँ रहे। यहीं रहते हुए उन्होंने अपनी बहन-बेटियों के विवाह धूमधाम से किए। 27 अगस्त 1717 को मेवाड़ महाराणा ने उन्हें रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया। अब उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई थी। उन्हें आभास हुआ कि अब अन्तिम समय नजदीक है तो वह तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे महाकाल की आराधना करने लगे। यही 22 नवम्बर 1718 को 80 वर्ष 3 माह और 28 दिन की आयु में उनका स्वर्गवास हो गया। वही दाह संस्कार किया गया तथा उनकी छतरी बनवाई गई। उज्जैन स्थित यह छतरी उनका यशोगान कर रही है और आह्वान कर रही है-

'माई ऐहडा पूत जण जेहडा दुर्गादास।
बांध मुंडासो थांबियों बिन थंबे आकास।।

निस्संदेह दुर्गादास त्यागी व स्वामीभक्त था। दुर्गादास ने अपने लिए नहीं बल्कि अपने स्वामी को राज्य दिलाने के लिए अनेक कष्ट झेले और जान जाखिम में डालकर लम्बे समय तक शत्रुओं से मुकाबला किया। उनके त्याग की परकाष्ठा तब देखी जा सकती है जब महाराजा अजीत सिंह को जोधपुर की राजगद्दी पर आसीन करने के बाद उनके प्रधान के पद के लिए विनम्रतापूर्वक मनाकर दिया। दुर्गादास में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी। अजीत सिंह को जोधपुर दिलाने के लिए के लिए मारवाड़ के सामन्त-सरदारों ने दुर्गादास के नेतृत्व में ही 28 वर्ष तक संघर्ष किया। यदि दुर्गादास का नेतृत्व नहीं मिलता तो संकट की घडी में सामंत वर्ग व जनसमुदाय में बिखराव हो जाता। दुर्गादास का समुचा जीवन कर्म प्रधान रहा। बाल्यकाल में उसने तलवार संभाली जो जीवन संध्या तक उसके हाथ में रही। एक दिन भी उसने चैन से विश्राम नही किया और घोड़े की पीठ पर बैठ अनवरत आतताइयों से लड़ता रहा। दुर्गादास धैर्यवान था। उसने धैर्यपूर्वक मुगलों से संघर्ष किया। कई बार शत्रुसेना से घिर जाने व पीछे हटने पर भी धीरज नही खोया और उत्साहपूर्वक उनका मुकाबला करता रहा।

वह आत्मविश्वासी था। उसमें सूझबूझ व दूरदर्शिता थी। वह कुटनीतिज्ञ व निडर था। वह धार्मिक सहिष्णु था। अकबर के बच्चों की परवरिश इस्लामी रीतिरिवाज अनुसार कर उसने धार्मिक सहिष्णुता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। उसका व्यक्तित्व दुर्लभ मानवीय गुणों से अलंकृत था। वह स्वाभिमानी तथा सामाजिक समरसता का संवाहक था। उसके दल में कासिम खाँ, मजालिया बलाई व लखमिया जाट जैसे विभिन्न धर्म व जाति के योद्धा भी शामिल थे। वह विश्वसनीय मित्र तथा वचन का धनी था। उसने विद्रोही शहजादे अकबर के जीवन की रक्षा की बल्कि उसके ईरान जाने के बाद भी उसके पुत्र-पुत्री का पालन-पोषण किया। शंभाजी के मंत्री कविकलश की विधवा को सपरिवार संरक्षण व आर्थिक सहायता प्रदान की। वह कवि ह्रदय तथा साहित्यानुरागी भी था। महाराजा जसवन्त सिंह की प्रेरणा से स्वयं भी डिंगल में काव्य रचना करने लगा था। वह साहित्यकारों का प्रशंसक व संरक्षण था। कुंभकरण सांदू व जैन साधु मोहन विजय जैसे समकालीन साहित्यकार दुर्गादास से प्रभावित थे। सचमुच दुर्गादास अपने जीवनकाल में ही महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी के समान एक वीर गाथा के नायक बन गए थे। उन्होंने स्वदेश प्रेम, स्वधर्म-स्व संस्कृति प्रेम व मातृभाषा के प्रति आदर की भावना विरासत में भावी पीढ़ी को प्रदान की। यही कारण है कि राष्ट्रीय आंदोलन के कालखंड में भारतीयों नें राणाप्रताप, रावचन्द्रसेन, शिवाजी और दुर्गादास राठौड़ से प्रेरणा प्राप्त की। वीर दुर्गादास राठौड़ का मातृभूमि की मुक्ति और रक्षा के लिए संघर्ष और सर्वधर्म समभाव का पालन आज भी प्रांसगिक और अनुकरणीय है। अन्त में महाकवि केसरी सिंह बाहरठ के शब्दों में परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि दुर्गादास जैसे सपूत मरुधरा में बार-बार जन्म लें जिससे मानवीय चरित्र की उदात्त आभा चतुर्दिक विस्तीर्ण होती रहे-

''देविन को ऐसी शक्ति दीजियो कृपानिधान,
दुर्गादास जैसे माता पूत जनिबों करै''

प्रधानाचार्य, रा.आ.उ.मा.वि.,
मगरतलाव (पाली)
मो. 9829285914

शिक्षा का मोल

❐ हरप्रीत सिंह कंग

महान् गणितज्ञ यूक्लिड बेहद सरल स्वभाव के थे। उनमें जरा भी अहंकार नहीं था। उनका मानना था कि अपना ज्ञान दूसरों में हरदम बांटते रहना चाहिए। इसलिए जब भी कोई उनके पास किसी तरह की जानकारी लेने आता तो वे उत्साहपूर्वक उसे सब कुछ बताते थे। उससे उन्हें संतोष मिलता था। इसलिए उनसे गणित सीखने वालों की संख्या अच्छी खासी हो गयी थी। कई बार तो वह अपना निजी काम छोड़कर भी दूसरों की जिज्ञासा शांत करते रहते थे। एक दिन यूक्लिड के पास एक लड़का आया और उसने ज्यामिति पढ़ाने का आग्रह किया। यूक्लिड ने अपनी आदत के मुताबिक यह प्रस्ताव सहज रूप से स्वीकार कर लिया। वह उसे उसी क्षण से ज्यामिति पढ़ाने लगे। लड़का प्रतिभाशाली था। उसने बड़ी तेजी से सीखना आरंभ कर दिया। इससे यूक्लिड काफी प्रसन्न थे। एक बार यूक्लिड उसे एक प्रमेय पढ़ा रहे थे। अचानक लड़के ने सवाल कर दिया, ''इस प्रमेय को पढ़ने से मुझे क्या लाभ होगा?'' यह सुनते ही यूक्लिड नाराज हो गए और अपने नौकर से बोले, ''इसे एक ओबेल (यूनानी सिक्का) दे दो, क्योंकि यह विद्या हासिल करने में कम, धन कमाने में अधिक रुचि रखता है और जो धन कमाने में रुचि रखता है उसके लिए किसी भी तरह की शिक्षा बेकार है।'' उनके मुँह से यह सुनकर न सिर्फ लड़का, बल्कि दूसरे छात्र भी दंग रह गए। उस लड़के ने अपनी भूल स्वीकार कर यूक्लिड से क्षमा माँगी। यूक्लिड ने कहा, ''शिक्षा आत्मसमृद्धि का मार्ग है। उसे कभी तराजू में नहीं तौलना चाहिए। वह जहाँ से जिस मात्रा में मिले, आत्मीयता से ग्रहण कर लेनी चाहिए।''

इस प्रसंग से हमें सीख मिलती है कि, 'शिक्षा का कोई मोल नहीं, यह अनमोल है।'

व्याख्याता, शहीद कैप्टन नवपाल सिंह सिद्धू
रा.उ.मा. विद्यालय पदमपुर, श्रीगंगानगर
मो.9982304021

राष्ट्रीय खेल दिवस

देशरत्न ध्यानचन्द

❒ सुभाष चन्द्र कस्वाँ

खेल व संगीत दोनों ही मानवीय क्रियाएँ विधाता की अनुपम देन मनुष्य जाति को हैं। कहा भी गया है जिसके जीवन में खेल व संगीत नहीं है उसका ताउम्र जीवन नीरस व कर्कश बना रहता है। खेल जो हमें जीवन से लड़ने की शक्ति देता है वहीं संगीत जीवन में रंग भरता है। यदि दोनों ही बातें किसी के जीवन में समा जाती हैं तो फिर उस व्यक्ति का तो क्या ही कहना! यह बात भी इस संदर्भ में सही है कि चन्द्रमा और सूर्य साथ-साथ नहीं निकलते। खेल जगत में एक ऐसा ही सूर्य हमारे यहाँ पैदा हुए हैं जिनका नाम हैं मेजर ध्यानचंद। हॉकी खेल में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल के जरिए ऐसा करिश्मा दिखाया जो हमें यह कहने के लिए लालायित कर देता है-''**दुनिया का अच्छे से अच्छा खिलाड़ी भला तुमसे अच्छा कैसे हो सकता है!**'' मेजर ध्यानचंद एक सर्वकालिक खिलाड़ी हैं जिन्होंने 400 से अधिक गोल किए। कहते हैं कुछ वर्षों बाद इतिहास की पुनरावृत्ति होती है पर ध्यानचंद ने तो ऐसा इतिहास रचा जिसकी पुनरावृत्ति की आस कहीं आसपास तो फिलहाल नजर नहीं आती। क्रिकेट व अन्य खेलों में पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ने की होड़ मची हुई तथा नए अंदाज में वे रिकॉर्ड धराशायी भी हो रहे हैं पर हॉकी में तो अभी तक ऐसा कोई मायी का लाल पैदा नहीं हुआ है जो अपनी चाल से ऐसा कर दिखाए।

29 अगस्त, 1905 को एक साधारण परिवार में जन्मे ध्यानचंद जिनका जीवन अभावों से भरा हुआ था। बचपन में वृक्ष की टहनी से कामचलाऊ हॉकी की स्टिक बनाई। पुराने सूती वस्त्रों को गोलाकार बनाकर धागे से उसे चारों ओर गूँथकर एक गेंद बनाई। यहीं से ध्यानचंद की हॉकी यात्रा शुरू हुई। आस-पड़ोस के हम उम्र लड़के भी वैसी ही स्टिक लेकर आ जाते। पास के खाली मैदान में शुरू हो जाता उनका हॉकी खेल। उस समय राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी ही एक चमचमाता खेल था इसलिए विद्यालयी छात्रों का आकर्षण इस खेल के प्रति बनता जा रहा

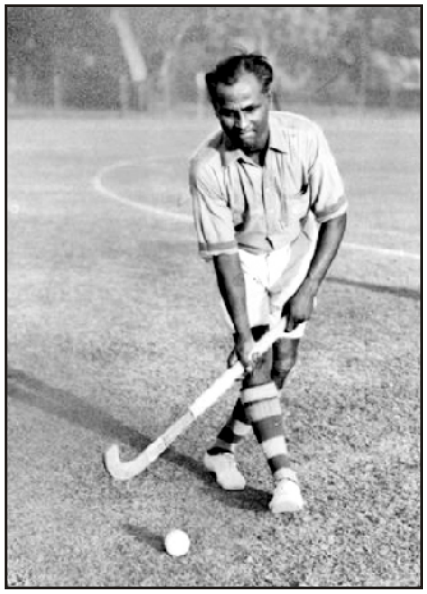

था। उसी ध्यानचंद ने हॉकी में ऐसी महारत हासिल कर ली जिसकी वजह से आज से अस्सी वर्ष पूर्व 15 अगस्त, 1936 को मेजर ध्यानचंद की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने लगातार तीसरा गोल्ड मेडल खेलों में जीता। भारतीय टीम द्वारा किए गए कुल आठ गोलों में अकेले ध्यानचंद के तीन गोल थे। ध्यानचंद की ख्याति हॉकी खेल में दिन-प्रतिदिन नई अंगड़ाई लेती जा रही थी। हिटलर की तीव्र इच्छा थी कि जर्मन टीम जीते जिससे उनके द्वारा आर्यन जाति की श्रेष्ठता सामने आए। इसके लिए हिटलर का प्रयास था कि ध्यानचंद फाइनल मैच न खेले। इसके लिए उन्हें कई प्रलोभन दिए गए पर देश की माटी की खुशबू से भरे हुए उस महान भारतीय खिलाड़ी ने 'प्रलोभन' को बदबू माना। उन्हें जर्मन नागरिकता व सेना में ऊँचा ओहदा देने की पेशकश की गई। जर्मनी की ओर से मेजर ध्यानचंद को बिदकाने वाली बात भी कही गई- सारे स्वर्ण पदक तो ब्रिटिश हुकूमत के माने जाएँगे, न कि गुलाम भारत के। ध्यानचंद पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ।

फाइनल मैच अत्यंत रोमांचकारी था। स्टेडियम की दर्शक दीर्घा में चींटी के चलने तक कि भी जगह नहीं थी। पुलिस को बाहर दर्शकों से दो-दो हाथ इसलिए होना पड़ रहा था कि वे भी अन्दर प्रवेश के लिए तिलमिला रहे थे। मैच में जर्मनी के पाँच खिलाड़ियों को पहले बाँध दिया गया था कि उनका काम तो सिर्फ ध्यानचंद को घेरे रखना है। तुम्हें गोल के लिए कोई प्रयास नहीं करना है। हॉकी के इस अभिमन्यु को हर चक्रव्यूह से निकलना आता था। गेंद उनकी हॉकी स्टिक से चिपकी रहती। दर्शक इस जादूगरी को देख दंग रह जाते। जर्मन लोगों को संदेह हुआ कहीं इस हॉकी स्टिक में कोई चुम्बकीय प्रभाव तो नहीं है जिससे ऐसा हो रहा है। खेल के मध्यांतर में उनकी हॉकी स्टिक का परीक्षण किया गया। दरअसल जादू तो मेजर ध्यानचंद की लचीली रबर जैसी कलाइयों में था। कहते हैं कि **अभावों की आँच में तपी प्रतिमा फौलाद से भी मजबूत बन जाती है। मेजर ध्यानचंद भी इसी तपिश में जन्मी एक ऐसी शख्सियत थी जिनकी बदौलत हम खेल जगत में विदेशों में भी आज सम्मान पा रहे हैं।** जर्मन सरकार ने 1936 का वह स्टेडियम जस का तस रखा है। इस वर्ष 15 अगस्त, 2016 को बर्लिन में उस महान विजय की स्मृति में समारोह का आयोजन किया जा रहा है और ध्यानचंद द्वारा उपयोग में लाई गई चीजे उस समारोह का मुख्य आकर्षण होंगी।

हम लोग आज चकाचोंध भरे जीवन के आदी हो गए हैं जिससे हॉकी हमारे लिए अतीत की परछाई बनती जा रही है। क्रिकेट ने बाजार व ग्लेमर की वजह से हॉकी को हाशिए पर ला पटका है। बाजार और विज्ञापन की ताकत ने क्रिकेट को इतना महत्वपूर्ण बना दिया है कि बिजली-पानी को तरशते लोगों व कस्बों को अनदेखा कर आईपीएल तमाशे में लाखों लीटर पानी और न जाने कितने मेगावाट बिजली का अपव्यय हो रहा है। लोगों में उपजी जागरूकता की वजह से आज इसका विरोध भी हो रहा है। हर खेल के प्रति व्यक्ति की स्वाभाविकता होती है पर जब खेल का स्वभाव अभाव को जन्म देने

लगे तब हमें संतुलित नजरिया अपना लेना चाहिए। हॉकी हमारी विरासत के साथ-साथ स्वभावगत आकांक्षा की भी पोषक है। हॉकी के अलावा हमें फुटबॉल पर भी ध्यान देना चाहिए। दोनों में एक समानता यह भी है कि जहाँ पर एक हॉकी खिलाड़ी का राऊंड मैच के दौरान 15-16 कि.मी. का हो जाता है वहीं पर फुटबॉल में एक खिलाड़ी का राऊंड 10-12 कि.मी. तक पहुँच जाता है।

हमारे देश में खेल प्रतिभाओं की कभी कोई कमी नहीं रही। एकलव्य को जब गुरु द्रोणाचार्य ने निम्न कुल का कहकर धनुर्विद्या सिखाने से नकार दिया तब वह हताश व उत्पीड़ित नहीं हुआ। धनुर्विद्या सीखने की उमंग व जोश से भरी हुई ललक थी। मिट्टी निर्मित द्रोणाचार्य की प्रतिमा ने धनुर्विद्या के ऐसे गुर सीखा दिए जो गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को नहीं सीखा पाए। आज हमें आवश्यकता है एकलव्य व ध्यानचंद जैसे व्यक्तियों को विद्यालय स्तर पर तलाशे तथा वह सारे साधन, सुविधा व प्रशिक्षण दें जिससे एक नया एकलव्य व ध्यानचंद पनपकर हमारे खेल जगत की मृत शान को पुनर्जीवित कर सके। 29 अगस्त ध्यानचंद के जन्म दिन पर मनाया जाने वाला राष्ट्रीय खेल दिवस इसी आकांक्षा को लिए हुए मैदान की तरफ निगाहें डाले हुए है।

प्राध्यापक (अंग्रेजी)
राजकीय फूलचंद जालान आदर्श उ.मा.विद्यालय
नूँआ (झुंझुनू) राज.-333041
मो. 9460841575

स्वतंत्रता दिवस विशेष

पन्द्रह अगस्त

❐ पूर्णिमा मित्रा

हर साल धूमधाम से आता है पन्द्रह अगस्त,
आजाद होने का अहसास कराता है पन्द्रह अगस्त।
इस दिन देश अपना, गुलामी से आजाद हुआ,
जिसे सदियों से, लुटेरों ने बर्बादथा किया।
उजड़े गुलशन में, कैसी छाई वीरानी थी,
देश में चहुँ ओर परेशानी ही परेशानी थी।
गोरी चमड़ी वाले फिरंगियों का अत्याचारी राज था,
जुल्म ढाने में जो सबका ही सरताज था।
भारत माँ के पैरों में पड़ी गुलामी की जंजीर थी,
जुल्म सहना, करोड़ों देशवासियों की तकदीर थी।
पर देशभक्तों को नहीं ये हरगिज मंजूर था,
उनके सीने में देशभक्ति का जलता तंदूर था।
वीर सपूतों की कुर्बानी, आखिर में रंग लाई,
पन्द्रह अगस्त के दिन हमें आजादी मिल पाई।
आओ बच्चों! मिलकर हम सब कसम आज फिर से खाएँ,
हर भारतवासी के मन में देशभक्ति का भाव जगाएँ।
कुकर्मों से अपने कभी, देश को ना हम लजाएँ,
सब कुछ लुटाकर भी आजादी हम बचा पाएँ।
धन्य हुआ जीवना हमारा, भारत में हमने जन्म लिया
भारत माँ की सेवा का व्रत आजन्म धारण किया।

ए-59, करणी नगर, नगानेची रोड
बीकानेर राजस्थान-334003
मो. 8963826490

श्रद्धांजलि

हनुमंथप्पा को श्रद्धांजलि

❐ ज्ञान प्रकाश 'पीयूष'

चारों ओर सन्नाटा है फिजाँ में शोक समाया है,
हवा मातमी धुन गाती अशुभ समाचार आया है।।
भारत-सीमा का सजग प्रहरी सियाचिन में ड्यूटी देता था,
हनुमान जैसा वीर था वह हनुमंथप्पा नाम था।।
पैंतीस फुट बर्फ के नीचे छः दिनों तक दबा रहा,
मृत्यु से हार नहीं मानी साँसों को साधे पड़ा रहा।।
सेना के साथी वीरों ने उसे सही सलामत निकाल लिया,
साहस में किसी से कम नहीं दुनियाँ को दिखला दिया।।
पर साँसे गिनकर मिलती हैं उन पर किसी का जोर नहीं,
हे भारत माँ के अमर शहीद तुझ जैसा सचमुच और नहीं।।
तेरे अतुलित बलिदान पर भारत-जन को अभिमान है,
तू तिरंगे की शान है सेना का स्वाभिमान है।।
तेरे मात-पिता हैं धन्य उनको शत-शत बार नमन,
पत्नी-बच्चे की तू शान उनको भी तुझ पर अभिमान।।
दुःख सहने की शक्ति देना उनको प्रभुजी हिम्मत देना,
पढ़-लिखकर वे बने महान करें जगत में सुन्दर काम।।

से.नि. प्रधानाचार्य
1/258 मस्जिद वाली गली तेलियांवाला मौहल्ला
सिरसा-हरियाणा-125055
मो. 9414537902

संस्कृत दिवस

सर्वविदिता भाषा 'संस्कृत'

❐ शशिकांत द्विवेदी

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरु ने कहा था कि-''यदि मुझसे पूछा जाएं कि भारत के पास सबसे बड़ी निधि क्या है और उसके पास सर्वोत्कृष्ट विरासत क्या है तो मैं बिना हिचक-झिझक के कह सकता हूँ कि यह संस्कृत भाषा और साहित तथा उसमें निहित ज्ञान है। यह एक वैभवशाली परम्परा है और जब तक यह बनी रहेगी और भारतीय समाज को प्रभावित करती रहेगी तब तक भारत की मौलिक प्रतिभा बनी रहेगी।''

सच्चे अर्थों में संस्कृत सर्वभारतीय भाषा है। संस्कृत वाङ्मय जितना प्राचीन उतना ही विराट है। देवभाषा का दर्जा प्राप्त कर चुकी संस्कृत का पूरे भारतीय समाज के साथ सांस्कृतिक रिश्ता है। यह विश्व की प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। प्रायः 12वीं सदीं तक संस्कृत सभी हिन्दू राज्यों की राजभाषा रही। संस्कृत का वास्तविक इतिहास पाणिनी (5वीं सदी) के काल से माना जाता है। संस्कृत भाषा के सर्वश्रेष्ठ वैयाकरण भगवान पाणिनी हुए है। उन्होंने अपने शब्दानुशासन द्वारा संस्कृत भाषा को विकृति से अलिप्त रखा। पाणिनीय व्याकरण के प्रभाव के कारण 'अमरभाषा' यह संस्कृत भाषा का अपरनाम चरितार्थ हो गया। भगवान पाणिनी के समय में शिष्ट समाज के परस्पर विचार-विनिमय की भाषा संस्कृत ही थी।

संस्कृत भाषा का पर्यायवाचक शब्द 'देवभाषा' इस सामासिक शब्द का विग्रह 'देव सृष्टा भाषा देवभाषा'इस प्रकार कर यह भी कहा है-कि यह देवभाषा 'सर्वजनमान्या' और सर्वविदिता है। लौकिक व्यवहार में, लोगों कि शुद्ध वर्णोच्चार करने की अक्षमता के कारण, अथवा वर्णोच्चार में मुखसुख की प्रवृत्ति के कारण संस्कृत से अपभृंशात्म प्राकृत भाषाएँ भारत के विभिन्न भागों में उदित और यथाक्रम विकसित होती गई। मगध साम्राज्य तथा बौद्ध सम्प्रदाय के प्रभाव के कारण संस्कृत का प्रभाव कुछ काल तक सीमित सा था।

जिस समय संस्कृत का बोलबाला था उस समय मानव जीवन ज्यादा संस्कारित था। हमारे प्राचीन संस्कृत ग्रन्थ शाश्वत मूल्यों एवं व्यावहारिक जीवन के अनमोल सूत्र भण्डार हैं, जिनसे लाभ लेकर वर्तमान समाज की सच्ची एवं वास्तविक उन्नति सम्भव है। प्राचीनता जैसे संस्कृत भाषा की अनोखी विशेषता है, इसी कारण भारत की समस्त प्रबुद्ध जनता के हृदय में संस्कृत भाषा के प्रति नितान्त आत्मीयता एवं श्रद्धा है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है, जिसमें भारतीय संस्कृति का चिरसंचित ज्ञान भरा है। बिना संस्कृत पढ़े कोई अपने आप को पूर्ण भारतीय और विद्वान नहीं बना सकता।

संस्कृत देवभाषा के नाम से जानी जाती है। यह समस्त भाषाओं की जननी है। इस भाषा ने इसके विद्वानों को भी प्रभावित किया है। इस भाषा में रचित ऋग्वेद को विश्व की सबसे प्राचीन रचना माना जाता है। 'संस्कृत शब्द का अर्थ' शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा साकार हो सकता है। संस्कृत शब्द का प्रयोग अनके विध अर्थों में संस्कृत साहित्य में किया गया है। इन सभी प्रयोगों में सुशोभित करना, अलंकृत करना, पवित्र करना, प्रशिक्षित करना, सतेज करना, निर्दोष करना इत्यादि भाव व्यक्त होते हैं।

अति प्राचीनकाल से संस्कृत भाषा विद्यालयों के अध्ययन अध्यापन एवं विद्वानों के भाषण तथा लेखन का माध्यम सम्पूर्ण भारत में रहा। जातिभेद की कट्टरता तथा छुआछूत की रुढ़ी के कारण इस भाषा का प्रचार कुछ प्रदेशों में नहीं हुआ। किन्तु विद्या प्रेमी वर्ग सम्पूर्ण भारत में संस्कृत का अध्ययन-अध्यापन और लेखन निरन्तर करता आया।

संस्कृत केवल धार्मिक व्यवहार की ही भाषा नहीं है। संस्कृत एक महत्वपूर्ण भाषा है। यह निर्विवाद सत्य होने के कारण भारत के बाहर अन्यान्य राष्ट्रों के प्रमुख विश्वविद्यालयों में संस्कृत का अध्ययन बड़े आदर से होता है। वेद एवं हमारे प्राचीन ग्रंथ ज्ञान विज्ञान के ऐसे अतुल भण्डार हैं, जिनके लिए अधिक शोध की आवश्यकता है। यह भाषा भारतीय संस्कृति की आत्मा है। आधुनिक काल में भी संस्कृत अभिव्यक्ति का माध्यम रही है, सामान्य जन की भाषा न होने के कारण यह अधिक मुखर नहीं है। संस्कृत के उत्थान के लिए हमें बोलचाल में संस्कृत का प्रयोग शुरू करना होगा। संस्कृत के शब्द चित्ताकर्षक एवं आनन्दायक भी हैं। जैसे- 'सुप्रभातम्, सुस्वागतम्, मधुराष्टकम्' आदि।

चन्दनं शीतलं लोके, चन्दनादपि चन्द्रमाः।
चन्द्रचन्दनयोर्मध्ये शीतला साधुसंगतिः।।

वस्तुतः संस्कृत भाषा रूपी वटवृक्ष विधिसम्मत व्याकरण पर अवलम्बित है। प्रारंभिक शिक्षा से इसे रोचक एवं पठनीय बनाया जा सकता है। इसका प्रचार-प्रसार एवं ज्ञान भावी पीढ़ी के लिए आवश्यक है। यदि विद्यार्थी आरम्भ से ही संस्कृत भाषा ग्रहण करेंगे तो उच्च स्तर पर यह भाषा और विकसित हो सकेगी। गाँव-ढाणियों में संस्कृत विद्यालय खोले जाने चाहिए ताकि इस भाषा के प्रति विद्यार्थियों की रुचि जाग सके। देश की प्राचीन विरासत की रक्षा के लिए संस्कृत का अध्ययन जरूरी है। संस्कृत भाषा की अपनी उपयोगिता एवं महत्व है। हमने यदि इसके अध्ययन को हतोत्साहित किया तो हमारी संस्कृति की नदी लुप्त हो जाएगी। क्योंकि भारतीय संस्कृति और विरासत का ज्ञान केवल संस्कृत भाषा पर आधारित है। संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की माता है। वेद, पुराण व उपनिषद आदि ग्रन्थ संस्कृत भाषा में ही लिखे गये हैं। संस्कृत विश्व की महान भाषाओं में ही लिखे गये हैं। संस्कृत विश्व की महान भाषाओं में से एक है।

आशा है संस्कृत के विद्वान्, अध्येता, प्रेमी और आराधक इस साधना का स्वागत करेंगे।

पूर्व प्राध्यापक हिन्दी
फोरेस्ट चौकी के पास, लोहारिया
बाँसवाड़ा, राजस्थान-327605
मो. 9460116012

शिक्षा

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर हो जोर

❒ गायत्री शर्मा

सच्चे अर्थों में शिक्षा का मूल विनय है, बुद्धि-ज्ञान-संवर्द्धन शामिल भी है। लेकिन जब तक नहीं हृदय परिशुद्ध बनेगा तब तक, कैसे होगा विमल आत्मा का अनुशासन।

यदि वास्तव में देखा जाये तो जीवन मूल्यों का बीजारोपण हमारे बाल्यकाल की अमूल्य धरोहर है जिसको विस्तारित एवं स्थायित्व प्रदान करने का कृत्य शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। सामाजिक विसंगतियों को तिरोहित करती हुई शिक्षा न केवल भौतिक विपन्नता एवं अज्ञानता विनाश की दिव्य अविरल धारा को साकार रूप प्रदान करती है अपितु सुकोमल सृजनकर्त्ताओं की भावनाओं को शब्दांकित करती हुई उनकी गुणान्वेषक तूलिकाओं के माध्यम से मानवीय दृष्टिकोण को मुखरित करने का प्रयास भी करती है। शिक्षा सर्वांगीण विकास हेतु मार्ग प्रशस्त करती है। शिक्षा समाज की संस्कृति एवं विरासत भावी पीढ़ी को हस्तांतरित कर वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिये तैयारी भी करती है।

शिक्षा एक व्यापक प्रक्रिया है जिसे मात्र किसी कौशल या कार्य-निष्पादन तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है। इसके द्वारा विद्यार्थियों की आन्तरिक क्षमताओं का विकास करने के साथ-साथ ही उनके व्यक्तित्व को सामाजिक व राष्ट्रीय दृष्टि से उपयोगी बनाने का प्रयत्न भी किया जा सकता है। यदि वास्तव में देखा जाए तो व्यक्ति में मानवता का बोध व सांस्कृतिक चेतना को जागृत करना शिक्षा द्वारा ही संभव है। अतः इस व्यापक सन्दर्भ में यह कहा जा सकता है कि शिक्षा वह शैक्षिक आयोजन है जिसमें विद्यार्थियों को इस तरह से शिक्षित किया जा सकता है कि वे ज्ञान व मूल्यों के हस्तांतरण के साथ-साथ, शैक्षिक व विकासात्मक दायित्वों को ग्रहण व वहन करने में सक्षम हो सकें।

शिक्षा को जीवन की प्रयोगशाला कहा गया है। शिक्षा ही वह सशक्त उपागम है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न संस्कारों के माध्यम से अपने शरीर, मन, आत्मा का समन्वित विकास कर समाज एवं राष्ट्र का योग्य नागरिक बनाती है। नागरिकों को अपनी संभावनाओं की सर्वोच्चता पर प्रतिष्ठित करना गुणात्मक शिक्षा का कार्य है। परन्तु वर्तमान शिक्षा प्रणाली राष्ट्र निर्माण से दूर, सैद्धांतिक व सूचनात्मक होती जा रही है। समाज एवं उसकी समस्याओं से सम्बन्ध विच्छेद सा हो गया है। शिक्षा प्रणाली में समग्रता का अभाव सा है, प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा जैसे कई स्तर बन गये हैं, जहाँ माध्यमिक शिक्षा के प्रति सरकार का दृष्टिकोण उदासीन है, वहीं प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण एवं उच्च शिक्षा का वैश्वीकरण हो रहा है।

शिक्षा की गुणवत्ता विकास के लिये शैक्षिक सुधारों का नियोजन, निरूपण व परिणाम में नियंत्रण व परिवर्तन में निरन्तर प्रयासों को बढ़ाना होगा। शैक्षिक गुणवत्ता, सुधार कार्यक्रमों को अति उत्साह से समूची विद्यालयीन शिक्षा पर लागू करना, सुधार प्रक्रिया में असंतुलन व अनियंत्रण पैदा करता है। किसी भी नये गुणवत्ता आधारित कार्यक्रम को कार्यरूप देने से पहले राज्य की शैक्षिक वस्तुस्थिति स्पष्ट होनी चाहिये। गुणात्मक सुधार केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक आयाम को प्रभावित करते हैं।

आज शिक्षा एक निर्णायक मोड़ पर पहुँच गयी है, जहाँ कम्प्यूटर के उदय के साथ स्मरणशक्ति पर शिक्षा की अत्यधिक निर्भरता समाप्त हो गई है। ऐसे में सीखने में निष्क्रियता दूर करनी होगी और उसके स्थान पर शिक्षा में व्यापक परिवर्तन करने हैं जिनमें बोध और संवेदनशीलता, सौन्दर्यबोध और अन्तर्मन में उठने वाले गहन सवालों पर भी ध्यान देना होगा। शिक्षा कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसे डाक अथवा शिक्षक द्वारा वितरित किया जा सके। वह तो बच्चों की भौतिक और सांस्कृतिक नींव में होती है और उसका पालन-पोषण माता-पिता, शिक्षकों, साथी विद्यार्थियों और समुदाय के माध्यम से होता है।

वर्तमान में शिक्षा संक्रमणकाल से गुजर रही है। आज सूचना को ज्ञान का पर्याय एवं शिक्षा को मापन के साथ-साथ साध्य बना दिया गया है। शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा तक सीमित रहकर केवल प्रमाणन तक रह गया है। शिक्षण संस्थाओं में शैक्षणिक परिवेश प्रायः लुप्त हो गये हैं। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिये शिक्षण संस्थाओं में संख्यात्मक वृद्धि तो हुई है, परन्तु शिक्षा की गुणवत्ता का सर्वथा ह्रास ही हुआ है।

शिक्षा में गुणात्मक अभिवर्द्धन हेतु दृष्टि परिवर्तन आवश्यक है, जो निम्नलिखित हैं-

1. शिक्षा नीति पर पुनर्विचार कर उसकी नये ढंग से रचना की जाये।
2. शिक्षा में निरन्तर अनुसंधान एवं नवाचारों का प्रयोग किया जाये।
3. शिक्षा में स्थानीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक परिप्रेक्ष्य का समन्वय हो।
4. शैक्षिक विचारों में नैतिकता एवं आध्यात्मिकता से परिपूर्ण भारतीय सांस्कृतिक सोच का समावेश हो।

5/279, एस.एफ.एस.,
अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
मो. 9414796071

शिक्षण अनुभव

स्थानीयता पर निर्भर, प्राथमिक शिक्षा

❐ भारत दोसी

शिक्षण प्रशिक्षण बीएड का परिणाम आते ही मैंने रोजगार कार्यालय मे अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया और कुछ दिनों बाद ही पत्र मिला कि पंचायत समिति में साक्षात्कार है। जिस दिन साक्षात्कार था उसी दिन नियुक्ति का आदेश भी मिल गया। मन में उमंग थी घर में खुशी थी कि नौकरी लग गई । दूसरे ही दिन मैं शहर से दूर स्कूल पहुँचा। गाँव की प्राथमिक स्कूल का सपना तो देखा ही नहीं था, सपने में तो शहरी स्कूल था, स्कूल एक कमरे में चलता था, कुछ विद्यार्थी आए थे, कोई युनिफार्म नहीं। नेकर चड्डी पहने। शर्ट के बटन नहीं। स्लेट, कापी कुछ नहीं। लगता था कि कई दिनों से मुँह भी नहीं धोया है।

पूर्णतः वनवासी जनसंख्या का यह स्कूल देखकर मैं सोचने लगा कि किया क्या जाए? मेरे अलावा वहाँ एक शिक्षक और थे। मुझे प्रशिक्षण में पढ़ाए गिजु भाई के दिवास्वप्न के शब्द याद आ गए 'जब तक बालक घरों में मार खाते हैं और विद्यालयों में गालियाँ खाते है तब तक मुझे चैन कैसे पड़े?..जब तक एक भी बाालक असम्मानित है, अस्पृश्य है, बीमार है, गंदा है और अव्यवस्थित है तब तक मुझको चैन कैसे पड़े ?'

मैंने कुछ करने की, बदलाव की ठान ली। दूसरे दिन घर से एक टावेल और साबुन लेकर स्कूल गया। जो चंद विद्यार्थी आए थे उनको हेंडपम्प पर भेजा और नहाने, मलमल के नहाने , साबुन लगा कर नहाने को कहा। कुछ ही देर में स्वच्छ,निर्मल विद्यार्थी मेरे सामने थे उनको दरी पर बैठाया और कहानियाँ सुनाई, स्थानीय बोली वागड़ी का भी प्रयोग किया। बच्चों को मजा आ गया । कुछ विद्यार्थी मर्जी से उठ कर बाहर जाते -आते। उन्हें अनुशासित करने के लिए कठोरता से कहा वे मान भी गए कि मारसाहब को पूछे बगैर बाहर नहीं जाना और पूछने के लिए भी विद्यालयी शब्दावली बताई। सीखने की ललक थी तो जल्दी ही सीख गए। अन्तिम कालाँश में शेर-बकरी, कोडा है जमाल का, गुरु-शिष्य, नेताजी पहचानो, स्थानीय खेल पाचिके, सतोलिया आदि खेलाए। अब यह रोज का काम हो गया लेकिन असल चुनौती थी इनको अक्षर ज्ञान देने की ।

मुझे लगा कि इनके परिवार में शायद हीं कोई साक्षर रहा होगा। मुझे तो वर्णमाला के अक्षरों का क्रम भी नहीं मालूम था और मुझे लगता था कि इस रटंत से विद्यार्थी जल्दी ही ऊब जाएँगे तो मैंने शब्दों से पढ़ाना शुरू किया। टन शब्द पहचानने और बनाने में सरल है इसलिए पहले मैंने उससे ही शुरूआत की। वैसे भी पहली की हिन्दी में आगे के कुछ पेज पर पशु, पक्षी, फूल आदि के चित्र होते थे जिनकी पहचान करवाना होता था लेकिन इससे पूरे 5 घंटे तो निकाले नहीं जा सकते थे। आश्चर्य यह था की पाँचवी और पहली के विद्यार्थियो का स्तर एक जैसा था और पढ़ाने की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी गई थी। दूसरे जो अध्यापक थे वे बुजुर्ग थे और कहते थे कि 'हमने तो बहुत पढ़ाया अब तुम पढ़ाओ।'

मैंने अपने परिवार, रिश्तेदारों, पड़ौसियों से छोटे बच्चों के वस्त्र एकत्रित किए और एक स्वयंसेवी संस्था से कुछ स्लेटें दान में ले जाकर इन विद्यार्थियों को बाँट दी । बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना आदि सारी क्रियाएँ एक साथ चल रही थीं । गाँव में लोग कहने लगे मारसाहब 'सोरा ने हदारी रिया एं ' मैंने स्कूल जाने की अपनी नियमितता बनाई। जरूरी काम होने पर भी टाल देता और स्कूल में पढ़ाने के लिए चार्ट, कार्ड आदि लाया। जिन्हें बार-बार विद्यार्थियों को दिखाता और बोलवाता । पढ़ाने के पहले कई कविताएँ, गीत गवाता, बार-बार बुलवाता, एक-एक विद्यार्थी को खड़ा कर बोलवाता । कुछ ही दिनों में देखा कि आधे बच्चे गाने लगे हैं, अक्षर पहचानने लगे हैं, लिखने लगे हैं।

तो मैंने पहले 'आ' की मात्रा के शब्द पहचान करवाना सिखाया, फिर 15-20 दिन बाद 'इ' की मात्रा के शब्द इस तरह 15-20 दिन मे 'उ' फिर 'ए' व 'ओ' की मात्रा के शब्द सिखाए। चार माह में स्कूल के 20 फीसदी बच्चे पाठ पढ़ने लगे। अभिभावकों में खुशी थी। क्योंकि इस क्षेत्र में सामाजिक रीति-रिवाज कुछ ज्यादा ही है, इसलिए विद्यार्थी नियमित नहीं रहते है, वहीं खेती पर ही निर्भरता के कारण अभिभावक बच्चों को पशु चराने, खेत की रखवाली में लगा देते हैं। कई अभिभावक तो शहर में या दूसरे राज्यों में मजदूरी को जाते है इसलिए विद्यार्थी नियमित नहीं आते हैं, फिर भी मुझे लगा कि मेहनत का रंग दिखने लगा है ।

मैं स्कूल से आते-जाते देखता कि गाय-बकरी चरा रहे बच्चे मेरे द्वारा सिखाई कविताएँ, गीत, पोयम गा रहे है और कई जगह मेरे द्वारा खेलाए जाने वाले खेल खेल रहे है तो मन में प्रसन्नता होती कि चलो मेहनत रंग लाई है। सरकार द्वारा चलाई जा रही पोषाहार योजना, दवाई वितरण योजना आदि को भी मैं नियमित चलाया करता। मेरा सबसे ज्यादा ध्यान इसी बात पर रहता कि प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम पाठ पढ़ना तो सीख ही जाए। इसके लिए मैंने एक रजिस्टर बना रखा था जिसमें प्रत्येक का नाम लिखा रहता और वह किस मात्रा तक सीख गया, यह दर्ज रहता, जब भी वह स्कूल आता उसकी पढ़ाई वहीं से शुरू करता । बाजार में कुछ ऐसी पुस्तकें उपलब्ध है जिनमें भी पहला पाठ बगैर मात्रा के शब्दों का, दूसरा 'आ' की मात्रा का, तीसरा 'इ' की मात्रा का, चौथा 'उ' , पांचवा 'ए', छठा 'ओ 'और कुछ 'अं' 'अः' के शब्द के पाठ थे बाद में कठिन शब्दो के पाठ थे इनको बार बार पढ़वाता, श्यामपट्ट पर लिखकर व व्यक्तिगत भी पढ़ाता ।

आज शिक्षा में नवाचार हो रहे हैं पाठ्यपुस्तकें बदल रही है। वे सभी भी अच्छे तरीके बताती है, लेकिन स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप इनका कैसे उपयोग करें, यह हम शिक्षकों पर निर्भर करता है, क्योंकि अन्तिम लक्ष्य तो सभी को पाठ पढ़ना, समझना और जीवन में उतारना है, अच्छे नागरिक बनाना ही है।

58/5, मोहन कालोनी, बांसवाड़ा (राज.)
मो 9799467007

मूल्यांकन

प्राप्त करें बेहतर परीक्षा परिणाम

❒ प्रकाश चन्द्र शर्मा

एक सत्र के परीक्षा परिणाम घोषित होते ही अगले सत्र के परीक्षा परिणामों की चिन्ता जगना स्वाभाविक है और जिस संस्था प्रधान-विषयाध्यापक के मन में यह चिन्ता यदि जाग जाती है तो निश्चित ही मानिये की उस विद्यालय का परीक्षा परिणाम आगामी सत्र में भी संख्यात्मक एवं गुणात्मक दृष्टि से श्रेष्ठ ही होगा। सीखने-सिखाने और परीक्षा परिणाम वृद्धि का भी एक मनोविज्ञान है। मैं यहाँ बिना किसी दार्शनिक एवं शिक्षाविद् का हवाला दिये एक सामान्य दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति करता हूँ- मैं सीख सकता हूँ-नहीं सीख सकता हूँ। मैं अपेक्षित परिणाम प्राप्त करके ही रहूँगा, नहीं प्राप्त कर सकूँगा। मैं हर मुश्किल और बाधाओं में श्रेष्ठता प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर रहूँगा। अरे यार! कुछ नहीं हो सकता, बेकार की बाते है कुछ नहीं हो सकता, इतना सारा काम, बाप रे बाप! मर जाए क्या, जितना हो सके उतना ही होगा बाधाएं किसकी सगी है क्या? वे किसी का पीछा छोड़ती है, जो होगा सो होगा हम क्या करें हमने ठेका ले रखा है क्या?'' सीखना-सिखाना, असफलता-सफलता मन की भावनाओं में निहित है। मन में सकारात्मक व नकारात्मक तरंगों का प्रवाह सदैव होता रहता है, व्यक्ति की प्रतिदिन की क्रियाएं-गतिविधियाँ, जिस वातावरण में वह उठता-बैठता है, जो पढ़ता है जो जानता है जो समझता है और जो करता है वही उसके मन का तरंगशास्त्र और ऊर्जा बन जाती है फिर वह वही अभिव्यक्ति मानसिक और शाब्दिक रूप में करने लग जाता है और फिर धीरे-धीरे वह धनायन और ऋणायन आभामण्डल का केन्द्र बिन्दू बनकर उन विचारों से प्रेरित होकर क्रियाशील-अक्रियाशील होता रहता है। स्थितियाँ-परिस्थितियाँ थोड़ी-थोड़ी विभिन्न होती तो हैं पर उनमें सहजता-असहजता का भाव व्यक्ति की मनःस्थिति पर निर्भर करता है। मैंने कई व्यक्तियों के मनों का अनुभव व विश्लेषण करने पर इन दो प्रकार की स्थितियों को अमूमन देखा है।

भौतिक-आध्यात्मिक-धार्मिक-सामाजिक और शिक्षा जगत के दृश्यों में 'मानव' ही कर्त्ताधर्ता है- ''यदि दुनियां के सारे यांत्रिक और भौतिक संसाधन उपलब्ध हो किंतु उनके उपयोग को करने वाला मानव मौजूद न हो तो वे सारे संसाधन धरे के धरे रह जाते है और मौजूद मानवों का अधिकांश समूह नकारात्मक शक्ति का पुतला हो तो स्थिति और खतरनाक बनती पड़ती है वह सृजन के लिये निर्मित सारे यन्त्रों को विध्वंस के साधन बनाने में कोई कोर कसर नहीं रखेगा। अतः सीखने-सिखाने और श्रेष्ठता के मार्ग पर उपलब्धियों का संसार बनाने में सफलता का मनोविज्ञान इस बात की तार्किक और सात्विक वकालत करता है कि 'आओ क्रियाशील संसार के ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में प्रकट जीवन्त अस्तित्व का प्रकाशमान आशावान ज्योति के रूप में प्रदीप्त होते रहे।'' विद्यालय के प्रार्थना सभा की सुरम्य रंगस्थली से प्रारम्भ कर कक्षा-कक्षों में आत्मविश्वास और परिपक्व दक्ष विषय शिक्षण की शैली में हर्ष और आनन्द की क्रिया मौजूद है तो निश्चित मानिये कि सफलता के क्षण हमारे साथ-साथ चल रहे है। आज के अधिकांश विद्यालयों में 'शिक्षण और सीखने के वातावरण' के समस्त भौतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते जा रहे हैं प्रार्थना सभा के यांत्रिक साधन, खेल प्रांगण,

कक्षा कक्ष, बिजली, पंखे, पेयजल, सुविधायुक्त शौचालय, बरामदे, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, आई.टी. लेब्स, इण्टरनेट कनेक्शन, वोकेशनल ट्रैड, पर्याप्त फर्नीचर, एम.डी. एम, स्कूटी, साईकिल, छात्रवृत्तियाँ, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, निःशुल्क गणवेश और क्रियाशील वातावरण के अनेकानेक संसाधनों की बढ़ोतरी भी हो रही है यह भी उत्कृष्टता की ओर एक सार्थक पहल है फिर सफलता-असफलता हम पर लक्षित होकर आ खड़ी होती है कि हम सफलता के सिद्धांत की छतरी के नीचे आश्रय लेते है या नकारात्मक सिद्धांत की क्षत-विक्षत छतरी के तले छुपते खड़े होते है।

सफलता का सिद्धांत व्यक्ति को जुलाई माह से ही योजनाबद्ध क्रियाशीलता और नियोजन की नीति को अपनाकर क्रमबद्ध तरीकों से कक्षा एवं गतिविधि संचालन करते हुए लगातार अवलोकन-फीडबैक-फॉलोअप-नये प्रयोग-परिणाम पुनः अवलोकन-फीड बैक-फॉलोअप'' की सतत् आवृति के सिद्धांत को ही सफलता की प्रथम सीढ़ी के में स्वीकार करता है। बिना किसी भेदभाव के साथियों की क्रियाशीलता और सकारात्मक पहलुओं को अधिकाधिक उपयोग दूसरी सीढ़ी है विद्यालय को आनन्द की अनुभूति का आश्रय स्थल बनते ही सफलता की तीसरी सीढ़ी चढ़कर समाज और अभिभावकों के सहयोगी की चौथी पादान हमें प्राप्त हो जाती है और जब विद्यालय समाज की आँखों का तारा बनने लगता है तो बालक और शिक्षक दोनों के मन में हर हालात में 'सफलता ही सफलता' का दीपदर्शन होती रहती है। जब सफलता की चुनौती स्वीकार्य बन पड़ती है तो प्रयासों की हर सम्भव शृंखला प्रारम्भ हो जाती है- 'विद्यालय-किताबें-पेन-शिक्षक-शिक्षार्थी दृश्य श्रव्य साधनों के बीच रासायनिक साम्य स्थापित हो जाता है और' बेहतर परीक्षा परिणाम की फसल लहलहा उठती है।

अति.जि.शि.अ.(मा.)
डूंगरपुर (राज.)

लेखा-स्तम्भ

परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को देय सुविधाएँ एवं अवकाश

❒ सुभाष माचरा

1. **परिवीक्षाधीन (Probationer):** 'राजस्थान सेवा नियम-1951' के नियम-7(30) के अनुसार परिवीक्षाधीन से तात्पर्य उस कर्मचारी से है, जो किसी सेवा अथवा संवर्ग में स्थाई रूप से एक रिक्त पद पर नियमित रूप से नियुक्त किया गया है।

2. **परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee):** 'राजस्थान सेवा नियम-1951' के नियम-7(30ए) के अनुसार परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी से तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है, जो सीधी भर्ती द्वारा एक स्पष्ट रिक्त पद के विरुद्ध सेवा अथवा संवर्ग में स्थिर पारिश्रमिक पर दो वर्ष या वृद्धि की कालावधि यदि कोई हो, प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त किया गया है। सेवा नियमों में उक्त प्रविष्टि वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांकः F.1(2)FD/Rules/ 2006, Dated:13-3-2006 के अनुसरण में 'राजस्थान सेवा नियम-1951' के मौजूदा नियम-8 (राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति पर आयु से संबंधित विद्यमान नियम-8 को 8 A के रूप में अंकन किया गया) के स्थान पर प्रतिस्थापित करते हुए की गई, जो कि दिनांकः 20.01.2006 या उसके पश्चात् राजकीय पद पर नियुक्त कार्मिकों के लिए प्रभावी है। के मौजूदा नियम-8 (राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति पर आयु से संबंधित विद्यमान नियम-8 को 8 A के रूप में अंकन किया गया) के स्थान पर प्रतिस्थापित करते हुए की गई, जो कि दिनांकः 20.01.2006 या उसके पश्चात् राजकीय पद पर नियुक्त कार्मिकों के लिए प्रभावी है।

3. **परिवीक्षा की कालावधिः** वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांकः F.1(2)FD/ Rules/2006, Dated:13-3-2006 द्वारा सेवा नियमों में यह प्रावधान किया गया है कि दिनांक : 20.01.2006 या उसके पश्चात् राजकीय पद पर स्पष्ट रिक्ति के विरुद्ध सीधी भर्ती द्वारा सेवा में प्रवेश करने वाले किसी व्यक्ति को 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में रखा जाएगा। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न अधिसूचनाओं/ आदेशों द्वारा कुछ विशिष्ट सेवाओं/पदों हेतु परिवीक्षा की कालावधि दो वर्ष के स्थान पर एक वर्ष की गई। उदाहरणार्थ वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांकः F.1(2)FD/Rules/ 2006, Dated:26-12-2011 एवं 03-07-2014 द्वारा 'राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा' के चिकित्साधिकारी एवं 'राजस्थान चिकित्सा (महाविद्यालय शाखा) सेवा' के वरिष्ठ प्रदर्शक/सहायक आचार्य पदों हेतु परिवीक्षा कालावधि दो वर्ष के स्थान पर एक वर्ष की गई। इसी प्रकार वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांकः F.12 (6)FD/ Rules/2005, Dated:23-09-2014 द्वारा राज्य सेवा के प्रारंभिक पद से उच्च पद, जिसमें अकादमिक/प्रोफेशनल एवं विशिष्ट अनुभव आवश्यक है, नियुक्ति पर परिवीक्षा अवधि एक वर्ष की गई।

4. **परिवीक्षा की कालावधि में देय पारिश्रमिक एवं सुविधाएँः-** 'राजस्थान सेवा नियम-1951' के नियम 8 के तहत 20 जनवरी 2006 या इसके पश्चात् राजकीय सेवा में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में रखा जाएगा एवं परिवीक्षा प्रशिक्षण के दौरान की अवधि में उसे नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किया जाए। परिवीक्षा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक समाप्ति के पश्चात् उसे चालू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में वेतन अनुज्ञात किया जाएगा। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की कालावधि को वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिना जाएगा।

I परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को परिवीक्षा की कालावधि के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed remuneration) के अन्तर्गत अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते (विशेष भत्ता, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, बोनस आदि) देय नहीं होंगे।

II परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को कार्यग्रहण काल एवं कार्यग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यदि वह कर्त्तव्य के लिए यात्रा करता है, तो उसे दौरे के लिए देय नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानांतरण होने पर उसे मील भत्ता तथा आनुषांगिक प्रभार नियत पारिश्रमिक के आधार पर देय होगा।

III स्थिर पारिश्रमिक में से बीमा एवं जी.पी.एफ. की कटौती नहीं होगी।

IV परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को यदि प्रतिनियुक्ति पर वैदेशिक सेवा में प्रशिक्षण के लिए लगाया जाता है, तो उसे प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।

5. **नियमित राज्य सेवा में चल रहे परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को देय वेतन ('राजस्थान सेवा नियम-1951' के नियम 24 के अन्तर्गत):** एक राज्य कर्मचारी, जो पूर्व से ही नियमित राजकीय सेवा में है, यदि दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में 20 जनवरी 2006 को या इसके पश्चात् नियुक्ति होता है तो उसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर देय पूर्व मद के स्वयं के वेतनमान में देय वेतन या परिवीक्षा की अवधि में देय नियत पारिश्रमिक में से, जो भी उसके लिए लाभकारी हो, वेतन देय होगा। एक

परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी, जो अपने से पूर्व के पद के चालू वेतन बैंड में वेतन एवं ग्रेड वेतन प्राप्त करने का विकल्प प्रस्तुत करता है, तो उसे परिवीक्षाधीन अवधि में पूर्व के पद के विद्यमान वेतनमान में वार्षिक वेतनवृद्धि देय होगी तथा प्रशिक्षण स्थान का मकान किराया भत्ता देय होगा। नियमित राज्य कर्मचारी, जिसने राजकीय सेवा में सेवा के 3 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, तो वह कार्यग्रहण काल एवं इस कालावधि के वेतन के लिए पात्र होगा तथा जिन कर्मचारियों ने 3 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की है, उन्हें केवल कार्यग्रहण काल ही देय होगा तथा कार्यग्रहण काल का वेतन देय नहीं होगा। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उसका वेतन पूर्व पद और ग्रेड वेतन के प्रति निर्देश से समान स्टेज पर नये पद के चालू वेतन बैंड में नियत किया जाएगा।

6. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को देय अवकाशः–

I **आकस्मिक अवकाशः–** परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को एक कलैण्डर वर्ष में 12 दिवस का आकस्मिक अवकाश देय होगा। कलैण्डर वर्ष की अपूर्णता की स्थिति में आनुपातिक आधार पर उसके द्वारा प्रत्येक पूर्ण माह की सेवा के एवज में एक आकस्मिक अवकाश का लाभ देय होगा। प्रशिक्षण अवधि के सफलतापूर्वक समापन पश्चात् स्थाईकरण होने पर स्थाईकरण तिथि से नियमित राज्य कर्मचारियों को देय अवकाश सुविधा का पात्र होगा। 'राजस्थान सेवा नियम-1951' के नियम-122 ए के प्रावधानान्तर्गत पूर्व से ही नियमित राजकीय सेवा में चल रहे परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों सहित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी परिवीक्षा की कालावधि में अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश अर्जित नहीं करेगा।

स्पष्टीकरणः राज्य सरकार के वित्त (नियम) विभाग की आई.डी. संख्या-221201396, दिनांकः 12.10.2012 के द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में शासन उप सचिव-प्रथम, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग के पत्रांकः प.17(2)शिक्षा-2/2008, दिनांकः 18.10.12 द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शनानुसार नव नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी, जो पूर्व से ही राज्य कर्मचारी होने के कारण उनके अवकाश खाते में पूर्व अर्जित अवकाश स्वत्व बकाया है, को पूर्व अर्जित अवकाश उपयोग की अनुमति दिए जाने का निर्णय संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा लिया जाएगा तथा उक्त प्रकार के अर्जित अवकाश का उपभोग करने की अनुमति यदि नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है, तो ऐसे अवकाश के कारण परिवीक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

II **प्रसूति एवं पितृत्व अवकाशः** वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांकः F.1(6)FD/Rules/2011, Dated:15-2-2012 द्वारा 'राजस्थान सेवा नियम-1951' के नियम-103 ए को नियम-122 ए द्वारा निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया हैः-

नियम-122ए

I परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान किसी भी प्रकार का अवकाश अर्जित नहीं करेगा।

II महिला परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को मौजूदा नियम-103 एवं 104 के तहत प्रसूति अवकाश (Maternity Leave) स्वीकृत किया जाएगा।

III पुरुष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को मौजूदा नियम-103 ए के तहत पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) स्वीकृत किया जाएगा।

7. परिवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक समापन एवं पद के नियमित वेतन बैंड एवं ग्रेड पे में वेतन नियतनः– परिवीक्षाधीन प्रशिक्षार्थी द्वारा दो वर्ष की परिवीक्षा कालावधि के सफलतापूर्वक समापन पश्चात् नियुक्ति अधिकारी द्वारा कार्मिक को पद का नियमित वेतन बैंड एवं ग्रेड पे अनुज्ञेय है। वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांकः F.1(2)FD/Rules/06 Part-1, Dated:22-05-2009 द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को 'राजस्थान सेवा नियम-1951' के नियम-96 (बी) के तहत तीन माह तक का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) नियुक्त अधिकारी द्वारा स्वीकृत किए जाने की छूट प्रदान की गई थी। उक्तानुसार तीन माह की अवधि तक का असाधारण अवकाश नियुक्ति अधिकारी स्वीकृति की अवस्था में कार्मिक के परिवीक्षा काल में बढ़ोतरी नहीं होती, परन्तु वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांकः F.1(2)FD/Rules/06 Part-1, Dated:11-06-2014 तथा संशोधित अधिसूचना क्रमांकः F.1(2)FD/Rules/06 Part-1, Dated:06-08-2014 द्वारा उक्त अवधि को तीन माह के स्थान पर 30 दिवस तक सीमित कर दिया गया है। उक्तानुसार वर्तमान में तीस दिवस से अधिक का असाधारण अवकाश लेने पर परिवीक्षा की कालावधि में 30 दिवस से जितने दिन अधिक का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है,उतने दिन हेतु परिवीक्षा काल में वृद्धि होगी। तीन माह तक का असाधारण अवकाश नियुक्ति अधिकारी द्वारा तथा 3 माह से अधिक, लेकिन एक वर्ष की अवधि के लिए असाधारण अवकाश प्रशासनिक विभाग की अनुमति से स्वीकृत हो सकेगा। अपवादिक एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में एक वर्ष से अधिक का असाधारण अवकाश कार्मिक एवं वित्त विभाग की पूर्व अनुमति से स्वीकृत किया जा सकेगा।

8. कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांकः F.7(2)DOP/A-II /2005, Dated:26-04-2011 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि परिवीक्षा की कालावधि नियमित नियुक्ति मानी जाएगी, जो कि पदोन्नति एवं आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) में सेवावधि की गणना हेतु मान्य होगी।

शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी
निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

पुस्तक समीक्षा

ऊंडै अंधारै कठैई

विधा : अनुवाद **मूल :** डॉ. नंदकिशोर आचार्य (हिंदी) **अनुवाद :** डॉ. नीरज दइया (राजस्थानी) **प्रकाशक :** सूर्य प्रकाशन मंदिर, दाऊजी रोड (नेहरू मार्ग), बीकानेर-334005 **संस्करण :** 2016 प्रथम **पृष्ठ :** 120, **मूल्य :** 200 ₹

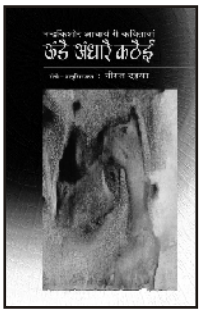

'ऊंडै अंधारै कठैई' संग्रह में मनीषी-कवि डॉ. नंदकिशोर आचार्य के 14 काव्य-संग्रहों से चयनित 83 कविताओं का अनुसृजन, ऊर्जावान कवि-आलोचक डॉ. नीरज दइया ने गहन मनोयोग से किया है। इस अनुवाद के बहाने डॉ. दइया आचार्य के संपूर्ण कवि-कर्म का अध्ययन-मनन और चिंतन कर मूल कविताओं के मर्म और आत्मा तक पहुँचे हैं। अनुवाद को भावाभिनय की संज्ञा देकर सच में अनुवादक ने मूल भावों और व्यंजनाओं को सहेजते-संभालते आत्मसात कर यह अनुवाद किया है। यही कारण है कि एक से बढ़कर एक कविताओं को अनुवादक ने अपनी कवि-दृष्टि और विवेक से चयनित कर एक सार्थक अनुसृजन पाठकों को उपलब्ध करवाया है। अनुवादक के शब्दों में- ''जिस प्रकार नाटक में कलाकार अपने अभिनय से मूल पात्र और समग्र रचाव को जीता है, ठीक उसी भांति मैं भी अनुसृजन करते हुए मूल कविता को भीतर गहरे तक जीने का पूरा-पूरा प्रयास करता हूँ। हर्ष का विषय है कि संग्रह में डॉ. दइया ने जीवंत अनुवाद कर कविताओं को अपनी मातृभाषा राजस्थानी में पुनर्जीवित किया है।

राजस्थानी में काव्यानुवाद का एक अंश देखिए- ''रचूं थन्नै/ कित्ती भासावां मांय/ मूळ है हरेक भासा मांय/ कठैई थूं अनुसिरजण कोनी। बसंत री हुवै का पतझड़ री/ पंखेरूवां री का पानड़ा री/ भाखरां री का झरणां री/ काळ री का बिरखा री।''

एक भाषा की भावभूमि को अन्य भाषा में हू-ब-हू अनुसृजन के माध्यम से सृजित करना असल में एक लोक से अन्य लोक की यात्रा है। डॉ. दइया के शब्दों में- ''मेरी दृष्टि में नंदकिशोर आचार्य की समग्र काव्य-साधना की असल कमाई किसी अर्थ में गहन अंधकार में कहीं पहुँच कर अपने पाठकों के समक्ष सर्वथा नवीन सत्य का उद्घाटन ही है। इसे दूसरे शब्दों में इस भाँति कहा जा सकता है कि वे निवड़ अंधकार में सिर्फ पहुँचते ही नहीं, वरन अपने साथ पाठकों को भी उस अंधकार के अहसास में ले कर जाते हैं।''

यह बात सत्य है, बिना अंधेरे के, उजाले का क्या अर्थ? तमसो मा ज्योतिर्गमय के मार्ग चलती ये कविताएं अपने 'समय' में अपने होने को व्याख्यायित करती हैं। 'बगत' कविता की ये पंक्तियां देखिए- 'बगत सूंप्यो-/ खुद नै/ म्हनै/ कीं ताळ तांई/ कै कीं बगत खातर/ बगत हुयग्यो हूं म्हैं।/ टिपग्यो सगळो बगत/ इणी दुविधा मांय।/ नीं बगत बणायो/ म्हारो कीं/ नीं बणा सक्यो म्हैं ईज/ बगत रो कीं।' (पृ.68)

इस संग्रह की कविताओं में जिंदगी के बहुआयामी-विविधवर्णी दृश्य-चित्र हमारे समक्ष आते हैं, इन में प्रकृति-प्रेम के दृश्य हैं, आत्मा-परमात्मा और फिर-फिर जन्म-मरण के विश्वास हैं। यहाँ दूसरों के दुख में दुर्बल होने की मनःस्थितियों में परदुख-कातरता के भी अनेक चित्र हैं। ऐसे में इस पुस्तक का पाठ अपने आप में एक द्वितीय अनुभव-यात्रा है।

जिंदगी के अंधेरे-उजालों को प्रत्यक्ष साकार करती संग्रह की कविताओं में 'बरबरीक' और 'पांचाली' के विशेष पौराणिक संदर्भ उल्लेखनीय हैं। 'बरबरीक' महाभारत युद्ध में श्रीकृष्ण की उपस्थिति को बाजीगरी बताते हुए, बरबरीक के मुख से कवि ने कहलवाया है- साम्हीं दीठाव भिड़ती हुवै/ छियावां कठपूतळियां री जियां।/ साच है, हां/ कठपूतळियां ई हा सगळा बै--/ जिकी नै डोर सूं झल्यां आभै मांय/ बो दीसै हो म्हनै/ चतुर्भुजधारी अेक बाजीगर/ खुद रै खेल सूं राजी/ - बो भयानक जुद्ध उण रो खेल ईज तो हो।

एक अन्य और संग्रह की अंतिम कविता 'पांचाळी' में द्रौपदी की मनःस्थिति के कई गहरे-गहन अर्थ दर्शाती लंबी-कविता है। इस में जब भीष्म कहते हैं- 'दुष्टां रो अन्न मति बिगाड़ दी ही।' तब द्रौपदी के ये शब्द- 'ना, पितामह/ अन्न तो बो सागी ई खावतो हो विकर्ण ई।' सामाजिक को नवीन दृष्टि और अर्थ देने वाले हैं। ये कविताएं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे सामाजिक-सरोकारो से जुड़े अनेकानेक प्रश्नों को न केवल उठातीं हैं, वरन उनके भीतरी राग-विराग से जुड़ी लोकमानसिक वृतियों का भी गहन यर्थाथ प्रस्तुत करती हुई 'दिन रो ई दिन' दिखाने के प्रयास करती दिखाई देती हैं। कवि के शब्दों में- 'कित्ता'क दिन रैवैला/ रात?/ कदैई तो आसी/ दिन रो ई दिन/ कोई तो।' (पृ.51)

मैं इस शानदार अनुवाद के लिए अनुवादक डॉ. नीरज दइया और प्रकाशक को हृदय से बधाई देता हूं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मूल कवि डॉ. नंदकिशोर आचार्य के बिना आशीर्वाद के यह अनुवाद संभव नहीं था, उनको भी बहुत-बहुत साधुवाद और बधाई।

-समीक्षक : **डॉ. मदन सैनी**

विभागाध्यक्ष-हिंदी विभाग
मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय,
नोखा (बीकानेर)

जीवन एक सारंगी

विधा : कहानी **कहानीकार :** मधु आचार्य 'आशावादी' **प्रकाशक :** सूर्य प्रकाशन मंदिर, दाऊजी रोड (नेहरू मार्ग), बीकानेर-334005 **संस्करण :** 2016, प्रथम **पृष्ठ :** 120 **मूल्य :** 200 ₹

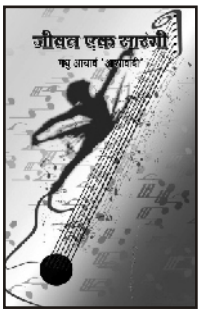

'जीवन एक सारंगी' मधु आचार्य 'आशावादी' का पांचवा कहानी संग्रह है। इस से पूर्व उनके चार कहानी संग्रह- 'सवालों में जिंदगी', 'अघोरी', 'सुन पगली' और 'अनछुआ अहसास और अन्य कहानियां' प्रकाशित हैं। साहित्यकार 'आशावादी' के लेखन के विविध आयाम है, वे रंगकर्म-नाटक के क्षेत्र से अब विगत मात्र तीन-चार वर्षों से साहित्य-लेखन में बेहद सक्रिय हैं। नाटक, कविता, कहानी, उपन्यास, व्यंग्य और बाल साहित्य लेखन-संपादन के अंतर्गत 34 पुस्तकों का प्रकाशन एक कीर्तिमान है। उनका यह कहानी संग्रह पूर्व-संग्रहों की तुलना में शैल्पिक, भाषिक बदलाव के साथ जैसे नई

करवट लेता है। प्रख्यात आलोचक डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल ने ब्लर्ब में लिखा है- जीवन एक सारंगी की बहुत सारी कहानियों का घटनाक्रम बहुत विस्तृत है, लेकिन लेखक ने उसे कम शब्दों में समेटने का प्रयास किया है। लगता है जैसे हम कहानी के शिल्प में कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं। जीवन की व्यापकता और विशालता के बोध से सजी इन कहानियों में कठोर यथार्थ की अनुगूंज है तो वहीं सूत्रबद्धता के लिए कल्पना की ऊंची उड़ान भी है। कहानी 'जीवित मुस्कान' का फोटोग्राफर सलीम एक ऐसा अविस्मरणीय कथा-नायक है, जिसकी गरीबी और तकलीफ का मुह बोलता चित्रण कहानी में हुआ है। जीवन के अंतिम पल वह योद्धा की भांति बिना हारे जीवन की अभिलाषा में संघर्षरत है। कहानी के अंतिम अनुच्छेद से पंक्तियां देखें- सलीम का शरीर मर सकता है। पर उसकी यह मुस्कान सदा जीवित रहेगी। हर अपने के जेहन में यह मुस्कान रहेगी। इसको इसकी मुस्कान जिंदा रखेगी, सालों सालों तक। कहा जा सकता है कि मधु आचार्य जीवन के विशाद में भी मुस्कान का संदेश और प्रेरणा देने वाले रचनाकार हैं।

यह महज संयोग है कि संग्रह में आगे की तीन कहानियां मृत्यु और नियति के अद्वितीय चित्र को प्रस्तुत करती है। कहानी 'जीने का श्राप' की नायिका मोहिनी अपने संघर्ष को व्यंजित करती है, अंततः शराबी पति और पथ-भ्रष्ट संतान से तंग आकार कथा-नायिका का जीवन से पलायन है। कहानी में घरेलू नौकरानी पर आंख रखने वाले सेठ गोविंद लाल जैसे लोलुप का सुंदर चित्रण है। 'सांसों का संघर्ष' कहानी इसी के समानांतर सास और पति से परेशान एक घरेलू महिला के प्रतिशोध और हत्या की कहानी है। स्थितियों से एक स्त्री का पलायन है तो दूसरी तरफ आक्रोश अपने चरम पर। पात्रों और चरित्रों का सहज स्वभाविक विकास एवं संवादों का प्रभावशाली प्रस्तुतीकरण से कहानी अंत तक पाठकों को बांधे रखती है। 'बूढ़ा प्रतिशोध' कहानी विचार की प्रस्तुति है कि प्रतिशोध कभी बूढ़ा नहीं होता। पारिवारिक संघर्षों का छोटे-छोटे संवादों और घटनाक्रमों में ढाला गया है दूसरे शब्दों में कहें तो यह कहानी वर्तमान समय और समाज की सच्चाई से हमें रू-ब-रू कराती है।

शीर्षक कहानी 'जीवन एक सारंगी' असल में कथा-नायिका के कविता संग्रह का नाम है। रेणु नामक कथा-नायिका स्त्री-जीवन की त्रासदी को व्यंजित करती है। कहानी का आरंभिक अंश देखें- जीवन एक सारंगी की तरह है। इस सारंगी को वही बजा सकता है जिसके पास शब्द हो। अपनी स्व-स्फूर्त संवेदना हो। इन दोनों के बिना इस सारंगी को बजा पाना संभव नहीं। असली जीवन भी यही है। पैसा, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति को जीवन मान लेने वाले बड़ी भूल करते हैं। शब्द और संवेदना से उपजने वाला संगीत ही जीवन की सारंगी के मधुर और नव स्वर ही जीने को सार्थक बनाते हैं। दरअसल ऐसा करने वालों को ही जीने का अधिकार है। नहीं तो पशु और हमारे जीने में कोई अंतर ही नहीं है। यह कहानी जीवन के एकांत और त्रासदी के साथ उसके भीतर बसी स्त्री की रचनाशीलता को उजागर करती है। औपन्यासिक विस्तार की इन कहानियों में विविधता है। कहानी 'चैंज द गेम' में अनामिका का कवि रूप और फेस-बुक की दुनिया है, तो आधुनिकता के इस दौर में नवीन स्थापनाएं भी। 'टूटन की त्रासदी' ऐसी अविस्मरणीय घटना का कहानी के रूप में प्रस्तुतीकरण है कि पाठक अंत तक विजय के मौन रहने और सब कुछ सहज स्वीकार लेने से मुठभेड करता है। कहानी 'प्रतीक्षा' में मां-बेटी का अनूठा संवाद से जीवन के अनेक मार्मिक रहस्यों को समझने-समझाने के साथ परिस्थियों का सच उद्घाटित करती है। इन कहानियों को पढ़ते हुए लगता है कि इन में प्रस्तुत चरित्रों एवं घटना-क्रमों से कहानीकार का एक खास रिस्ता रहा है। यहां यर्थाथ अथवा काल्पनिकता से जिन जीवंत चरित्र को प्रस्तुत किया है, वे पाठकों की सहानुभूति बटोरते हुए संवेदनाओं को जाग्रत करने वाले हैं। अपनी पूर्व कहानियों की तुलना में कहानीकार आशावादी यहां पात्रों-चरित्रों के मन में अधिक गहरे पैठ कर मार्मिकता के साथ उनके अंतर्मन को उद्घाटित करते हैं। निश्चय ही ये कहानियां अपने पाठकों को मंत्र-मुग्ध करने वाली हैं।

-समीक्षक : **डॉ. नीरज दइया**
सी-107, वल्लभ गार्डन, पवनपुरी,
बीकानेर- 3340003

वंदे मातरम्

लेखिका : पूजा श्री **प्रकाशक** : ऋचा इण्डिया पब्लिशर्स, दाऊजी रोड बीकानेर **संस्करण** : 2016, **पृष्ठ संख्या** : 40 **मूल्य** : 100 ₹

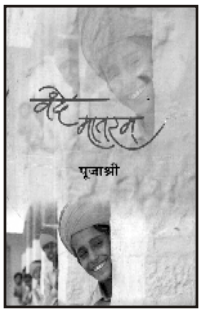

पूजाश्री हिन्दी और राजस्थानी की चर्चित और सिद्धहस्त लेखिका है। आपकी बहुत सी पुस्तकें गद्य और पद्य में प्रकाशित हो चुकी हैं। इसी श्रेणी में आपकी चर्चित राजस्थानी बाल कविताओं की पुस्तक 'वंदे मातरम्' सन् 2016 में प्रकाशित हुई है। राजस्थानी भाषा में बाल साहित्य की बात करे तो पूजाश्री की यह पुस्तक एक रिक्त को पूर्ण कर रही है। इस पुस्तक में कुल तैतीस बाल कविताएं हैं जो बालकों को देश प्रेम प्रकृति प्रेम, सात्विक भोजन करने जैसी बातं बताती है।

पुस्तक की पहली कविता 'वंदे मातरम्' में मां भारती का गुणगान किया है। यह कविता बच्चों को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की सीख दे रही है। इसी प्रकार 'तिरंगों' कविता में तिरंगे के तीन रंगों के महत्त्व को बताते हुए लेखिका लिखती है-

लहर-लहर लहरावै-
तिरंगो।
है. ओजस्वी-
निसाणी।।

इसी क्रम में लेखिका की कविता 'झांसी की रानी' आती है जिसमें वह लक्ष्मीबाई की शौर्यता और देश के लिए मर मिटने के भाव को बच्चों को बता रही है। देश प्रेम की अन्य कविताओं में 'प्यारो देश म्हांको', 'विश्व में पायो मान' जैसी कविताएं भी इस संग्रह में आई है।

संग्रह की कविताएं पशु-पक्षियों और कीट-पतंगों के माध्यम से बालकों में जीव-जगत के प्रति प्रेम के भाव भर रही है। 'गाय' कविता में गाय के महत्त्व को उजागर किया है। लेखिका लिखती है-

दूध पीयां बिन
रै' नीं पांवां।
माखण, चाट, चाट'र

खांवां।

'चींटी राणी' में बालकों में चींटी के माध्यम से मेहनत करने के भाव लेखिका भर रही है तो 'घोड़ो' कविता में घोड़े के बारे में बच्चों को बता रही है। इसी क्रम में 'जिनावर' में बैल, घोड़ा, कुत्ता, गधा और बिल्ली का हमारे जीवन में उपयोग को बताया गया है। 'कुकडू-कूं' कविता में मुर्गे का बालकों के जीवन में क्या महत्व है बताया गया है। लेखिका ने 'नीमड़ौ' कविता में नीम की उपयोगिता को बताया है तो 'सीघाड़ा री बेल' के माध्यम से बालकों में संघर्ष करने के भाव को भरा है।

आज हम अपनी दिनचर्या में पारंपरिक भोजन को छोड़कर फास्ट फूड की तरफ आकर्षित हो रहें हैं। विशेषकर बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका दुष्प्रभाव भी पड़ रहा है। लेखिका इसे लेकर काफी चिंतित लग रही है। उन्होंने अपनी इस पुस्तक में इस विषय को अलग-अलग कविताओं के माध्यम से उठाया है, 'म्हूं न्यूडल क्यूं खाऊं' कविता में बर्गर, पीज्जा, नेक्स और न्यूडल जैसे जंक फूड को छोड़ कर हमारे पारंपरिक भोजन खाने और सदैव स्वस्थ्य रहने की बात कही है। 'भोजन सात्विक करो कविता में भी सात्विक भोजन करने की बात लेखिका कर रही है।'

लेखिका ने शिक्षा के महत्त्व को रखते हुवे बालकों को गिनती को सरल रूप से सिखाने के लिए 'गिणती गीत' कविता लिखी है जिसमें बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान भी दिया है। जैसे-

तीन-चार-पाँच
सदा बोलो सांच
झूठा रा गन काळा
सांच नैं, नीं आंच

'विग्यान अर विकास' के सहारे बच्चों को दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता को बताया है तथा इससे होने वाले विकास का ज्ञान भी करवाया है। लेखिका की कविता 'अकेला क्यूं रैवां' में एकांकी जीवन में छुटकारा दिलाने की बात कही है तो 'खेलां म्है अेक साथ' कविता में बच्चों को जात-पात और धर्म से ऊपर उठकर खेल को खेल के भाव से खेलने की बात रखी है।

रहीम म्हारो दोस्त है।
पीटर, पाड़ोसी म्हारो,
गुरमीत री गैंद,
बैट ल्यायो,
म्हूं प्यारो।।

इस प्रकार अन्य कविताएं जो इस संग्रह को विशिष्ट बनाती है उनमें 'पाणी री बूंद', 'जीवण गीत' और 'लूण-पतासा' कविताएं आती है जो बच्चों को जीवन में प्रेम प्राप्त करने के लिए स्वयं को सरल बनने की बात कहती है। जिस प्रकार नमक पानी में मिलकर पानी बन जाता है ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर भी मिट्टी का बना है जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा तो हमें इस जीवन को 'गुलाब' की तरह प्यारा बनाना है।

आखिर में इस संग्रह की कविता 'क्यांनैं अंगूठो लगावां' में शिक्षा के प्रचार-प्रसार की बात कही है तो 'पाणी री बूंद' कविता में लेखिका ने वर्षा के जल को संग्रहित करने की बात बच्चों को सिखाई है। लेखिका पूजाश्री ने अलग-अलग विषयों को उठाकर अपनी राजस्थानी बाल कविताओं की पुस्तक को बच्चों के हाथों में पहुंचाई है जिससे बच्चों को निश्चित तौर पर ज्ञान प्राप्त होगा। राजस्थानी भाषा की यह पुस्तक बाल-साहित्य की अमोलक धरोहर बनकर सामने आई है जिससे राजस्थानी भाष का मान जरूर बढ़ेगा। पुस्तक की प्रत्येक कविता के अनुसार चित्र बहुत सुंदर छपे हैं जो इस पुस्तक की विशेषता है तथा इसकी सरल-सुबोध भाषा बालकों को अपनी ओर खीचने में सफल होगी।

-समीक्षक : **डॉ. नमामी शंकर आचार्य**
जोशीवाड़ा, बीकानेर।
मो. 9829321692

काउंसलिंग प्रतिक्रिया

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से चयनित उर्दू और गृह विज्ञान व्याख्याताओं के लिए रिक्त पदों की सूचना वेबसाइट पर लोड की गई। चयनितों को पोस्टिंग के लिए 16 फरवरी 2016 को बीकानेर निदेशालय बुलाया गया। वरिष्ठता से काउंसलिंग करके रिक्त स्थान चयन का अवसर दिया गया। शिक्षा विभाग गठन के बाद पहली बार ऐसा हुआ। डीपीसी के एच.एम., व्याख्याता, प्रधानाचार्य, सैकिंड ग्रेड, अध्यापक लेवल दो और लेवल एक का सैटअप परिवर्तन सभी स्तर पर काउंसलिंग से पोस्टिंग मिली है। शुरू में काउंसलिंग में बुलाये गये शिक्षकों के बराबर रिक्त पद दर्शाये जाते थे। फिर सभी रिक्त पद दर्शाये जाने लगे हैं। काउंसलिंग से शिक्षकों ने शहर या गाँव अपनी इच्छा से चयन कर लिया है। कक्षा शिक्षण तक ही एप्रोच रखने वाले शिक्षक इस काउंसलिंग व्यवस्था से केवल संतुष्ट ही नहीं प्रफुल्लित भी हैं। शिक्षकों का अपने विभाग पर विश्वास जमा है। पूरे राज्य में काउंसलिंग के प्रति सकारात्मक फीडबैक मिल रहा है। **-महेन्द्र पाण्डे**
महामंत्री, रा.प्रा. एवं मा. शिक्षक संघ
मो.9928370327

राज्य सरकार की मंशा अनुसार निदेशालय बीकानेर द्वारा व्याख्याताओं प्रधानाचार्यों एवं प्रधानाध्यापकों की काउंसलिंग बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से संपादित की गई। आम तौर पर सरकारी तंत्र में इतना बड़ा संख्या बल आमंत्रित किया जाता है तब अव्यवस्था की आशंका रहती है। लेकिन शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा 15 जुलाई 2016 से 19 जुलाई 2016 तक आयोजित काउंसलिंग अद्भुत और अनुपम रही। यही नहीं किन्हीं कारणों से जो अभ्यर्थी काउंसलिंग में 15 से 19 तक नहीं आ पाए उन्हें 22 जुलाई को एक और मौका देकर संवेदनशील प्रशासन का उत्कृष्ट उदाहरण विभाग ने प्रस्तुत किया। संभागियों के छाया-पानी व बैठक व्यवस्था का संपूर्ण ध्यान रखा जाना एक स्तुत्य प्रयास है। विभिन्न विषयों की काउंसलिंग के लिए स्थापित चार केन्द्रों पर कार्यरत सभी अधिकारी व कर्मचारियों ने सहयोग की भावना से हमारा दिल जीत लिया। पंजीयन से लेकर काउंसलिंग कक्ष तक का सफर अविस्मरणीय रहा। कक्ष में संभागवार, जिलेवार रिक्त पदों की स्थिति पूर्ण पारदर्शिता के साथ प्रदर्शित की गई। अल्प समय में बहुसंख्यक संभागियों की काउंसलिंग कर नियुक्ति आदेश जारी करने में जो तत्परता दिखाई गई, उसके लिए निदेशक महोदय एवं उनकी पूरी टीम साधुवाद की पात्र है।

-विजय कुमार बल्लाणी
व्याख्याता इतिहास, राउमावि दामोदरा, जैसलमेर
मो.9414391098

Sir, this is regarding counseling of DPC Lecturers held W.e.f. 15 July to 19 July 2016 at Directorate. I convey my sincere regards and gratitudes for such a fine and well arranged counseling. The entire staff of the Directorate involved in counseling was whole heartely helpful, hence the system of counseling is praise wrothy and commendable with regards.

-Abhay singh yadav
Lecturer, (Geography) GSSS
Kasba Dehra (Alwar)
Mob. 9462238180

शाला प्रांगण से

विकलाँग सहायता शिविर

रा.उ.मा. वि. लालसोट जयपुर में राजस्थान राज्य भारत स्काउट्स व गाइड्स (स्थानीय संघ) लालसोट ने भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर के तत्वावधान में दिनांक 30 व 31 मई 2016 को विकलांग 'सहायता शिविर' का आयोजन किया गया। इस शिविर में डॉक्टर की सलाह से विकलांगों की आवश्यकता के अनुसार कृत्रिम पैर, ट्राई साइकिल, बैशाखी, बहरों के लिए सुनने की मशीन, पोलियो ग्रस्त के लिए कैलीपर्स, पहिए वाली कुर्सी निःशुल्क वितरित की गई। जिसमें 137 लोगों को लाभान्वित किया गया। बाबा कपिल दास महाराज ने अपने मुख्य आतिथ्य संबोधन में कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, पीड़ित लोगों को भगवान का स्वरूप मानकर ही सेवा करें। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व शासन सचिव बृजमोहन मीणा ने कहा कि परमात्मा के ज्ञान को बाँटे। चेयरमेन जगदीश प्रसाद सैनी ने कहा कि ''दिव्यांगों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। उन्हें बस संबल प्रदान की आवश्यकता है। शिक्षाविद् बृजमोहन द्विवेदी व आचार्य कैलाश शर्मा, शिवशंकर प्रजापति ने विचार प्रकट किये। इस शिविर में 32 लोगों को ट्राई साईकिल, 9 व्हील चेयर, 33 श्रवण यंत्र, 15 स्टीक, 11 लोगों को जयपुर फुट, 18 बैसाखी दे कर लाभान्वित किया गया।

इस शिविर में रा.उ.मा. वि. लालसोट के अलावा रा.उ.मा.वि. होदायली, रामावि तालेड़ा जमात, रा.उ.प्रा.वि. गाँधी शाला व रा.उ.मा.वि. अमराबाद के स्काउट्स तीन दिन तक लगातार सेवा देकर मिशाल कायम की। 15 स्काउट ने दिव्यांगों की सेवा की। जिला शिक्षा अधिकारी प्रेमवती शर्मा ने शिविर की भूरि-भूरि प्रशंसा की तथा संत शिरोमणी श्री कपिलदास जी महाराज, कपिल आश्रम लालसोट का आर्थिक सहयोग देने पर आभार व्यक्त किया। प्रभारी, सहायक जिला कमिश्नर, स्थानीय संघ लालसोट श्री कैलाश चन्द शर्मा व सचिव रतनलाल माली ने बताया कि शिविर पूर्व शान्तिपूर्ण व प्रेरणादायी रहा।

गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया

रा.मा.वि. ककलाना, अजमेर में 19 जुलाई 16 को गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर वृक्षारोपण किया गया जिसमें छात्र छात्राओं व अभिभावकों ने भाग लिया तथा छात्र संसद का भी चयन किया गया। सरपंच रजिया बानों ने कार्यक्रम में उपस्थित रहकर उत्साहवर्द्धन किया। गुरुपूर्णिमा के अवसर पर छात्र-छात्राओं ने अपने शिक्षकों को तिलक लगाकर श्रीचरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। शाला की संस्था प्रधान श्रीमती दीप्ति देव ने आयोजन के सभी उपस्थित छात्र-छात्राओं व उनके परिजनों तथा शिक्षक साथियों का आभार प्रकट करने के साथ गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में ज्ञानवर्द्धन जानकारी दी।

प्रोत्साहन पुरस्कार द्वारा सम्मान

राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, पादरड़ी बड़ी में 19 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विविध आयोजन हुए। प्रधानाचार्य व शिक्षा शास्त्री यादवेन्द्र द्विवेदी ने विद्यालय प्रज्ञा पत्रिका का विमोचन किया। विचार सभा आयोजन में विविध साक्षरता, जीवदया, किशोरावस्था, मौसमी बीमारियाँ व बचाव, गुरु की सर्वकालिक महत्ता आदि विषय पर विचार व्यक्त किये गये। प्राध्यापक केशवलाल भट्ट, रमेशचंद्र भट्ट (व.अ.), मानशंकर सोनी, (व.शा.शि.) श्रीमती नीलम भावसार (व.अ.) आदि ने गुरु पूर्णिमा पर सोदाहरण विचार व्यक्ति किए। श्रेष्ठ विद्यार्थियों को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। सभा का संचालन पंकज शुक्ला ने किया।

शिक्षा से वंचित नहीं रहने देंगे

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजगढ़ (चुरू) में मुख्य अतिथि के रूप में अपने उद्बोधन में कहा कि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी छात्र-छात्राओं को शिक्षा से वंचित नहीं रहने दिया जायेगा। राजगढ़ के नगर सेठ डॉ. राजेन्द्र कुमार उर्सुला जोशी के अनुज पुत्र अविनाश जोशी (स्विट्जरलैण्ड प्रवासी) ने कहा कि शिक्षा में क्षेत्र धन की कोई कमी नहीं आने देंगे। यह बात जोशी ने अपने भव्य स्वागत समारोह में मुख्य अतिथि पद से छात्र-छात्राओं, शिक्षक-शिक्षिकाओं को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर आसपास के 90 गाँवों के अभिभावक उपस्थित दर्ज करा कर कार्यक्रम की महत्ता सिद्ध कर रहे थे कि विद्यालय के शिक्षक व शिक्षिकाएँ कड़ी मेहनत कर छात्र-छात्राओं को उत्तम व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। राजस्थान सरकार में सीनियर आई.ए.एस., गोविन्द नारायण शर्मा का नाम छात्र के रूप में उच्च स्थान प्राप्त पद पर देख प्रसन्नता जाहिर की। प्राचार्य जयवीर नेहरा ने जोशी के आगमन को उत्साहजनक बताते हुए कहा कि जोशी एज्युकेशन सोसायटी, जयपुर द्वारा राजगढ़ शहर में पिछले डेढ़ वर्ष में किए गए छह करोड़ रुपए के कार्यों पर प्रकाश डाला। पालिका चैयरमेन जगदीश बैरासरिया व जयपुर से ही जोशी के साथ पधारे राकेश जुनेजा, दिनेश खण्डेलवाल, विक्रम सिंह, रमेश शर्मा, गौतम, वैद्य रमाकांत शर्मा, वैद्य सुदर्शन शर्मा, डॉ. शंकर लाल पेड़ीवाल, प्रमुख समाजसेवी, रामावतार बैरासरिया आदि का स्वागत किया। समारोह का संचालन उप प्राचार्य पारस कुमार सहारण एवं प्राध्यापक आरिफ खान ने किया।

स्कूल में पौधरोपण

लूणकरणसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 15 जुलाई 16 को पौधरोपण अभियान की शुरूआत की गई। नोडल प्रधानाचार्य दिलीप कुमार हर्ष कालू प्रधानाचार्य ताराचंद भुंवाल जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रतिनिधि रामकुमार सहित शिक्षकों विद्यार्थियों ने पौधरोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विद्यालय के एन.एस.एस. प्रभारी भागूराम महला के अनुसार अभियान के तहत शाला परिसर में एक सौ पौधे लगाएं जाने का लक्ष्य रखा। बरसात आने के बाद अतिशीघ्र छात्र-छात्राओं व NSS के सहयोग से शाला में पौधरोपण किया जायेगा। इस अवसर पर नोडल प्रधानाचार्य ने कहा कि वर्तमान में अत्यधिक गर्मी या तापमान बढ़ने का मुख्य कारण दिनों दिन हरे-भरे पेड़ों की कमी है। इनकी न केवल अंधाधुंध कटाई रोकनी है बल्कि हम सभी को कम से कम प्रति वर्ष 1 पेड़ लगाना चाहिए। कार्यक्रम प्रेरणादायी रहा।

-नारायण दास जीनगर
(प्रकाशन सहायक)

समाचार पत्रों में कतिपय रोचक समाचार/दृष्टांत समय-समय पर छपते रहते हैं। इन्हें पढ़कर हमें विस्मय तो होता ही है, साथ ही हमारा ज्ञानवर्धन भी होता है। ऐसे समाचार/दृष्टांत चतुर्दिक स्तम्भ के अन्तर्गत प्रकाशित किये जाते है। आप भी ऐसे समाचारों का पुनर्लेखन कर संदर्भ एवं पेपर कटिंग के साथ शिविरा में प्रकाशन हेतु हमें भिजवा सकते हैं।

-वरिष्ठ सम्पादक

चतुर्दिक समाचार

एक साथ बीस उपग्रह भेजे इसरो ने

भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने एक और चमत्कारिक सफलता प्राप्त की है। गत 22 जून को श्री हरिकोटा से बीस उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। चेन्नई से लगभग 110 किमी दूर सागर तट बने इस प्रक्षेपण केन्द्र से पी.एस.एल.वी. 34 के द्वारा श्री हरिकोटा के डॉ. सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से प्रातः 9.26 बजे सेटेलाइट लॉंचिंग व्हीकल सी-34 छोड़ा गया। इससे आधे घण्टे में अपने साथ जुड़े सभी बीसों उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिये। इनमें 13 उपग्रह अमरीका के, दो कनाड़ा के एक-एक जर्मनी व इंडोनेशिया के है। अब तक श्री हरिकोटा से 113 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे जा चुके हैं। इनमें 74 उपग्रह अन्य देशों के है। इस सफलता से अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत अमरीका और रूस की बराबरी पर आ गया है।

दुनिया बदलने वाले दस लोगों में भारत के उमेश सचदेव भी शामिल

अमरीका के प्रसिद्ध साप्ताहिक 'टाइम' ने ताजा अंक में दुनिया बदलने वाले दस लोगों की जानकारी दी है। इनमें से एक भारत के उमेश सचदेव भी है। बाकी नौ लोगों में से तीन अमरीका के तथा जर्मनी, ब्रिटेन, लाइबेरिया, ब्राजील, कोरिया और आयरलैण्ड के एक-एक महानुभाव है। तीस वर्षीय उमेश सचदेव ने ऐसा 'सॉफ्टवेयर' तैयार किया है जो दुनिया की 25 भाषाएँ और 125 बोलियाँ समझता है। वे कम्प्यूटर इंजीनियर हैं तथा अपने सहपाठी रहे अनिल सरावगी के साथ उक्त सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आपको मोबाइल 25 भाषाओं में काम कर सकेगा तथा डेढ़ सौ बोलियाँ समझ सकेगा। अभी तक भारत के मोबाइल फोनों में अंग्रेजी या हिन्दी का ही प्रयोग किया जा सकता है।

स्मार्ट धागे से घावों का संक्रमण बचेगा

ऑपरेशन के बाद कई बार घाव के पकने और उसमें संक्रमण होने का खतरा रहता है। इससे घातक बीमारियाँ भी होती है जिससे कई बार शरीर का वह हिस्सा काटना पड़ता है। भारतवंशी वैज्ञानिक ने 'स्मार्ट थर्ड' तैयार किया है। इससे टाँका लगाने पर यह घाव के भीतर का पल-पल का हाल बताएगा। टफ्टस विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों के एक दल ने थ्री डी स्मार्ट थ्रेड (धागा) तैयार किया है। ऊतकों को इसके टांके से एक साथ जोड़ा जा सकता है। इसे विशेष धागे से अति सूक्ष्म तरल पदार्थ के सर्किट के इस्तेमाल से तैयार किया गया है। घाव के भीतर हो रही सभी गतिविधियों को स्मार्टफोन या कम्प्यूटर पर बयां करेगा। इसकी मदद से डॉक्टर टांके के बाद भी घाव के अंदर देख किसी तरह की गड़बड़ी की स्थिति में वक्त पर इलाज कर पाएंगे।

फेडर ने गुब्बारे से 11 दिनों में दुनिया का चक्कर लगाया।

रूस के फेडर को नियूखोव ने गरम हवा वाले गुब्बारे से महज 11 दिनों में अकेले दुनिया का चक्कर लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 64 वर्षीय फेडर शनिवार दोपहर आस्ट्रेलिया के व्हीट बेल्ट में उतरे। उन्होंने अमेरिका के स्टीव कोसेट के 14 साल पुराने विश्व रिकार्ड को ध्वस्त किया। स्टीव 13 दिन 12 घंटों में दुनियां का चक्कर लगाने वाले इकलौते व्यक्ति थे। फेडर ने 1 जुलाई 2016 को पश्चिम आस्ट्रेलिया स्थित एवन घाटी से स्थानीय समयानुसार शाम 4:30 बजे उड़ान भरी थी। इस उपलब्धि को चमत्कार बताया क्योंकि यह पहली बार में सफल कर दिखाया।

जीन में परिवर्तन का कैंसर का होगा इलाज

पहली बार होगा परीक्षण-कैंसर के इलाज के लिए पहली बार इंसान के जीन में बदलाव किया जाएगा। पश्चिमी चीन के चेंग्दू स्थिति सिचुआन युनिवर्सिटी के शोधकर्ता अगले महीने इस विधि का परीक्षण करेंगे। इसका पहला ट्रायल कैंसर के मरीज पर होगा। शोधकर्ताओं के मुताबिक, जिन कैंसर मरीजों पर कीमोथेरेपी या कैंसर के इलाज की उपलब्ध अन्य विधियाँ कारगर नहीं होती है। उनके इलाज के लिए यह नई प्रक्रिया विकसित की जा रही है। एक विशेष विधि में बैक्टीरिया की मदद से जीन में बदलाव कर कैंसर के मरीजों के न केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ायी जायेगी बल्कि खून से टी-सेल प्रतिरोधी कोशिकाओं को निकालकर CRISPR-CAS-9 की मदद से अधिक सक्रिय मिलाया जाएगा। हालांकि जीन में सामान्य से ज्यादा बदलाव को लेकर वैज्ञानिक चिंतित है कि इससे कहीं स्वस्थ कोशिकाओं पर भी असर न हो जाए।

हल्दी से आंत के कैंसर का इलाज

हल्दी में पाया जाने वाले यौगिक बड़ी आंत के कैंसर का इलाज करने में कारगर है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह यौगिक हल्दी से तैयार तरी वाली सब्जियों में किया जाता है। इसके सेवन से बड़ी आंत के निचले हिस्से के कैंसर को ठीक किया जा सकता है। यह कैंसर बदपरहेजी या गलत खानपान की आदतों से होता है। हल्दी में मौजूद 'कुरकुमिन' और 'सिलीमेरिन' जहाँ बीमारी का इलाज करते हैं वहीं कीमोथेरेपी के दुष्परिणामों को कम करने में भी सहायक है।

शोरगुल में बच्चे शब्द नहीं सीखते

घर और स्कूल के पास ध्वनियों (शोरगुल) के बीच रहने वाले बच्चे नए शब्दों को सीखने में फिसड्डी रहते हैं। अमेरिका में हुए बच्चों पर एक अध्ययन में दावा किया गया है। शोधकर्ता मैकलिन कहते हैं कि बच्चों की किसी चीज को सीखने की क्षमता उनके आसपास के माहौल पर निर्भर करती है। घर का वातावरण और आसपास की गतिविधियाँ इस प्रक्रिया में अहम भूमिका अदा करती है। घरों में टीवी, रेडियो की आवाजें और लोगों की बातचीत के बीच नौनिहाल अक्सर शब्दों की संरचना को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। जिससे शब्द को याद रखना मुश्किल हो जाता है।

बातचीत से अवसाद का सस्ता इलाज

ब्रिटेन की युनिवर्सिटी ऑफ एक्सटेर के प्रोफेसर रिचर्ड्स बताते है कि अवसाद के मरीजों की समस्याओं को बातचीत के जरिए बेहतार समझा जा सकता है। दवाएँ उनके शरीर में रासायनिक बदलाव ही लाती है। जबकि मनोवैज्ञानिक बातचीत और विशेष व्यवहार के जरिए मरीज को मानसिक सुकून के साथ खुद पर भरोसा कायम होता है। वैज्ञानिक इस 'टॉक थैरेपी' को बीमारी का सबसे सस्ता इलाज मानते हैं। अवसाद से ग्रस्त मरीजों से अगर बातचीत की जाए तो उनमें तेजी से सुधार देखा जा सकता है।

-नारायण दास जीनगर

बाड़मेर

रा.आ.उ.मा.वि. शहर प.स. गिड़ा को टीकमाराम सारण एक डेल कम्पनी का एक लेपटॉप लागत 28,800 रुपये। **रा.उ.मा.वि. अराबा** को श्री अखेसिंह से एक-एक कम्प्यूटर प्रिन्टर लागत-40,000 रुपये, श्री मनोहर चौहान से ग्रीन बोर्ड लागत-21,000 रुपये, श्री नरपतसिंह राजपुरोहित से टेबल लागत-25,000 रुपये, सर्व श्री आखेसिंह, भवर सिंह, नाहर सिंह, बेरिशाल सिंह, श्री किशोर सिंह, किरण सिंह, मूलसिंह, रामसिंह, पुखराज सिंह राजपुरोहित द्वारा फर्नीचर भेंट लागत 51,000 रुपये, सर्व श्री भंवरसिंह राजपुरोहित, प्रेमाराम, छोगाराम चौहान महेन्द्र सिंह चौहान, वागाराम सुथार सुजाराम पटेल, दिलीप चौहान, मोतीसिंह सांखला प्रत्येक से 11,000 रुपये फर्नीचर हेतु प्राप्त हुए। **रा.उ.मा.वि. टापरा** को सर्वश्री बागाराम मेघवाल, चैलाराम, दीपाराम पांचल, मोहनराम, ओमप्रकाश पांचल, गीलाराम बामणिया,घेवरचंद सेजू, पुखराज बोस, भंवरलाल बामणिया, हरीश कुमार सेजू, नेनाराम खेताराम सेजू, भट्टाराम बामणिया, मोडाराम पांचल छगनाराम मरडिया, बाबूलाल पांचल, देवाराम मरडिया, बाबूलाल मरडिया, रूपाराम मरडिया, वोताराम पांचल, भट्टाराम पांचल, हीराराम सेजू, लूम्बाराम मरडिया प्रत्येक से 1,000-1,000 रुपये विद्यालय के कमरों में बरामदों एवं मुख्य द्वार पर रंग रोगन हेतु प्राप्त हुए। **रा.उ.मा.वि. भंवार** को श्री सुमार खाँ से 10 टेबल-स्टूल सेट लोहे की लागत 10,000 व एक कम्प्यूटर HP लागत 31,500 रुपये। **रा.मा.वि. रामदेव** का मंदिर (धनाऊ) को श्रीमती जैसी देवी एक कम्प्यूटर सेट लागत 25,000 रुपये, श्री दिलीप जाखड़ द्वारा शाला का मुख्य गेट (लोहे का) लागत 20,000 रुपये प्राप्त हुए। **रा.उ.मा. वि. अरटा (चौहटन)** को सर्वश्री खुमाराम सुथार, जगमाल सुथार, धुड़ाराम सुथार, सुरजन, चिमनाराम सुथार द्वारा यह लोहे का गेट व गेट का रंग रोगन सहित विद्यालय को सप्रेम भेंट लागत 35,000 रुपये।

राजसमंद

रा.मा.वि., लालपुर पं.स. भीम को विद्यालय स्टाफ से सर्वश्री रामकिशन (प्र.अ.), रूपसिंह व.अ., गणपत सिंह (व.अ.), बनबीर सिंह (शा.शि.) से प्रत्येक से 5,100 रुपये, श्री गोपाल सिंह (व.अ.) से 11,000 रुपये, श्री शाहिद बेग मिर्जा (व.अ.), श्री मीठू सिंह (व.अ.) व श्रीमती तारा चौहान (च.श्रे.क.) से प्रत्येक से 2,100 रुपये प्राप्त कर विद्यालय को एक कम्प्यूटर सप्रेम भेंट, श्री योगेश कुमार शर्मा (पूर्व प्र.अ.) से 5 पंखे विद्यालय को सप्रेम भेंट जिसकी लागत 7,000 रुपये। **श्रीमती फूली बाई भैंरुलाल नाहर, रा.बा.मा.वि. दिवेर** को श्री जुगराज नाहर द्वारा 50,000 रुपये की लागत से विद्यालय को फर्नीचर सैट, श्री जेठाराम बुनकर (पूर्व प्राध्यापक) द्वारा 1 श्री डी प्रिन्टर, श्री किशन मेवाड़ा से 10 टेबल स्टूल सैट, श्री भंवर सिंह सरपंच द्वारा 11,000 रुपये के फर्नीचर व जाजमें, जैन मित्र परिषद् मुम्बई दिवेर के अध्यक्ष सुरेश जी व मंत्री पंकज चण्डालिया द्वारा 21,000 रुपये का सहयोग से 4 बड़ी जाजमें, 30 स्कूल बैग, एक बड़ी अलमारी, श्री मुकेश बोलीवाल द्वारा 10,000 रुपये की लागत से शिक्षण सामग्री श्री कमलेश मेवाड़ा से 5 सैलो कुर्सियाँ श्री मुकेश सालवी से टेबल-कुर्सी लागत 5,100 रुपये, श्री नरेन्द्र सिहं से 2100 रुपये फर्नीचर हेतु प्राप्त हुए, श्री मान तेजाराम जी मेवाड़ा, श्री नारायण सिंह (उप सरपंच) व कालूराम मेवाड़ा द्वारा 2-2 सैलो कुर्सियाँ प्राप्त हुई।

भामाशाहों के अवदान का वर्णन प्रतिमाह इस कॉलम में कर पाठकों तक पहुँचाने का विनम्र प्रयास किया जाता है। आइये, आप भी इसमें सहभागी बनें। **-वरिष्ठ संपादक**

हमारे भामाशाह

बून्दी

रा.उ.मा.वि. कैथूदा प.स. तालेड़ा को रेणु जैन (विद्यालय अध्यापिका) द्वारा छोटे 70 बालकों को जर्सियाँ वितरित की जिसकी लागत 10,000 रुपये, स्थानीय भामाशाहों से फर्नीचर हेतु 23,500 रुपये प्राप्त हुए। श्री सोहन लाल भारतीय (व.अ.से.नि.) से 5,000 रुपये नकद, राधारानी गोठानिया (अ.) से 5,000 नकद प्राप्त हुए। **रा.उ.मा.वि. गढ़ादेवजी** को सर्व श्री रतीराम मीणा (अ.) कैलाश चन्द मीणा (अ.), पाँचू लाल शर्मा (अ.) रामदयाल वर्मा (अ.), सत्यनारायण शर्मा से प्रत्येक से 5,100 रुपये फर्नीचर निर्माण हेतु प्राप्त हुए, श्री प्रेमप्रकाश गोचर (शा.शि.) से फर्नीचर निर्माण हेतु 3,100 रुपये प्राप्त हुए, सर्वश्री सोहन लाल वर्मा (व्याख्याता), राधेश्याम जैन (व.अ.), देवेन्द्र कुमार शर्मा (अ.), लोकेश कुमार पोटर अध्यक्ष, यमुना शंकर जाँगिड़ (अ.), रतन लाल कटारिया से प्रत्येक से 2,100 रुपये फर्नीचर निर्माण हेतु प्राप्त हुए, सर्वश्री मनीष कुमार नागर (व.अ.), रामनिवास गुर्जर (अ.) जयनारायण गुर्जर (व.अ.), महेन्द्र कुमार महावर (व.अ.), सीमा यादव (अ.), महावीर प्रसाद नागर, सूरजमल नागर, इस्माइल मोहम्मद, कैलाश चन्द नागर, शोजी लाल नागर, राधेश्याम जाँगिड़, रमेश कुमार जाँगिड़, सत्यनारायण नागर (अ.) से प्रत्येक से 1,100 रुपये फर्नीचर हेतु प्राप्त हुए, श्रीरामदेव नागर (सरपंच) से 11,000 रुपये फर्नीचर हेतु प्राप्त हुए, श्री उत्सव लाल विनोद कुमार जैन से फर्नीचर हेतु 8,500 रुपये प्राप्त हुए। **रा.उ.मा.वि. चितावा** को स्टाफ के सहयोग से 22,000 रुपये की राशि से 124 गरीब छात्र-छात्राओं को जर्सियाँ वितरित की गई, श्री कैलाश चन्द शर्मा रिटायर्ड कोटा एवं श्रीमती रजनी शर्मा (से.नि. प्रधानाचार्य) द्वारा 17,000 रुपये की लागत से एवं गणमान्य नागरिकों के द्वारा दिये गये सहयोग से मिड-डे-मील भोजन शाला के लिए टीन शैड का निर्माण करवाया गया। सन् 2015-16 के भामाशाहों द्वारा प्राप्त राशि से एक नवीन कक्षा-कक्ष का निर्माण एवं भोजन शाला हेतु 35/17 टीन शैड का निर्माण में निम्नांकित भामाशाहों के नाम इस प्रकार है- श्री कैलाश चन्द्र शर्मा से 15,000 रुपये, श्री बाबूलाल बोहरा से 5,000 रुपये, सर्व श्री बद्रीलाल मीणा, रामलाल नागर, महावीर मीणा, राजेन्द्र मीणा से प्रत्येक से 2,100 रुपये प्राप्त, श्रीमती रजनी शर्मा कोटा से 2,000 रुपये, श्री किशन गोपाल मीणा से 1,500 रुपये, सर्वश्री रामेश्वर मीणा (सहकारी अध्यक्ष), लक्ष्मण नेताजी, नागेश मीणा, नन्द प्रकाश मीणा, रामलाल मीणा, घनश्याम से प्रत्येक से 1,100 रुपये प्राप्त हुए। **रा.मा.वि. भीया** को व.अ. श्रीमती अलका पाठका द्वारा विद्यालय को एक वाटर कूलर लागत-22,000 रुपये, श्री मदन लाल नागर (व.अ.) द्वारा विद्यालय की कक्षा 10वीं की छात्राओं को गर्म जर्सियाँ भेंट की लागत 2,800 रुपये।

भरतपुर

रा.उ.मा.वि, भैसीना तह. भुसावर में श्री कौशलेश शर्मा द्वारा दो कक्षा-कक्षा में 50 हजार रुपये की लागत से मार्बल दान स्वरूप भेंट।

भीलवाड़ा

रा.मा. वि. रूपाहेली खुर्द प.स. बनेड़ा को श्री शिवसिंह राठौड़ से 9 पंखे प्राप्त हुए जिसकी लागत 10,000 रुपये।

संकलन- **रमेश कुमार व्यास**
प्रकाशन सहायक

शिविरा पत्रिका (मासिक) : अगस्त 2016 / निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित तथा हरिहर प्रिण्टर्स, जे-97, अशोक चौक, आदर्श नगर, जयपुर-302 004 फोन : 0141-2600850 से मुद्रित। © वरिष्ठ सम्पादक : प्रकाश चन्द जाटोलिया, प्रकाशन हेतु सामग्री चयन के लिए उत्तरदायी।